खण्ड-457, अंक-4
बुधवार, 10 फाल्गुन, शक संवत् 1927
(1 मार्च, 2006 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, तृतीय सत्र 2005)

खण्ड 457 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2005

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क--ङ
आज की कार्य सूची के प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था	1
प्रश्नोत्तर	1--36
मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में बसपा के अलग हुए गुट के सदस्यों के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न उठाने का प्रयास (जारी) ...	36--38
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	38--40
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति का अड़तीसवां कार्यान्वयन प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया।)	40
उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की याचिका समिति (2005-2006) का प्रथम प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया।)	40
उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की याचिका समिति (2005-2006) का द्वितीय प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया।)	40
उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की याचिका समिति (2005-2006) का तृतीय प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया।)	40
उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की याचिका समिति (2005-2006) का चतुर्थ प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया।)	41
मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में बसपा के अलग हुए गुट के सदस्यों के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न उठाने का प्रयास ...	41--60
विभिन्न नियमों के सम्बन्ध में सदन को सूचना	60
कार्य-सूची बदले जाने के सम्बन्ध में आपत्ति	60--61
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें (जारी)	61--66
राज्य मंत्री हाजी याकूब कुरैशी द्वारा सर कलम किये जाने विषयक सामूहिक रूप से किये गये एलान के सम्बन्ध में 'सुरक्षित व्यवस्था' को दिये जाने की मांग...	66--67
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	67--68
वित्तीय वर्ष 2006-2007 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा ...	68--80
कोरम के प्रति सदन का ध्यानाकर्षण	81
वित्तीय वर्ष 2006-2007 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (जारी) ...	81--84
कोरम के प्रति सदन का पुन:ध्यानाकर्षण (जारी)	85
वित्तीय वर्ष 2006-2007 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (जारी) ...	85--86
कोरम के प्रति सदन का पुन:ध्यानाकर्षण	86--87
वित्तीय वर्ष 2006-2007 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (जारी) ...	87--88
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	88--89
वित्तीय वर्ष 2006-2007 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (जारी) ...	89--99
नत्थियां	100--105

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 01 मार्च, 2006

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य--282

1—अकीलुर्रहमान खां, श्री मुरादाबाद
2—अजय कुमार, डा0 बागपत
3—अजीम भाई, श्री फिरोजाबाद
4—अताउल रहमान, श्री बरेली
5—अनवर महमूद, श्री बलरामपुर
6—अनिल कुमार पाण्डेय, श्री सुल्तानपुर
7—अनिल कुमार मौर्य, श्री मिर्जापुर
8—अनिल कुमार वर्मा, श्री सीतापुर
9—अनिल कुमार वर्मा, श्री हरदोई
10—अनिल कुमार सिंह यादव, श्री एटा
11—अनिल सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
12—अनीस अहमद खां उर्फ फूलबाबू, श्री पीलीभीत
13—अनुग्रह नारायण उर्फ खोखा सिंह, श्री देवरिया
14—अनूप कुमार पाण्डेय, श्री बस्ती
15—अब्दुल मन्नान, श्री हरदोई
16—अमरजीत सिंह जनसेवक, श्री फतेहपुर
17—अम्बेश कुमारी, श्रीमती महोबा
18—अयोध्या प्रसाद पाल, श्री फतेहपुर
19—अरुण कुमारी, श्रीमती कानपुर देहात
20—अरुणवीर सिंह, श्री बहराइच
21—अरुणा तोमर, श्रीमती कानपुर नगर
22—अलगू प्रसाद चौहान, श्री संत कबीर नगर
23—अवधेश कुमार वर्मा, श्री शाहजहांपुर
24—अशोक कुमार कटियार, श्री कानपुर देहात
25—अशोक बाजपेयी, डा0 हरदोई
26—अशोक सिंह चौहान, श्री मैनपुरी
27—आदित्य विक्रम सिंह (बोकू सिंह) श्री सिद्धार्थनगर
28—आनन्द प्रकाश लोधी, श्री फतेहपुर
29—आर0 एस0 कुशवाहा, श्री खीरी
30—आर0 के0 सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
31—आलम बदी, श्री आजमगढ़
32—आलोक कुमार शाक्य, श्री मैनपुरी
33—आशीष यादव, श्री बदायूं
34--आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री बदायूं
35—इकबाल महमूद, श्री मुरादाबाद
36—इन्द्रजीत सरोज, श्री कौशाम्बी
37—उज्जवल रमण सिंह, श्री इलाहाबाद
38—उदयराज यादव, श्री उन्नाव
39—उमा किरन, श्रीमती मुजफ्फरनगर
40—उमा शंकर कुशवाहा, श्री गाजीपुर
41—ओइमवेश, स्वामी बिजनौर
42—ओमकार सिंह यादव, श्री बदायूं
43—ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह), श्री सुल्तानपुर
44—ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री सुल्तानपुर
45—ओम प्रकाश सिंह, श्री मिर्जापुर
46—कपिल देव यादव, श्री मऊ
47—कमलेश कुमार पाठक, श्री कानपुर देहात
48—कमाल यूसुफ मलिक, श्री सिद्धार्थनगर
49—कल्यान सिंह दोहरे, श्री कन्नौज
50—कालीचरन राजभर, श्री गाजीपुर

51—काशीराम, श्री रामपुर
52—किरण पाल कश्यप, श्री मुजफ्फरनगर
53—किरन पाल सिंह, श्री बुलन्दशहर
54—कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
55—कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री हरदोई
56—कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
57—कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
58—कोविद कुमार, श्री शाहजहांपुर
59—कौकब हमीद खां, श्री बागपत
60—कौशल किशोर, श्री खीरी
61—कौशल किशोर, श्री लखनऊ
62—गंगा बक्श सिंह, डा0 उन्नाव
63—गया चरन दिनकर, श्री बांदा
64—गीता सिंह, श्रीमती बलरामपुर
65—गुलाब देवी, श्रीमती मुरादाबाद
66—घूरा राम, श्री बलिया
67—चन्द्र किशोर, श्री महराजगंज
68—चन्द्रदेव राम यादव, श्री आजमगढ़
69—चन्द्रभद्र सिंह, श्री सुल्तानपुर
70—चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री श्रावस्ती
71—चितरंजन स्वरूप, श्री मुजफ्फरनगर
72—छेदी राम, श्री गाजीपुर
73—छोटेलाल यादव, श्री बाराबंकी
74—छोटेलाल वर्मा, श्री आगरा
75—जंग बहादुर सिंह, श्री सुल्तानपुर
76—जगदम्बिका पाल, श्री बस्ती
77—जगदीश नारायण (राय), श्री जौनपुर
78—जगदीश मिश्र बाल्टी बाबा, श्री कुशीनगर
79—जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
80—जगराम सिंह, श्री मुरादाबाद
81—जटाशंकर सिंह, श्री बहराइच
82—जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री फर्रुखाबाद
83—जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर,
84—जयराम विमल, श्री अम्बेडकरनगर
85—जयवीर सिंह, ठाकुर अलीगढ़
86—जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
87—तेजपाल सिंह, श्री मथुरा
88—दद्दू प्रसाद, श्री चित्रकूट
89—दयाराम, श्री कौशाम्बी
90—दया शंकर वर्मा, श्री जालौन
91—दिनेश सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
92—दिलीप कुमार वर्मा, श्री बहराइच
93—दीनानाथ कुशवाहा, श्री देवरिया
94—दीनानाथ भाष्कर, श्री संत रविदास नगर भदोही
95—दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
96—देवकी नन्दन, श्री हाथरस
97—देवेन्द्र नागपाल, श्री ज्योतिबाफूले नगर
98—देवेन्द्र प्रताप सिंह, रायबरेली
99—धनंजय सिंह, श्री जौनपुर
100— धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
101—धर्मराज निषाद, श्री अम्बेडकरनगर
102—धर्म सिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
103—धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री बरेली
104— धू राम लोधी, चौधरी हमीरपुर
105—नत्थू सिंह, श्री उन्नाव
106—नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा0 इलाहाबाद
107—नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
108—नरेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
109—नरेन्द्र शिशौदिया, श्री गाजियाबाद
110—नरेश चन्द्र अग्रवाल हरदोई

111—नारद राय, श्री — बलिया
112—परमजीत, श्री — मुजफ्फरनगर
113—परमेश्वर दयाल, श्री — सोनभद्र
114—पी0 के0 राय, डा0 — कुशीनगर
115—पीटर फैन्थम, श्री — नाम-निर्देशित
116—पीतम राम, श्री — पीलीभीत
117—पूर्णमासी देहाती, श्री — कुशीनगर
118—प्रताप चौधरी, श्री — हाथरस
119—प्रदीप जैन "आदित्य", श्री — झांसी
120—प्रदीप माथुर, श्री — मथुरा
121—प्रभु दयाल, श्री — मेरठ
122—प्रभु नारायण, श्री — चन्दौली
123—प्रमोद कुमार, श्री — प्रतापगढ़
124—प्रागी लाल अहिरवार, श्री — झांसी
125—प्रेम पाल सिंह यादव, श्री — बदायूं
126—प्रेम सिंह, श्री — मथुरा
127—फागू, श्री — मऊ
128—बंशीधर राज, श्री — खीरी
129—बलराम यादव, श्री — आजमगढ़
130—बाबू लाल, श्री — गोण्डा
131—बाबूलाल कुशवाहा, श्री — बांदा
132—बिजय सिंह, श्री — फर्रुखाबाद
133—बीजू पटनायक, श्री — गाजीपुर
134—बीना भारद्वाज, श्रीमती — रामपुर
135—बृजेन्द्र कुमार व्यास (डमडम महराज), श्री — झांसी
136—बैजनाथ पासवान, श्री — मऊ
137—ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, श्री — देवरिया
138—भगेलू राम, श्री — सुल्तानपुर
139—भारतेन्द्र सिंह, कुंवर — बिजनौर
140—भूपेन्द्र सिंह, श्री — बदायूं
141—मतेश चन्द्र सोनकर, श्री — कौशाम्बी
142—मदन गोपाल वर्मा, श्री — फतेहपुर
143—मदन भैया, श्री — बागपत
144—मदन सिंह उर्फ सन्तोष कुमार, श्री — इटावा
145—मयूंकेश्वर शरण सिंह, श्री — रायबरेली
146—मशहूद खां, श्री — बलरामपुर
147—मस्तराम चौ0, एडवोकेट — उन्नाव
148—महबूब अली, श्री — ज्योतिबाफूले नगर
149—महेन्द्र सिंह चौधरी, श्री — अलीगढ़
150—महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री — इटावा
151—महेश त्रिवेदी, श्री — कानपुर देहात
152—माता प्रसाद पाण्डेय, श्री — सिद्धार्थनगर
153—माया प्रसाद, श्रीमती — खीरी
154—मिथलेश कुमार, श्री — शाहजहांपुर
155—मुकुल बिहारी वर्मा, श्री — बहराइच
156—मुलायम सिंह यादव, श्री — बदायूं
157—मुंशीलाल गौतम, श्री — बुलन्दशहर
158—मुश्ताक सोलंकी, हाजी — कानपुर नगर
159—मूलचन्द्र चौहान ठाकुर, श्री — बिजनौर
160—मोहन देव शंखवार, श्री — फिरोजाबाद
161—मोहम्मद आकिल उर्फ मुन्ना मियां, श्री — मुरादाबाद
162—मोहम्मद आजम खां, श्री — रामपुर
163—मोहम्मद इरशाद खां, श्री — लखनऊ
164—मोहम्मद मुजतबा सिद्दकी, श्री — इलाहाबाद
165—मोहम्मद रिजवान, श्री — मुरादाबाद
166—मोहम्मद शफीर, श्री — फतेहपुर
167—यशपाल चौधरी, श्री — खीरी
168—यशवन्त सिंह, डा0 — मुजफ्फरनगर
169—योगेन्द्र कुमार, श्री — बदायूं
170—रंगनाथ मिश्र, श्री — संत रविदास नगर भदोही

171—रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया, श्री प्रतापगढ़
172—रणवी[illegible]णा, श्री मेरठ
173—रतन लाल अहिरवार, श्री झांसी
174—रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री कुशीनगर
175—रमेश चन्द्र बिन्द, डा0 मिर्जापुर
176—रविन्द्र पुण्डीर, प्रो0 मेरठ
177—राकेश पाण्डेय, श्री अम्बेडकर नगर
178—राकेश सचान, श्री कानुपर देहात
179—राज किशोर सिंह, श्री बस्ती
180—राजनाथ यादव, श्री वाराणसी
181—राजपाल सिंह बालियान, श्री मुजफ्फरनगर
182—राजपाल सिंह सैनी, श्री मुजफ्फरनगर
183—राजरानी रावत, श्रीमती बाराबंकी
184—राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री प्रतापगढ़
185—राजेन्द्र प्रसाद यादव, श्री लखनऊ
186—राजेन्द्र सिंह चौहान, श्री एटा
187—राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
188—राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
189—राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
190—राबिया कलाम, श्रीमती वाराणसी
191—राम इकबाल सिंह, श्री बलिया
192—राम करन आर्य, श्री बस्ती
193—राम किशुन, श्री चन्दौली
194—राम कृपाल, श्री इलाहाबाद
195—राम कृष्ण, श्री सीतापुर
196—राम गोविन्द चौधरी, श्री बलिया
197—राम चन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
198—रामनाथ, श्री प्रतापगढ़
199—राम पाल यादव, श्री सीतापुर
200—राम पाल वर्मा, श्री हरदोई
201—राम बाबू हरित, डा0 आगरा
202—राम बिशुन आजाद, श्री गोण्डा
203—राम लाल अकेला, श्री रायबरेली
204—रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
205—राम शंकर पाल, श्री उन्नाव
206—राम सेवक , श्री सुल्तानपुर
207—राम स्वरूप सिंह, श्री कानपुर देहात
208—राम स्वरूप सिंह, श्री बिजनौर
209—रामहेत भारती, श्री सीतापुर
210—रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
211—रिजवान अहमद खां, श्री ज्योतिबाफूले नगर
212—रियाज अहमद , श्री पीलीभीत
213—लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 मेरठ
214—लल्लू सिंह, श्री फैजाबाद
215—लालजी टण्डन, श्री लखनऊ
216—लाल बहादुर यादव, श्री जौनपुर
217—वसीम अहमद , श्री आजमगढ़
218—विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
219—विजय कुमार मिश्रा, श्री संत रविदास नगर भदोही
220—विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
221—विजय सिंह, श्री सोनभद्र
222—विद्या चौधरी, श्रीमती आजमगढ़
223—विद्या सागर गुप्ता, श्री लखनऊ
224—विनय शाक्य, श्री औरैया
225—विनोद कुमार सिंह, श्री जौनपुर
226—विनोद तिवारी, डा0 पीलीभीत
227—विमल कृष्ण अग्रवाल, श्री बदायूं
228—विमला राकेश, श्रीमती सहारनपुर
229—विश्राम सिंह यादव, श्री, हरदोई
230—वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना", श्री शाहजहांपुर

231—वीरेन्द्र सिंह गंगवार, श्री बरेली
232—शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री सन्त रविदास नगर भदोही
233—शब्बीर, श्री बहराइच
234—शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
235—शरदवीर सिंह, श्री शाहजहांपुर
236—शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
237—शारदा देवी, श्रीमती गोरखपुर
238—शारदा नन्द अंचल, श्री बलिया
239—शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
240—शिव कुमार बेरिया, श्री कानपुर देहात
241—शिव चरन प्रजापति, श्री हमीरपुर
242—शिव तपस्या पासवान, श्री चन्दौली
243—शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर
244—शिवाकान्त ओझा, प्रोफेसर प्रतापगढ़
245—शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री महराजगंज
246—शिशुपाल सिंह यादव, श्री एटा
247—श्याम देव राय चौधरी, श्री वाराणसी
248—श्याम प्रकाश , श्री हरदोई
249—श्याम लाल रावत, श्री सीतापुर
250—श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
251—श्याम सूरत उपाध्याय, श्री इलाहाबाद
252—श्रीराम भारती, श्री मिर्जापुर
253—संजय गर्ग, श्री सहारनपुर
254—संजीव दरियाबादी, श्री कानपुर नगर
255—संदीप अग्रवाल, श्री मुरादाबाद
256—सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
257—सत्तो देवी, श्रीमती सहारनपुर
258—सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले) , श्री मेरठ
259—सदल प्रसाद, श्री गोरखपुर
260—सन्ध्या कठेरिया, कु0 मैनपुरी
261—समर पाल सिंह, श्री बागपत
262—सलिल विशनोई, श्री कानपुर नगर
263—सिया राम सागर, डा0 बरेली
264—सुखदेव राजभर, श्री आजमगढ़
265—सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा
266—सुन्दर लाल , श्री उन्नाव
267—सुन्दर सिंह, श्री बुलन्दशहर
268—सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री जौनपुर
269—सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
270—सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री लखनऊ
271—सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री लखनऊ
272—सुशील चौधरी, डा0 सहारनपुर
273—सूरज सिंह शाक्य, श्री एटा
274—सोमारू राम सरोज, श्री जौनपुर
275—सोवरन सिंह, श्री मैनपुरी
276—स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री रायबरेली
277—हरि ओम यादव, श्री फिरोजाबाद
278—हरि प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
279—हरि शंकर तिवारी, श्री गोरखपुर
280—हीरा लाल गौतम, श्री आजमगढ़
281—हुकुम सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
282—होशियार सिंह, श्री बुलन्दशहर

नोट—परिवार कल्याण मंत्री (श्री अहमद हसन), औद्योगिक विकास मंत्री (श्री ख्वाजा हलीम), प्रोटोकाल, नागरिक उड्डयन एवं राज्य सम्पति राज्य मंत्री (श्री बनवारी सिंह यादव) एवं उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (श्री राम आसरे विश्वकर्मा) भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

आज की कार्य सूची के प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था

श्री अध्यक्ष--

जो प्रश्न हैं, यह उत्तरित माने जायेंगे। जितने आज के प्रश्न हैं, उत्तरित माने जायेंगे।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

उ0 प्र0 राज्य कर्मचारियों को माह जुलाई, 2005 से देय मंहगाई भत्ते के भुगतान का प्रकरण

**1--श्री ओम प्रकाश पाण्डेय तथा श्री राम पाल वर्मा--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की देय किस्तों का भुगतान जून एवं दिसम्बर माह के वेतन के साथ किये जाने की नीति रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार जुलाई, 05 से देय महंगाई भत्ते के भुगतान हेतु आदेश जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)--

जी नहीं।

जुलाई, 2005 से देय महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त के भुगतान का निर्णय लिया जा चुका है।

आदेश यथाशीघ्र जारी किये जायेंगे।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश की चीनी मिलों के उत्पादन मूल्यों में अन्तर कम किये जाने की मांग

**2--डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश की चीनी मिलों में चीनी कि उत्पादन मूल्यों में व्यापक अन्तर है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस अन्तर को कम करने की कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

प्रदेश की चीनी मिलों में चीनी उत्पादन मूल्यों में अन्तर है।

जी नहीं।

प्रदेश में स्थित चीनी मिलों के चीनी उत्पादन मूल्यों में अन्तर होने का कारण मुख्यत: गन्ना उत्पादन क्षेत्र की भूमि संरचना, सिंचाई, जलवायु, मौसम, गन्ने की प्रजातियों, बीज की गुणवत्ता, गन्ने की उपलब्धता व चीनी परता, चीनी मिल इकाईयों के प्रबन्धन, स्थापित यंत्रों की तकनीकी स्थिति एवं क्षमताओं में अन्तर होना है। इसके अतिरिक्त नई एवं पुरानी चीनी मिलों में भी उत्पादन लागत में तकनीकी कारणों से भी अन्तर रहता है । अत: प्रदेश की चीनी मिलों में चीनी उत्पादन मूल्यों में अन्तर आना स्वाभाविक है, जिस कारण कोई कार्य योजना बनाना कठिन होगा।

तारांकित प्रश्न

प्रदेश के शहरी व ग्रामीण अस्पतालों के बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेन्ट परियोजना के अन्तर्गत कचरा प्रबन्धन की कार्य योजना का विवरण

*1--श्री श्याम देव राय चौधरी--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र सरकार द्वारा राज्य के शहरी व ग्रामीण अस्पतालों के बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेन्ट परियोजना के अन्तर्गत कचरा प्रबन्धन की कोई कार्य योजना संचालित है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत विनियमित जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबन्धन और हस्तन) नियम, 1998 के प्राविधानों के तहत विभाग द्वारा बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ एवं यू0 एच0 एम0 चिकित्सालय, कानपुर नगर में एक-एक इन्सीनरेटर का संचालन सफलतापूर्वक किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त संस्थाओं द्वारा स्थानीय नगर निगमों से अनुबन्ध कर क्रमशः वाराणसी, इलाहाबाद, बरेली, आगरा, मेरठ, मुरादाबाद तथा गाजियाबाद में ट्रीटमेन्ट फैसिलिटी के अन्तर्गत इन्सीनरेटर आदि आवश्यक उपकरणों की स्थापना कराई गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश की महिलाओं को ब्लाक स्तर पर प्रसूति सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु महिला चिकित्सक की तैनाती की मांग

*2--श्री राम इकबाल सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार महिलाओं को प्रसूति सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु ब्लाक स्तर पर महिला चिकित्सक तैनात किये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

प्रदेश स्तर पर कैडर रिव्यू के पश्चात् ब्लाक स्तर पर महिलाओं को प्रसूति सुविधा उपल्ब्ध कराये जाने हेतु सामान्य उप संवर्ग/विशेषज्ञ उप संवर्ग के कुल 739 पद स्वीकृत हैं जिसके सापेक्ष सामान्य/विशेषज्ञ उप संवर्ग की कुल 370 महिला चिकित्सक तैनात हैं तथा 369 महिला चिकित्सक की कमी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में निजी क्षेत्र में कार्यरत चिकित्सकों के उपचार गृहों के लिये एकीकृत पंजीकरण व्यवस्था लागू किये जाने की मांग

*3--डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में निजी क्षेत्र में कार्यरत चिकित्सकों या उनके उपचार गृहों की वर्तमान में कितने प्रकार के पंजीकरण कराने होते हैं ? क्या सरकार इसको समाप्त कर एकीकृत पंजीकृत व्यवस्था लागू किये जाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

चिकित्सकों द्वारा प्राप्त चिकित्सकीय अर्हता के अनुसार (क) सम्बन्धित पद्धति को स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा पंजीकरण किया जाता है। (ख) निजी क्षेत्र में कार्यरत चिकित्सकों तथा उनके उपचार गृहों का पंजीकरण उनके जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जाता है । (ग) साथ ही नगर निगम के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों के निजी चिकित्सकों व उनके उपचार गृहों का पंजीकरण नगर स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा भी किया जाता है।

ऐसी कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर के बी0 आर0 डी0 मेडिकल कालेज में एम0 सी0 आई0 मानक के अनुरूप कार्यरत शिक्षक

*4--डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बी0 आर0 डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में एम0 सी0 आई0 के मानक के अनुरूप विभिन्न विभागों में प्रोफेसर, एसोसियेट प्रोफेसर, असिसटेन्ट प्रोफेसर के कितने शिक्षक होने चाहिये तथा वर्तमान में कितने शिक्षक कार्यरत हैं ? मानक के अनुसार उनकी कब तक नियुक्तियां कर दी जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

बी0 आर0 डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में एम0 सी0 आई0 के मानक के अनुरूप विभिन्न विभागों में 22 प्रोफेसर, 38 एसोसिएट प्रोफेसर तथा 55 असिस्टेन्ट प्रोफेसर/लेक्चरर होने चाहिये। वर्तमान में 14 प्रोफेसर, 21 एसोसिएट प्रोफेसर तथा 09 असिस्टेट प्रोफेसर कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त पी0 एम0 एच0 एस0 संवर्ग के 11 डाक्टर सेवा स्थानान्तरण के आधार पर लेक्चरर के पद पर कार्यरत है।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद में ब्लड की कमी को पूरा किये जाने के उपाय

*5--डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि 50 लाख की आबादी वाले इलाहाबाद जिले को प्रतिदिन औसतन 1500 यूनिट ब्लड की आवश्यकता रहती है। परन्तु सरकारी व निजी ब्लड बैंकों से 500 यूनिट ब्लड ही उपलब्ध हो पाता है ? यदि हां, तो सरकार ब्लड की कमी को पूरा करने हेतु कोई उपाय कर रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी नहीं।

जनपद इलाहाबाद में निजी क्षेत्र में इन्दिरा डायग्नोस्टिक सेन्टर एवं ब्लड बैंक व इलाहाबाद मेडिकल एसोसियेशन ब्लड बैंक तथा सरकारी क्षेत्र के स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय में व मोतीलाल नेहरू चिकित्सालय में ब्लड बैंक स्थापित हैं जिनके द्वारा प्रतिदिन लगभग 100 यूनिट ब्लड की आपूर्ति की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बढ़ती हुई आबादी को कम किये जाने की कार्य-योजना

*6--श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"--

क्या सरकार प्रदेश में बढ़ती हुई जनसंख्या को कम करने के लिये कोई नई कार्य योजना बनाये जाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवार कल्याण मंत्री (श्री अहमद हसन)--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बढ़ती हुई आबादी को एक समय-सीमा के अन्तर्गत नियंत्रित करने तथा प्रदेश में जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रदेश की अपनी जनसंख्या नीति वर्ष 2000 में प्रख्यापित की गयी है। यह एक विस्तृत कार्य-योजना है, जो वर्ष 2016 तक लागू रहेगी।

प्रदेश में कालाजार रोग के निराकरण हेतु कार्य योजना

*7--श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में कालाजार रोग से प्रतिवर्ष सैकड़ों लोगों की मौत हो जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस रोग के निराकरण हेतु कोई कार्य योजना बना रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

विगत तीन वर्षों में पाये गये रोगियों एवं इससे हुई मृत्यु का विवरण निम्नवत् है :--

वर्ष	प्रभावित जनपदों की संख्या	कालाजार रोगियों की संख्या	मृतकों की संख्या
2003	02	33	00
2004	04	36	02
2005	04	52	02

जी हां।

भारत सरकार के निर्देशानुसार कालाजार रोग को एलिमिनेट करने का लक्ष्य 2010 तक रखा गया है, जिसके अन्तर्गत रोगियों का सर्वेक्षण कर उनका उपचार करना है तथा प्रभावित ग्रामों में डी0 डी0 टी0 कीटनाशक का अवशेषी छिड़काव व जनसामान्य को रोग से बचाव के लिये आवश्यक स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के संवासी आश्रम के संवासियों को 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर रोजागार उपलब्ध कराये जाने की मांग

*8--श्री संजीव दरियाबादी--

क्या महिला कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में संवासी आश्रम में रह रहे बालकों व बालिकाओं को 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद बिना रोजगार उपलब्ध कराये संवासी आश्रमों से निष्कासित कर दिया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसी कोई योजना बनाये जाने पर विचार करेगी जिसमें बिना रोजगार उपलब्ध कराये उन्हें संवासी आश्रमों से निष्कासित न

महिला कल्याण एवं संस्कृति राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री राजेन्द्र सिंह राणा)--

जी नहीं।

18 वर्ष की आयु पूर्ण होने के उपरान्त बिना रोजगार प्राप्त संवासी/संवासिनियों के लिये विभाग में राजकीय पाश्चात्वर्ती देख-रेख संगठन संचालित है।

महिला संवासिनियों को विवाह हेतु रु0 15000/- एवं संवासिनियों को स्वत: रोजगार हेतु रु0 7000/- दिए जाने की भी व्यवस्था है।

प्रदेश में इन्सेफेलाइटिस से प्रभावित जिले एवं उक्त जिलों में निराकरण की कार्य योजना

*9--श्री जगदम्बिका पाल--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में इन्सेफेलाटिस से प्रभावति जिले कौन-कौन से हैं ? उक्त जिलों में इस बीमारी के निराकरण हेतु कोई कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ? क्या यह सही है कि उक्त बीमारी से पीड़ित सैकड़ों मरीज बी0 आर0 डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर मे अभी भी भर्ती है ? वर्तमान में उक्त कार्यक्रमों को क्या बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

इन्सेफेलाइटिस रोग से प्रदेश के निम्न 34 जनपद प्रभावित रहे हैं :--

फतेहपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, सुल्तानपुर, बाराबंकी, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोण्डा, मऊ, आजमगढ़, बलिया, बस्ती, सिद्धार्थनगर, सन्त कबीरनगर, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, महराजगंज, कानपुर नगर, लखनऊ, हरदोई, खीरी, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, जौनपुर, गाजीपुर, सहारनपुर, तथा मुजफ्फरनगर।

जी हां, जे0 ई0 रोग पर नियंत्रण हेतु मस्तिष्क ज्वर (जे0 ई0) नियंत्रण कार्य योजना, 2005 बनायी गयी है। मस्तिष्क ज्वर (जे0 ई0) नियंत्रक कार्य योजना, 2005 के अन्तर्गत प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिक्षा, वेक्टर नियंत्रण, रोगियों की उपचार व्यवस्था, रोग नियंत्रण हेतु टीकाकरण, सुअर मच्छरों के सम्पर्क को रोकने हेतु निरोधात्मक उपाय मनुष्य मच्छर के सम्पर्क को रोकने हेतु निरोधात्मक उपाय तथा कीटनाशकों का छिड़काव एवं फागिंग सम्मिलित है।

दिनांक 14-02-2006 तक बी0 आर0 डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में उक्त बीमारी से कुल भर्ती मरीजों की संख्या 04 है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों को असाध्य रोगों हेतु सस्ती दर पर इलाज की व्यवस्था

*10--श्री सुरेश कुमार खन्ना--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्तियों के लिए कैंसर, हृदय रोग, एड्स, लीवर सिरोसिस बीमारियों के लिये सस्ती दर पर इलाज की कोई व्यवस्था की गई है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इन गम्भीर बीमारियों का सस्ती दरों पर इलाज किये जाने हेतु कोई व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों (सफेद राशन कार्ड धारकों) की नि:शुल्क चिकित्सा व्यवस्था का प्राविधान है।

उपरोक्त व्यवस्था लागू है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कुत्ता काटने की एण्टी रैबीज इन्जेक्शन मांग के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने की मांग

*11--कुंवर भारतेन्दु सिंह--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि क्या प्रदेश में प्रति वर्ष लगभग 2000 व्यक्तियों की कुत्ता के काटने से मृत्यु हो जाती है ? क्या इसकी रोकथाम के लिये प्रदेश को पन्द्रह लाख एण्टी रैबीज इन्जेक्शनों की आवश्यकता है ? क्या यह सही है कि इस वर्ष सरकार ने केवल पांच लाख वैक्सीन ही उपलब्ध करायी है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा मांग के अनुरूप एण्टी रैबीज इन्जेक्शन उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई उपाय किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी नहीं।

जनपदों की आवश्यकता के अनुसार आपूर्ति की जाती है।

जी नहीं। इस वर्ष कुल 8,83,800 (आठ लाख तिरासी हजार आठ सौ) एन्टी रैबीज वैक्सीन उपलब्ध करायी जा रही है।

उपरोक्तानुसार पर्याप्त वैक्सीन उपलब्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण निर्माण निगम के कार्यालय भवन के निर्माण की लागत एवं निर्माण कार्य पूर्ण कराने की मांग

1--श्री प्रदीप जैन आदित्य--

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि समाज कल्याण निर्माण निगम, उ0 प्र0 के कार्यालय भवन, गोमती नगर, लखनऊ के निर्माण पर लगभग साढ़े तीन करोड़ रुपया व्यय किया गया है ? क्या यह सही है कि इसकी लागत वर्ष 2001 में 8 करोड़ रुपये थी जो अब बढ़कर 13 करोड़ हो गयी है ? क्या वर्ष 2003 से उक्त भवन का निर्माण कार्य रोक दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त निर्माण कार्य को पूरा करायेगी यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)--

जी नहीं।

प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम द्वारा अवगत कराया गया है कि उ0 प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0, के कार्यालय भवन, गोमती नगर, लखनऊ के निर्माण पर वर्ष 2000-01 से तद्दिनांक (6 दिसम्बर, 2005) तक रुपये 124.09 लाख का व्यय किया गया है। प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम के अनुसार कार्यालय भवन की लागत रु0 648.25 लाख पर निगम के निदेशक मण्डल द्वारा प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। उक्त लागत उ0 प्र0 लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा स्वीकृत कुर्सी, क्षेत्रफल दरें जो दि0 01-07-2000 से प्रभावी थीं, पर आगणित की गयी थी।

कार्यालय भवन का निर्माण कार्य वर्ष 2004 से रुका हुआ है।

नये सरकारी कार्यालय भवन/आवासीय भवन के निर्माण पर प्रतिबन्ध से सम्बन्धित मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 1135/दस/स0 वि0 मित0--1--99, दिनांक 10 सितम्बर, 1999 एवं प्रमुख सचिव, वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग के शासनादेश संख्या--स0--सी0 ए0--1268/दस--04--मित0--1/99, दिनांक 28 सितॅम्बर, 2004 के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नगत कार्यालय भवन के सम्बन्ध में शासन के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 3106/स0 क0 /2004, दिनांक 8-11-2004 द्वारा प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम, लखनऊ को तदनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये ।

प्रकरण शासन के विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद वाराणसी के इण्डियन रेडक्रास सोसाइटी के पदाधिकारियों द्वारा सोसाइटी के विपरीत कार्य करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र

2--श्री श्याम देव राय चौधरी--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इण्डियन रेडक्रास सोसाइटी जिला शाखा, वाराणसी के पदाधिकारियों द्वारा सोसाइटी के विपरीत कार्य करने, संस्था की गतिशीलता को ठप्प करने से सम्बन्धित प्रश्नकर्त्ता का 11 (ग्यारह) सूत्रीय शिकायती-पत्र दिनांक 07-11-05 उन्हें प्राप्त हुआ है ? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पूर्व में भेजे गये पत्र दिनांक 27-9-04 तथा 17-3-05 भी सरकार को प्राप्त हुआ है यदि हां, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

जी हां।

शिकायती बिन्दुओं के विषय में विस्तृत जांच करायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश सचिवालय एलोपैथिक डिस्पेंसरी, लखनऊ को वर्ष 2004 व 2005 में दिये गये लोकल परचेज हेतु धन एवं एल0 पी0 के नामपर फर्जी दवाओं की खरीद की जांच का प्रकरण

3--श्री राम करन आर्य--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 सचिवालय एलोपैथिक डिस्पेंसरी, लखनऊ को वर्ष 2004 व 2005 में कितना धन लोकल परचेज की दवाओं की खरीद हेतु प्राप्त हुआ है ? क्या एल0 पी0 के नाम पर फर्जी दवाओं की खरीद दिखाकर चिकित्सकों द्वारा भुगतान किया गया है यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की उच्च स्तरीय जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

वित्तीय वर्ष 2004-2005 में औषधि तथा रसायन मद में औषधियों की खरीद हेतु कुल आवंटन रु0 63,50,000.00 मात्र प्राप्त हुआ। स्थानीय क्रय के लिये अलग से कोई बजट का प्राविधान नहीं है। उक्त आवंटन में से रु0 14,36,454.00 की औषधियां लोकल परचेज की गयी।

शासन के पत्रांक--87 ए0 क्यू0/पांच-1-2005, दिनांक 08-12-2005 द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को प्रकरण की जांच कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ की एलोपैथिक डिस्पेंसरी में कार्यरत चिकित्सकों एवं अन्य कर्मियों की तैनाती अवधि एवं स्थानान्तरण

4--श्री राम करन आर्य--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ में एलोपैथिक डिस्पेंसरी में चिकित्सकों व अन्य कर्मियों की तैनाती अवधि दो वर्ष निर्धारित की गयी है ? यदि हां, तो उक्त डिस्पेंसरी में दो वर्ष से अधिक कौन-कौन चिकित्साधिकारी तैनात हैं ? क्या सरकार उन्हें अन्यत्र स्थानान्तरित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

डा0 एन0 बी0 सिंह, चिकित्साधिकारी का कार्यकाल 02 वर्ष से अधिक एवं डा0 वन्दना वर्मा, चिकित्साधिकारी का कार्यकाल 03 वर्ष से अधिक का हो गया है।

जी हां।

अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने की कार्यवाही नीति के अन्तर्गत की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के विकास खण्ड शिकारपुर पहासू में मच्छरों की वृद्धि से बीमारियों की रोकथाम हेतु कीटनाशक के छिड़काव की मांग

5--श्री मुंशी लाल गौतम--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के विकास खण्ड शिकारपुर पहासू में मच्छर बहुत अधिक हो गये हैं जिससे बीमारियां फैल रही है ? क्या मुख्य मंत्री कार्यालय का

पत्र संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम0-131766/2005, दिनांक 13-9-05 उक्त क्षेत्रों में मच्छर मारने की दवा छिड़कने आदि के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

मच्छर जनित रोगों, मलेरिया, डेंगू आदि में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

जी हां।

वर्णित क्षेत्रों में दिनांक 12-6-2005 से 7-8-2005 एवं 28-7-2005 से 17-9-2005 के मध्य दो चक्रों में कीटनाशक छिड़काव कराया गया ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद में मुख्य मंत्री द्वारा माह सितम्बर, 2005 में तीन मण्डलों की बैठक में जनप्रतिनिधियों के सुझावों/प्रतिवेदनों पर कृत कार्यवाही

6--डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि 26 सितम्बर, 2005 को इलाहाबाद में तीन मण्डलों की बैठक में मा0 मुख्य मंत्री ने जनप्रतिनिधियों को उनके विभिन्न सुझावों एवं प्रस्तुत प्रतिवेदनों पर एक सप्ताह में निर्णय कराके लिखित कार्यवाही की सूचना देने का स्पष्ट आश्वासन दिया था ? यदि हां, तो अभी तक जनप्रतिनिधियों को उनके सुझावों/प्रतिवेदनों पर कृत कार्यवाही की जानकारी उपलब्ध न कराये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार उपरोक्त बैठक के सम्बन्ध में लिये गये निर्णयों से जनप्रतिनिधियों को व्यक्तिगत रूप से अवगत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

दिनांक 26-9-05 को इलाहाबाद में तीन मण्डलों की बैठक में मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा जनप्रतिनिधियों को उनके विभिन्न सुझावों/प्रस्तुत प्रतिवेदनों पर शीघ्र कार्यवाही कर मा0 जनप्रतिनिधियों को अवगत कराने के लिए निर्देश दिये गये थे।

सम्बन्धित जनप्रतिनिधियों के विभिन्न पत्रों पर आवश्यक कार्यवाही कराकर मा0 जनप्रतिनिधियों को अवगत कराये जाने हेतु सम्बन्धित विभागों को आदेश दिये जा चुके हैं कि वे उन पर आवश्यक कार्यवाही कर मा0 जनप्रतिनिधियों को अवगत करायें।

उपरोक्त बैठक में प्राप्त प्रतिवेदनों पर लिये गये निर्णयों से सम्बन्धित विभाग द्वारा मा0 जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया जायेगा।

बी0 आर0 डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में अगस्त से अक्टूबर, 2005 तक काक्सेकी-बी इन्सेफेलाइटिस के भर्ती मरीजों की संख्या

7--डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बी0 आर0 डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में काक्सेकी-बी इन्सेफेलाइटिस के कितने मरीज 1 अगस्त, 2005 से अक्टूबर, 2005 के बीच भर्ती किये गये ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

बी0 आर0 डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में दिनांक 01 अगस्त, 2005 से 01 अक्टूबर, 2005 तक काक्सेकी-बी इन्सेफेलाइटिस के 21 (इक्कीस) मरीज भर्ती हुये।

जनपद सोनभद्र के जिला चिकित्सालय में मानक के अनुरूप चिकित्सकों एवं कर्मचारियों के रिक्त पदों पर नियुक्तियों के लिए प्रेषित अधियाचन

8--श्री परमेश्वर दयाल--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र के जिला चिकित्सालय में मानक के अनुरूप चिकित्सक एवं अन्य कर्मचारी कार्यरत हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार रिक्त पदों पर नियुक्तियां करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी नहीं।

चिकित्सकों एवं अन्य कर्मचारियों के अभाव के कारण।

जी हां, चिकित्सकों एवं अन्य कर्मचारियों की समुचित उपलब्धता होने पर। 2126 चिकित्सकों की भर्ती हेतु लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजा गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सोनभद्र के नक्सल प्रभावित विकास खण्डों के आदिवासी क्षेत्रों के बच्चों की शिक्षा हेतु आश्रम पद्धति विद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव

9--श्री परमेश्वर दयाल--

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद सोनभद्र के नक्सल प्रभावित विकास खण्ड, नगवां, चतरा एवं चोपन के आदिवासी क्षेत्रों में बच्चों को पढ़ने हेतु आश्रम पद्धति विद्यालय खोलने की योजना सरकार के विचारधीन है ? यदि हां, तो इसे कब तक लागू कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद--

जनपद सोनभद्र में अनुसूचित जनजाति के बालक एवं बालिकाओं को पढ़ने के लिए एक-एक नए आश्रम पद्धति विद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। आश्रम पद्धति विद्यालय का निर्माण जिलाधिकारी द्वारा भूमि की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बांदा के जिला चिकित्सालय में मानक के अनुरूप चिकित्सक एवं स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने की मांग

10--श्री बाबूलाल कुशवाहा--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद मुख्यालय पर स्थित राजकीय चिकित्सालय में चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त चिकित्सालय में मानक के अनुसार चिकित्सकों की तैनाती तथा अन्य स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

बांदा जनपद मुख्यालय पर स्थित राजकीय चिकित्सालय में चिकित्सकों के समस्त श्रेणी के स्वीकृत 26 पदों के सापेक्ष 15 चिकित्सक तैनात है तथा 11 पद रिक्त है। चिकित्सालय में 103 शय्या स्वीकृत है। औषधियों एवं उपकरणों की सुविधा मानक के अनुरूप उपलब्ध है।

प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2004 द्वारा जिला चिकित्सालयों में लेवेल-3 एवं 4 के पद ही सृजित हैं। उक्त लेवेल के चिकित्सक विशेषज्ञता के अनुसार उपलब्धता के आधार पर तैनात किया जाएगा। अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं।

चिकित्सकों के संवर्ग पुनर्गठन के उपरान्त तैनाती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय के वरिष्ठ लिपिक के विरुद्ध अनियमितताओं की जांच रिपोर्ट

11--श्री भगेलू राम--

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0 प्र0 के अन्तर्गत कार्यरत वरिष्ठ लिपिक के विरुद्ध अनियमितताओं की जांच हेतु श्री रामकृष्ण, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिये गये शिकायती-पत्र दिनांक 05-8-2003 पर जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा करायी गयी जांच में मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ की आख्या/निष्कर्ष दिनांक 27-09-2005 के आधार पर दोषी के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

अल्पसंख्यक एवं हज राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (हाजी याकूब कुरैशी)--

जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा कराई गयी जांच में मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ की आख्या/निष्कर्ष दिनांक 27-09-2005 के परीक्षणोपरान्त किसी कर्मचारी को दोषी नहीं पाया गया।

उपरोक्तानुसार।

जनपद झांसी में विशिष्ट चिकित्सा संस्थान बनाये जाने की मांग

12--श्री बृजेन्द्र कुमार व्यास उर्फ डमडम महाराज--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार बुन्देलखण्ड क्षेत्र के झांसी में विशिष्ट चिकित्सा संस्थान बनाये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर के संयुक्त जिला चिकित्सालय में कनिष्ठ लिपिक के पद पर कार्यरत श्री कृष्ण कुमार गुप्ता को अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने की मांग

13--श्री जगदम्बिका पाल--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री कृष्ण कुमार गुप्ता, संयुक्त जिला चिकित्सालय, सिद्धार्थनगर में पिछले 14 वर्षों से कार्यरत हैं ? क्या सतर्कता विभाग, लखनऊ ने दिनांक 4-1-1997 को श्री गुप्ता को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था ? क्या यह सही है कि श्री गुप्ता अभी भी उपरोक्त पद पर ही कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार श्री गुप्ता को अन्यत्र स्थानान्तरित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी नहीं, श्री कृष्ण कुमार गुप्ता, कनिष्ठ लिपिक, संयुक्त जिला चिकित्सालय, सिद्धार्थनगर में वर्ष 1995 से कार्यरत है।

जी हां।

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के आदेश दिनांक 30-11-99 द्वारा श्री कृष्ण कुमार गुप्ता का स्थानान्तरण मुख्य चिकित्साधिकारी, महराजगंज के अधीन किया गया था। इसके विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 64120/1999 में पारित मा0 न्यायालय के निर्णय दिनांक 04-01-2000 द्वारा श्री गुप्ता के स्थानान्तरण को अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दिया गया है।

जिला चिकित्सालय सिद्धार्थनगर में तैनात आर्थोसर्जन डा0 विमल कुमार द्विवेदी के स्थायी निवास के प्रकरण की जांच

14--श्री जगदम्बिका पाल--

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला चिकित्सालय, सिद्धार्थनगर में तैनात आर्थो सर्जन डा0 विमल कुमार द्विवेदी ने रजिस्ट्रेशन के समय ग्राम सुगही, थाना ब्लाक, डाकखाना उस्का बाजार, जनपद सिद्धार्थनगर कें मूल निवासी दर्शाया है ? क्या यह सत्य है कि नौकरी में आने के उपरान्त सरकारी अभिलेखों में डा0 द्विवेदी ने अपना पता झारखण्डी टुकड़ा नं0-1, दिव्य नगर, म0 नं0 1272 तप्पा हवेली, परगना हवेली, तहसील सदर, जिला गोरखपुर में विगत 10 वर्षों से तथा मूल निवास देवरिया बताया है ? यदि हां, तो क्या इस भिन्नता की जांच अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर द्वारा किये जाने पर श्री द्विवेदी को गलत सूचना/भ्रामक अभिलेख प्रस्तुत करने पर दोषी पाया गया है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उपरोक्त प्रकरण में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

डा0 विमल कुमार द्विवेदी की सेवा-पुस्तिका में स्थायी निवास का पता जनपद गोरखपुर अंकित है।

प्रकरण की जांच महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के अदेशानुसार अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर से करायी गयी, जिनके द्वारा अपनी जांच आख्या दिनांक 22-10-2001 प्रस्तुत की गयी। शासन द्वारा दिनांक 17-10-03 को जिला अधिकारी, सिद्धार्थनगर से जांच आदेशित की गयी जिन्होंने स्थायी अधिसूचना इकाई तथा उपजिलाधिकारी, नौगढ़ की जांच आख्याओं के आधार पर डा0 विमल कुमार द्विवेदी का गृह जनपद गोरखपुर बताया गया। उनकी सेवा-पुस्तिका में भी स्थायी निवास का पता जनपद गोरखपुर ही अंकित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नही उठता।

15--डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल--

[आरक्षण समिति के विचारधीन होने के कारण निरस्त]

प्रदेश के चिकित्सा विभाग में कार्यरत डार्क रूम सहायक को एक्सरे-टेक्नीशियन के पद पर समायोजन की मांग

16--श्री मुकुट बिहारी वर्मा--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या चिकित्सा विभाग के अन्तर्गत डार्क रूम सहायक, जो एक्सरे-टेक्नीशियन का विभागीय प्रशिक्षण प्राप्त है, को एक्सरे-टेक्नीशियन पद पर समायोजित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

संगत सेवा नियमावली में ऐसा कोई प्राविधान न होने के कारण।

जनपद जालौन में बाल विकास विभाग में कार्यरत वरिष्ठ सहायकों का जनपद से बाहर स्थानान्तरण

17--श्री राम पाल वर्मा--

क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री कृपया बतायेंगे कि बाल विकास विभाग जनपद जालौन के अन्तर्गत विगत दो वर्षों में कितने वरिष्ठ सहायकों का स्थानान्तरण जनपद के बाहर किया गया है ? स्थानान्तरित वरिष्ठ सहायकों में से कितने कार्यमुक्त किये गये हैं तथा कितने अभी कार्यरत हैं ? क्या सरकार कार्यमुक्त न करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)--

विगत 2 वर्षों 2003-04 व 2004-05 में बाल विकास विभाग जनपद जालौन में क्रमश: एक-एक वरिष्ठ सहायक का स्थानान्तरण जनपद से बाहर किया गया है।

स्थानान्तरित किये गये दोनों वरिष्ठ सहायक कार्यमुक्त किये जा चुके हैं तथा उनमें से कोई भी अब जनपद जालौन में कार्यरत नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कोहडोर में की जा रही अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार की जांच

18--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र पर मा0 मुख्य मंत्री का पत्र सं0 सी0एम0/वि0को0/एम-126609/05, दिनांक 16-6-05 एवं ख-3/378056, दिनांक 7-6-05 एवं उनका आदेश सं0 सी0एम0/वि0को0/एम-124358/05, दिनांक 4-5-05 जो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोहडोर, प्रतापगढ़ में की जा रही अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में है प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद से जांच करायी गयी। जांच आख्या का परीक्षण करने पर पाया गया कि शिकायती बिन्दुओं की विवेचना में कतिपय बिन्दुओं पर जांच आख्या स्पष्ट नहीं है। अतएव जांच अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वे उक्त बिन्दुओं पर भी जांच आख्या उपलब्ध करायेंगे।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोहडोर के अधीक्षक तथा उपमुख्य चिकित्साधिकारी के विरुद्ध जांच कराये जाने विषयक शिकायती-पत्र

19--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोहडोर के अधीक्षक तथा उप मुख्य चिकित्साधिकारी के विरुद्ध जांच कराये जाने विषयक मुख्य मंत्री कार्यालय का पत्र सं0 सी0 एम0/वि0 को0/एम-126609/ 05, दिनांक 16-6-05 प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उसकी जांच करा ली गयी है ? जांच परिणाम क्या हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद से जांच करायी गयी। जांच आख्या का परीक्षण करने पर पाया गया कि शिकायती बिन्दुओं की विवेचना में कतिपय बिन्दुओं पर जांच आख्या स्पष्ट नहीं है। अतएव जांच अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वे उक्त बिन्दुओं पर भी जांच आख्या उपलब्ध करायेंगे।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ में जिला नियोजन समिति द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मानापुर के विस्तार किये जाने की स्वीकृति

20--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला नियोजन समिति, प्रतापगढ़ द्वारा जिला योजना में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मानापुर के विस्तार किये जाने की स्वीकृति प्रदान करके क्या परिव्यय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है ? यदि हां, तो निर्माण कार्य शुरू किये जाने हेतु शासनादेश कब तक निर्गत कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

दिनांक 25-01-06 को वित्तीय स्वीकृति के आदेश निर्गत कर दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

21--श्री राम नरेश यादव--

[कई विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

प्रदेश में अनुसूचित जाति में मुख्य चिकित्साधिकारी तथा उप मुख्य चिकित्साधिकारी की संख्या तथा आरक्षण के अनुसार जनपदों में तैनाती की व्यवस्था

22--श्री मुंशी लाल गौतम--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अनुसूचित जाति के कितने मुख्य चिकित्साधिकारी तथा उप मुख्य चिकित्साधिकारी हैं ? आरक्षण नीति के अनुसार क्या जनपदों में इनकी तैनाती की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? तैनाती कब तक कर दी जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

प्रदेश में अनुसूचित जाति के 01 मुख्य चिकित्साधिकारी तथा 66 उप मुख्य चिकित्साधिकारी तैनात हैं।

आरक्षण नीति में तैनाती के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था नहीं है।

प्रश्न नही उठता।

जनपद शाहजहांपुर में समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के कक्षा 1 से 10 तक वर्ष 1999-2000 से 2004-05 तक छात्रवृत्ति हेतु दी गई धनराशि का विवरण

23--श्री सुरेश कुमार खन्ना--

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशालय, समाज कल्याण विभाग, उ0 प्र0, लखनऊ से अनुसूचित जाति के कक्षा 1 से 10 तक के छात्रों को छात्रवृत्ति वितरण हेतु वर्ष 1999-2000 से वर्ष 2004-05 तक जिला समाज कल्याण अधिकारी, शाहजहांपुर को कुल कितनी धनराशि दी गयी ? उक्त वित्तीय वर्षों में प्राप्त धनराशि से जिला समाज कल्याण अधिकारी, शाहजहांपुर द्वारा कक्षा 1 से 5 तक के किन-किन प्रबन्धकीय प्राथमिक विद्यालयों को धनराशि उपलब्ध करायी गयी ? छात्रवृत्ति की धनराशि किन-किन विद्यालयों में वितरित की गयी ? क्या इसका उपभोग प्रमाण-पत्र जिला समाज कल्याण अधिकारी, शाहजहांपुर द्वारा शासन को भेजा गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद--

निदेशालय स्तर से अनुसूचित जाति के कक्षा 1 से 10 तक के छात्रों को छात्रवृत्ति योजना में निम्नवत् धनराशि आवंटित की गयी :--

क्र. सं	वर्ष	आवंटित धनराशि (रुपया लाख में)
1	99-2000	407.53
2	2000-01	346.30
3	2001-02	387.77
4	2002-03	422.74
5	2003-04	366.64
6	2004-05	417.66
	योग ..	2348.64

क्र. सं	वित्तीय वर्ष	विद्यालयों की संख्या	धनराशि (रुपयों में)
1	1999-2000	138	16,93,200
2	2000-01	117	11,65,800
3	2001-02	127	11,52,700
4	2002-03	203	15,65,700
5	2003-04	240	21,61,600
6	2004-05	54	4,32,300
	योग . .	**879**	**81,71,300**

विद्यालयों की सूची संलग्न है।

विद्यालयों की सूची †संलग्न है।

जनपदों से उपभोग प्रमाण-पत्र निदेशालय को प्राप्त होता है। उपभोग प्रमाण-पत्र जिला समाज कल्याण अधिकारी शाहजहांपुर द्वारा निदेशक समाज कल्याण को उपलब्ध कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर में समाज कल्याण विभाग द्वारा सामान्य जाति के कक्षा 1 से 10 तक वर्ष 2004-2005 में छात्रवृत्ति मद में प्राप्त हुई धनराशि

24--श्री सुरेश कुमार खन्ना--

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सामान्य जाति के कक्षा 1 से 10 तक के छात्रों के लिये वर्ष 2004-05 में जिला समाज कल्याण अधिकारी, शाहजहांपुर को छात्रवृत्ति की मद में कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई ? प्राप्त धनराशि में से जिला समाज कल्याण अधिकारी, शाहजहांपुर द्वारा अपने स्तर से कक्षा 1 से 5 तक के किन-किन प्रबन्धकीय प्राथमिक विद्यालयों को छात्रवृत्ति की धनराशि उपलब्ध करा दी गयी है ? क्या उक्त सभी विद्यालयों में बच्चों को धनराशि वितरित किये जाने का प्रमाण-पत्र जिला समाज कल्याण अधिकारी से प्राप्त हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद--

सामान्य जाति के कक्ष 1 से 10 तक के छात्रों को छात्रवृत्ति हेतु निदेशालय/शासन स्तर से वर्ष 2004-05 में रु0 219,437 लाख की धनराशि दी गई ।

164 विद्यालयों को उपलब्ध कराई गई धनराशि का विवरण संलग्न* है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

† (छापी नहीं गयी।)

*(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 100--104 पर।)

जनपद लखनऊ, आगरा, कानपुर, मथुरा तथा इलाहाबाद में शिशु सदन की स्थापना

25--डा0 सुशील चौधरी--

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जनपद-लखनऊ, आगरा, कानपुर, मथुरा, इलाहाबाद में शिशु सदन खोलने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उस पर कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह राणा--

भारत सरकार की सहमति से प्रदेश के पांच जनपदों (लखनऊ, आगरा, मथुरा, इलाहाबाद, रामपुर) में शिशु गृहों की स्थापना की जा चुकी है।

वर्तमान में जनपद कानपुर में नए शिशु गृह की स्थापना का प्रस्ताव नहीं है।

प्रश्न नही उठता।

लखनऊ के संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में वरिष्ठ जन सम्पर्क अधिकारी के पद पर कार्यरत श्रीमती मोनालिसा चौधरी के उच्चीकृत वेतनमान हेतु दायर याचिका में हुए धन के अपव्यय का मामला

26--श्री चन्द्रमणि कान्त सिंह--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि संजय गांधी आयुर्विज्ञान, संस्थान, लखनऊ द्वारा संस्थान की वरिष्ठ जन सम्पर्क अधिकारी, श्रीमती मोनालिसा चौधरी के उच्चीकृत वेतनमान हेतु दायर याचिका पर मा0 उच्च न्यायालय द्वारा अप्रैल, 2005 में पारित आदेश के विरुद्ध बिना न्याय विभाग, उ0 प्र0 शासन के परामर्श के मा0 सर्वोच्च न्यायालय में संस्थान के अधिकारियों द्वारा वाद दायर कर शासकीय धनराशि का अपव्यय करके वाद वापस ले लिया गया है तथा उसी वाद को पुन: मा0 उच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका के रूप में दाखिल किया गया, जिसमें पुन: शासकीय धन का अपव्यय किया गया है ? यदि हां, तो इस निर्णय एवं शासकीय धन के अपव्यय करने का कौन अधिकारी जिम्मेदार है ? क्या सरकार जिम्मेदारी निर्धारित करके अपव्यय हुई धनराशि की वसूली की कार्यवाही सम्बन्धित दोषी अधिकारियों से करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

श्रीमती मोनालिसा चौधरी द्वारा उच्चीकृत वेतनमान हेतु मा0 उच्च न्यायालय में दायर याचिका में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13-4-2005 के विरुद्ध मा0 उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका संस्थान के अध्यक्ष / मुख्य सचिव उ0 प्र0 शासन की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त दायर की गयी थी। मा0 उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 25-7-2005 द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की स्वतंत्रता के साथ विशेष अनुज्ञा याचिका को डिसमिस कर दिया था। मा0 उच्चतम न्यायालय के उक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में मा0 उच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दाखिल की गयी, जिसे न्याय विभाग के परामर्शानुसार वापस ले लिया गया। इसमें शासकीय व्यय का अपव्यय नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जनवरी से अक्टूबर, 2005 तक टेण्डर तथा बिना टेण्डर क्रय की गई सामग्री का विवरण

27--कुँवर आर0 पी0 एन0 सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बतानें की कृपा करेंगे कि 1 जनवरी, 2005 से 31 अक्टूबर, 2005 तक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सीतापुर द्वारा कौन-कौन सी सामग्री कितने धनराशि की टेण्डर द्वारा तथा कितनी बिना टेण्डर द्वारा क्रय की गयी है ? क्या सरकार उसकी सूची सदन के पटल पर रखेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सीतापुर द्वारा 1 जनवरी, 2005 से 31 अक्टूबर, 2005 के मध्य निम्नलिखित धनराशि की सामग्री क्रय की गयी है :--

(अ) सी0 एम0 एस0 डी0/डी0 आई0 द्वारा अनुमोदित।

1--सर्जिकल सामग्री	रु0 268200.00
2--क्लोदिंग	रु0 72792.00

(ब) टेण्डर द्वारा अनुमोदित दर पर

1--कन्टीजेन्सी	रु0 8475.00
2--स्टेशनरी	रु0 41935.00

(स) बिना टेण्डर/कुटेशन जिला क्रय समिति द्वारा अनुमोदित दर पर

1--एक्सरे फिल्म	रु0 9804.00

मा0 सदन के निर्देश पर सूची प्रस्तुत की जा सकती है।

जनपद बहराइच के जिला कार्यक्रम अधिकारी डा0 ब्रजेश कुमार वर्मा द्वारा की गई अनियमितताओं के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही एवं निलम्बन

28--श्री रामहेत भारती--

क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत जिला कार्यक्रम अधिकारी, बहराइच डा0 ब्रजेश कुमार वर्मा को गम्भीर अनियमितताओं के कारण राज्य परियोजना निदेशक, इन्दिरा भवन, लखनऊ ने अपने पत्रांक सं0 8138/बा0 वि0 परि0/स्था0 डी0 पी0 ओ0/2003-04, दिनांक 13 दिसम्बर, 2003 द्वारा विभागीय कार्यवाही के साथ-साथ निलम्बन की संस्तुति की थी ? यदि हां, तो क्या उक्त संस्तुति पर कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी--

जी हां।

प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही का अधिकार उनके पैतृक विभाग में निहित होता है। अत: इस सम्बन्ध में विभागीय कार्यवाही/निलम्बन हेतु राज्य परियोजना निदेशक आई0सी0डी0एस0-III के पत्र से दिनांक 13 दिसम्बर, 2003 को महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0 प्र0, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को लिखा गया था। इस सम्बन्ध में कार्यवाही उनके स्तर पर लम्बित है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद सहारनपुर में मेडिकल कालेज खोले जाने की मांग

29--डा0 सुशील चौधरी--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जनपद-सहारनपुर में मेडिकल कालेज खोलने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधन को देखते हुए जनपद सहारनपुर में राजकीय मेडिकल कालेज खोले जाने का प्रश्न नहीं है।

प्रदेश के राजकीय भिक्षुक गृहों तथा भिक्षुकों की संख्या एवं उनके पुनर्वास की कार्ययोजना

30--श्री रविन्द्र पुण्डीर--

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने राजकीय भिक्षुक गृह संचालित हैं और उनमें कितने भिक्षुक रह रहे हैं ? क्या भिक्षुकों के पुनर्वास हेतु सरकार द्वारा कोई उपाय किये गये हैं ? यदि हां, तो कौन से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद--

प्रदेश में 08 भिक्षुक गृह मथुरा, आगरा, कानपुर (नगर), वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ फैजाबाद (महिला एवं पुरुष अलग-अलग) स्थापित है। वर्तमान में कोई भिक्षुक उक्त भिक्षुक गृहों में नहीं रह रहे है।

प्रदेश में भिक्षुकों को चिन्हित करके इनके पुनर्वास के लिये कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिये गये हैं।

यथोपरि

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत जिला कार्यक्रम अधिकारी को मूल विभाग में वापस किये जाने का प्रकरण

31--श्री रामहेत भारती--

क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बहराइच में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत जिला कार्यक्रम अधिकारी डा0 ब्रजेश कुमार वर्मा को बाल विकास परियोजना के अधिकारियों/कर्मचारियों तथा माननीय जनप्रतिनिधियों की शिकायत पर उनको उनके मूल विभाग में वापस करने हेतु जिलाधिकारी, बहराइच का अ0 शा0 प0 सं0 2043/जि0 का0 अ0, दिनांक 27 नवम्बर, 2003 सचिव, महिला एवं बाल विकास को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पत्र पर अब तक क्या कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी--

जी हां।

प्रकरण में सम्यक् विचारोपरान्त इनकी शिकायतों के दृष्टिगत इन्हें तत्समय जनपद बहराइच से जनपद सिद्धार्थनगर स्थानान्तरित कर दिया गया था।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वर्ष 2005 में धान की खरीद का लक्ष्य तथा 20 नवम्बर, 2005 तक समर्थन मूल्य पर खरीद की जानकारी

32--श्री जगदम्बिका पाल--

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2005 में कितने मी0 टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया है ? 20 नवम्बर, 2005 तक कितने मी0 टन धान की खरीद समर्थन मूल्य के अन्तर्गत हो चुकी है ?

खाद्य एवं रसद मंत्री (कुँ0 रघुराज प्रताप सिंह, राजा भैया)--

खरीफ विपणन वर्ष 2005-06 में प्रदेश में धान खरीद का कार्यकारी लक्ष्य 10.00 लाख मी0 टन रखा गया है। दिनांक 20 नवम्बर, 2005 तक मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत कुल 54,763 मी0 टन धान की खरीद हो चुकी है।

जनपद महराजगंज के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में विगत 10 वर्षों से अपने गृह जनपद में कार्यरत लिपिक को जनपद से बाहर स्थानान्तरण की मांग

33--श्री ज्ञानेन्द्र सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-महाराजगंज तहसील सदर में मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में ऐसे कितने लिपिक हैं जो गृह जनपद में आठ या दस वर्षों से एक स्थान पर कार्यरत हैं ? क्या सरकार शासनादेश संख्या 4581-सेक-5/97 वि0 सभा प्र0/97, दिनांक 29-07-97 एवं शासनादेश संख्या 414(2)/47-का-4-94-14-/1/90, तद्दिनांक 29-04-1994 के अन्तर्गत उनके स्थानान्तरण जनपद के बाहर करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां,

दो लिपिक।

जी नहीं,

शासनादेश संख्या 414(2)/47 का-4-94-14 (1)/90, दिनांक 29-4-1994 एवं शासनादेश संख्या 1960/सेक-4/पांच-05-2005-जी-24/2005, दिनांक 14-6-2005 में पटल परिवर्तन का प्राविधान है, जो कि किया जा चुका है।

जनपद शाहजहांपुर के जिला कुष्ठ रोग अधिकारी को गत दो वर्षों में प्राप्त धनराशि एवं व्यय की जानकारी

34--श्री विरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला कुष्ठ अधिकारी, शाहजहांपुर को 1-4-03 से 1-11-05 तक कितनी-कितनी धनराशि शासन से प्राप्त हुई तथा कहां-कहां कब-कब व्यय की गई ? क्या सरकार पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जिला कुष्ठ अधिकारी, शाहजहांपुर को शासन द्वारा कोई धनराशि प्रदान नहीं की गयी परन्तु उत्तर प्रदेश राज्य कुष्ठ समिति, शाहजहांपुर को वर्ष 2003-04 में रुपया 20,30,000.00, वर्ष 2004-2005 में रुपया 3,86,174.00 तथा वर्ष 2005-06 में शून्य धनराशि प्रदत्त की गई ।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

निदेशक, होम्योपैथी उत्तर प्रदेश को मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुसार पदच्युत किये जाने का प्रकरण

35--श्री चन्द्र देव राम यादव--

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान निदेशक, होम्योपैथी, उ0 प्र0 को मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 08-1-85 के परिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा दि0 15-3-2004 को पदच्युत किये जाने के सम्बन्ध में कारण बताओ नोटिस दी गयी थी ? क्या निदेशक, होम्योपैथी, उ0 प्र0 द्वारा उक्त कारण बताओ नोटिस का उत्तर दे दिया गया है ? यदि हां, तो निदेशक, होम्योपैथी, उ0 प्र0 के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री वीरेन्द्र सिंह बुन्देला)--

जी हां।

जी हां।

प्राप्त उच्चादेशों के अनुपालन में प्रश्नगत प्रकरण में न्याय विभाग एवं महाधिवक्ता, उ0 प्र0 का विधिक परामर्श प्राप्त किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

समाज कल्याण विभाग के मण्डलीय कार्यालय, लखनऊ के कतिपय कर्मचारियों द्वारा सरकारी आवास के आबंटन के बावजूद मकान किराया भत्ता दिये जाने का प्रकरण

36--डा0 सुशील चौधरी--

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि मण्डलीय कार्यालय, समाज कल्याण विभाग, टिकरा हाउस, लखनऊ के कतिपय कर्मचारियों को सरकारी आवास आवंटित होने के बावजूद मकान भत्ता भी दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या उन कर्मचारियों को अवैधानिक रूप से दिये गये आवास भत्ते की वसूली की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद--

जी नहीं, मण्डलीय उप निदेशक कार्यालय समाज कल्याण विभाग, टिकरा हाउस में किसी भी कर्मचारी को सरकारी आवास आवंटित नही है। अत: उन्हें नियमानुसार मकान किराया भत्ता दिया जा रहा है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

समाज कल्याण विभाग द्वारा जनपद लखनऊ में भिक्षुओं को चिन्हित करके उनको पुनर्वासित किये जाने की कार्य योजना

37--श्री रविन्द्र पुण्डीर--

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आपके द्वारा भिक्षुओं को चिन्हित कर उनके पुनर्वास के लिये घोषणा की गयी थी ? यदि हां, तो 1 जनवरी, 2005 से अब तक जनपद लखनऊ में कितने भिक्षुओं को चिन्हित कर उनको पुनर्वासित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद--

जी हां।

प्रदेश में भिक्षुकों को चिन्हित करने की कार्यवाही चल रही है। अब तक लखनऊ में 373 भिक्षुकों को चिन्हित किया जा चुका है। चिन्हित करके इनके पुनर्वासन के लिये कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर में असाध्य रोग से पीड़ित रोगियों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता की राशि में वृद्धि का मामला

38--कुंवर भारतेन्द्र सिंह--

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-बिजनौर में कितने कैन्सर, टी0 बी0, स्वांस व अस्थि रोगियों को दो-दो हजार रुपये की आर्थिक सहायता समाज कल्याण विभाग से निरन्तर दी जा रही है ? क्या सरकार इस धनराशि में वृद्धि करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद--

जी हां। अनुसूचित जाति के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी एवं उनके परिजनों के इलाज हेतु संचालित योजना में इलाज के लिए प्रति व्यक्ति को अधिकतम रुपये 2,000.00 की आर्थिक सहायता दिये जाने की व्यवस्था है। अत: उक्त योजना में निरन्तर आर्थिक सहायता दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 2004-2005 में टी0 बी0 रोग से पीड़ित 29 व्यक्तियों को 2,000.00 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से सहायता स्वीकृत की गई है। कैंसर, स्वांस व अस्थि रोग से पीड़ित व्यक्तियों से कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं। वर्ष 2005-06 में टी0 बी0 रोग से पीड़ित 13 व्यक्तियों के आवेदन -पत्र प्राप्त हुए हैं, जिन पर अनुदान स्वीकृत करने की कार्यवाही विचाराधीन है।

जी नहीं।

संसाधन की कमी के कारण।

जनपद प्रतापगढ़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोंहडौर के अधीक्षक तथा अन्य के विरुद्ध शिकायत पर जांच कार्यवाही की मांग

39--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

विधान सभा के वित्तीय सत्र 2005 के दूसरे बुधवार को उत्तरित अता0 प्रश्न संख्या 7 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोंहडौर के अधीक्षक तथा अन्य के विरुद्ध की गयी शिकायत की जांच महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य द्वारा पूर्ण करा ली गयी है ? यदि हां, तो जांच के परिणाम क्या हैं और उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, इलाहाबाद मण्डल इलाहाबाद से जांच करायी गयी। जांच आख्या का परीक्षण करने पर पाया गया कि शिकायती बिन्दुओं की विवेचना में कतिपय बिन्दुओं पर जांच आख्या स्पष्ट नहीं है। अतएव जांच अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वे उक्त बिन्दुओं पर भी जांच आख्या उपलब्ध करायेंगे।

प्रश्न नहीं उठता।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्पेशलिटी कैडर का निर्धारण मेडिकल काउंसिल आफ इण्डिया के मानकों के आधार पर तथा एम0 सी0 आई0 मानकों के आधार पर चिकित्सकों की तैनाती की मांग

40--श्री धर्मेन्द्र कुमार कश्यप--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2004 में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा कैडर रिस्ट्रक्चरिंग के उपरान्त पी0 एम0 एच0 एस0 में स्पेशलिटी संवर्ग की संरचना की जा चुकी है ? यदि हां, तो क्या स्पेशलिटी कैडर का निर्धारण मेडिकल काउंसिल आफ इण्डिया के मानकों के आधार पर की गयी है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि डी0 सी0 एच0, डी0 जी0 ओ0 एवं डिप कार्ड (डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी) में से किन-किन डिप्लोमा का एम0 सी0 आई0 ने मान्यता दी है ? क्या एम0 सी0 आई0 के मानकों के अनुसार चिकित्सकों की तैनाती विशिष्ट इकाई में कर दी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

जी हां।

डी0 सी0 एच0, डी0 जी0 ओ0 तथा डिप कार्ड भारतीय चिकित्सा परिषद (एम0 सी0 आई0) से मान्यता प्राप्त है।

प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के पुनर्गठन के फलस्वरूप विशेषज्ञता के अनुसार चिकित्सकों की तैनाती प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के टी0 बी0 चिकित्सालय को विगत दो वर्षों में प्राप्त धनराशि एवं व्यय की जानकारी

41--श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि टी0 बी0 चिकित्सालय, शाहजहांपुर को 1-4-03 से 5-11-05 तक कितनी-कितनी धनराशि कब-कब तथा किन-किन मदों में प्राप्त हुई तथा कितनी-कितनी धनराशि व्यय की गई ? क्या सरकार पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेंगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

संलग्न विवरण के अनुसार।

*विवरण संलग्न है।

प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में लैब टेक्नीशियन के पदों पर प्रशिक्षितों की नियुक्ति पर विचार

42--श्री सदल प्रसाद--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार द्वारा रिक्त लैब टेक्नीशियन के पदों पर स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा प्रशिक्षित लैब टेक्नीशियनों की नियुक्तियां करने पर विचार किया जा रहा है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

*(देखिए नत्थी "ख" आगे पृष्ठ 105 पर।)

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां, सेवा नियमावली के प्राविधानों के अनुसार।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के समूह ग तथा घ के पदों पर लगे प्रतिबन्ध को हटाने हेतु विभागीय निर्देश जारी होने पर, यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के किंग जार्ज मेडिकल विश्वविद्यालय में कार्यरत न्यूरो सर्जन की संख्या एवं उनको स्थायी किये जाने का मामला

43--श्री चन्द्र किशोर--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किंग जार्ज मेडिकल विश्वविद्यालय, लखनऊ में कितने न्यूरो सर्जन कार्य कर रहे हैं ? क्या सरकार उन्हें स्थाई करने का विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ में 04 न्यूरो सर्जन कार्य कर रहे है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महाराजगंज के सभी चिकित्सालयों में चिकित्सकों के सृजित पदों के सापेक्ष चिकित्सकों की संख्या तथा रिक्त पदों पर तैनाती की मांग

44--श्री चन्द्र किशोर--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महाराजगंज में सभी चिकित्सालयों में चिकित्सकों के कितने पद सृजित है और उनके सापेक्ष कितने चिकित्सक कार्यरत हैं ? क्या सरकार सृजित पदों के अनुरूप चिकित्सकों की तैनाती सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जनपद महराजगंज में सभी चिकित्सालयों में पुरुष/महिला चिकित्सकों के कुल 121 पद सृजित हैं, जिसके सापेक्ष 94 चिकित्सक कार्यरत है।

जी हां।

चिकित्सकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु कुल 2126 पदों का अभियाचन लोक सेवा आयोग को भेजा जा चुका है, जिस पर चयन की कार्यवाही आयोग द्वारा की जा रही है।

प्रश्न नही उठता।

लखनऊ में स्थापित छत्रपति शाहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षार्थियों हेतु उपलब्ध छात्रावास में रह रहे सरकारी कर्मचारियों को हटाने एवं दण्डात्मक कार्यवाही

45--श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ में स्थापित छत्रपति शाहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ में प्रशिक्षण ले रहे अभ्यर्थियों हेतु उपलब्ध छात्रावास में सरकारी कर्मचारी निवास कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त कर्मचारी मकान किराया भत्ता भी

प्राप्त कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि अनाधिकृत रूप से रह रहे कर्मचारियों को हटाने एवं उनके विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के स्थानान्तरण हेतु स्थानान्तरण नीति का शासनादेश

46--डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के स्थानान्तरण के लिये बनी स्थानान्तरण नीति शासनादेश 6727 सेक-2-पांच-2005-06-9212/04, दिनांक 2-9-05 के बिन्दु 8 में स्पष्ट रोक है कि 30-6-2006 तक सेवानिवृत होने वाले अधिकारियों को नीति से मुक्त रखा जायेगा ? यदि हां, तो क्या डा0 अवधेश कुमार व्यास, मुख्य चिकित्साधिकारी, जालौन, जिनकी सेवानिवृत्ति मार्च, 2006 में है, का स्थानान्तरण नीति के विरुद्ध स्थानान्तरित कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार संदर्भित शासनादेश का पालन सुनिश्चित कराने के लिए स्थानान्तरण को निरस्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां। चिकित्सा विभाग के सरकारी चिकित्साधिकारियों को वार्षिक स्थानान्तरण नीति विषयक शासनादेश संख्या 6727/सेक-2-पांच-2005-6 (21)/2004, दिनांक 30 अगस्त, 2005 निर्गत हुआ है। इस शासनादेश के प्रस्तर-9 में यह व्यवस्था है कि दिनांक 30 जून, 2006 तक सेवानिवृत्त होने वाले चिकित्साधिकारियों को स्थानान्तरण नीति से मुक्त रखा जायेगा।

जी हां। प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के पुनर्गठन के फलस्वरूप डा0 अवधेश कुमार व्यास द्वारा विशेषज्ञ संवर्ग का विकल्प स्वीकार किया गया है। मुख्य चिकित्साधिकारी के पद पर सामान्य उप संवर्ग के संयुक्त निदेशक ग्रेड के चिकित्सा अधिकारी को तैनात किये जाने की व्यवस्था है। डा0 व्यास विशेषज्ञ उप संवर्ग के संयुक्त निदेशक ग्रेड के चिकित्सा अधिकारी हैं। अत: शासन के आदेश संख्या 7448/सेक-2-पांच-05-4 (521)/05 टी0 सी0, दिनांक 23 सितम्बर, 2005 द्वारा डा0 व्यास का स्थानान्तरण वरिष्ठ परामर्शदाता, जिला चिकित्सालय, झांसी के पद पर किया गया। डा0 व्यास द्वारा उक्त स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 64680/2005 डा0 अवधेश कुमार व्यास बनाम उ0 प्र0 राज्य व अन्य दाखिल की गयी। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17-10-2005 के अनुपालन में डा0 व्यास का प्रत्यावेदन निस्तारित करते हुये उन्हें वरिष्ठ परामर्शदाता, जिला चिकित्सालय, जालौन के पद पर आदेश संख्या 8559/सेक-2-पांच-2005-6 (133)/2005, दिनांक 21 नवम्बर, 2005 द्वारा तैनाती प्रदान की गयी है।

जी नहीं।

डा0 अवधेश कुमार व्यास उपसंवर्ग के संयुक्त निदेशक ग्रेड के चिकित्सा अधिकारी हैं। डा0 व्यास को संवर्ग पुनर्गठन के सापेक्ष तैनाती प्रदान की जा चुकी है।

जनपद पीलीभीत के पीलीभीत विधान सभा क्षेत्र में निवास कर रहे बंगाली परिवारों को पंचायत चुनावों एवं सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिये जाने की मांग

47--श्री रियाज अहमद--

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र 41, पीलीभीत में निवास कर रहे बंगाली परिवारों, जिनकी आबादी लगभग 50 हजार है, को अनुसूचित जाति के अन्तर्गत दी जाने वाली नि:शुल्क शिक्षा तथा अन्य सुविधायें दी जा रही हैं ? यदि हां, तो क्या उनको प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव तथा सरकारी नौकरियों में आरक्षण की सुविधा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उनको सरकारी नौकरी तथा निर्वाचन में सहभागिता दिये जाने पर विचार करेगी ?

श्री अवधेश प्रसाद--

जी नहीं। उ0 प्र0 सरकार के शासनादेश संख्या 3990/26-3-89-4 (61)/89, दिनांक 16 सितम्बर, 1989 द्वारा नम: शूद्र, पौड तथा मांझी जातियां जो बंगला देश से विस्थापित होकर प्रदेश के विभिन्न जिलों में बसे हैं, के बालक/बालिकाओं को केवल छात्रवृत्ति की वही सुविधा अनुमन्य की गयी है, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए अनुमन्य की गयी है जबकि अनुसूचित जाति छात्रों को दशमोत्तर छात्रवृत्ति भारत सरकार से वित्त पोषित है।

पंचायत चुनाव तथा सरकारी नौकरियों में केवल उन्ही जातियों को अनुसूचित जाति हेतु प्रदत्त आरक्षण की सुविधा अनुमन्य है जो भारत सरकार द्वारा उ0 प्र0 राज्य के लिए अनुसूचित जाति के रूप में अधिसूचित है। उक्त जातियां भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूची में शामिल नहीं की गई है।

बंगाली परिवारों को अनुसूचित जाति हेतु प्रदत्त सरकारी नौकरी में आरक्षण की सुविधा तथा निर्वाचन में सहभागिता भारत सरकार द्वारा उक्त जातियों को अनुसूचित जाति सूची में शामिल किये जाने पर ही संभव है।

जनपद लखनऊ के भाऊराव देवरस संयुक्त चिकित्सालय, महानगर के चिकित्सकों को वेतन में मंहगाई भत्ते का भुगतान निर्धारित प्रतिशत से अधिक किये जाने पर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही

48--डा0 सुशील चौधरी--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भाऊराव, देवरस संयुक्त चिकित्सालय, महानगर, लखनऊ में माह सितम्बर, 2005 में चिकित्सकों के वेतन में महंगाई भत्ते का भुगतान 14 प्रतिशत के स्थान पर 18.7 प्रतिशत किया गया है तथा माह अक्टूबर, 2005 में 17 प्रतिशत के स्थान पर 21 प्रतिशत भुगतान किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? इस वित्तीय अनियमितता के लिये दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ क्या सरकार कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

चिकित्सकों के अनुमन्य वेतन में मूल वेतन तथा एन0 पी0 ए0 को जोड़कर उसका 50 प्रतिशत मंहगाई भत्ता आकलित करना चाहिए था, जिसमें त्रुटिवश केवल मूलवेतन का 50 प्रतिशत

आकलित कर उस पर महगाई भत्ते का भुगतान किया गया। यह त्रुटि दूर कर दी गयी है। संबंधित चिकित्सकों को उन्हें वेतनमान के अनुरूप कुल देय परिलब्धियों से अधिक का भुगतान नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय में उपलब्ध वाहनों की संख्या एवं जनपदों के वाहनों के प्रयोग के संबंध में जानकारी

49--डा0 सुशील चौधरी--

क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशालय में कितने वाहन उपलब्ध हैं तथा किन-किन अधिकारियों के लिए स्वीकृत हैं ? क्या यह सही है कि स्वीकृत सरकारी वाहनों के अतिरिक्त जिलों के वाहनों को भी निदेशालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्रयोग किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी--

निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में कुल 07 वाहन उपलब्ध हैं। ये वाहन निम्नांकित अधिकारियों के लिए स्वीकृत हैं :--

1--निदेशक

2--अपर निदेशक (वित्त)

3--संयुक्त निदेशक

4--कार्यक्रम अधिकारी

5--विधि अधिकारी

जी हां।

स्वीकृत वाहनों के अतिरिक्त जिलों के वाहनों को निदेशालय के अधिकारियों द्वारा शासकीय हित में प्रयोग किया जा रहा है।

निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा वर्ष 1994 में पदों के स्टाफिंग पैटर्न की स्वीकृति प्रदान की गयी । इस अवधि में कार्यक्रम में तीन गुना से अधिक विस्तार हुआ है। निदेशालय के अधिकारियों को कार्यक्रम के प्रभावी पर्यवेक्षण के दृष्टिगत मण्डलीय अधिकारी भी नामित किया गया है। अत: जनपद एवं परियोजनाओं के भ्रमण/निरीक्षण के दृष्टिगत आवंटित पांच वाहनों के अतिरिक्त जिले के वाहनों को निदेशालय के अधिकारियों द्वारा शासकीय हित में प्रयोग किया जा रहा है।

प्रदेश के बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में मुख्य सेविका के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण अवधि में राजपत्रित अवकाश में वेतन एवं तैनाती की जानकारी

50--डा0 सुशील चौधरी--

क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2001 में मुख्य सेविका की परीक्षा का परिणाम घोषित करते हुए चयनित मुख्य सेविकाओं को दिनांक 7-2-2005 से

18-2-2005 तक एवं 21-2-2005 से 4-3-2005 तक प्रशिक्षण पर भेजा गया था ? क्या प्रशिक्षण अवधि में नवचयनित मुख्य सेविकाओं को राजपत्रित अवकाश एवं वेतन दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या ऊर्जा मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि प्रशिक्षण के उपरान्त उनकी तैनाती कर दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी--

जी, हां।

राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बी0 के0 टी0 लखनऊ को छोड़कर शेष प्रशिक्षण केन्द्रों ए0 एम0 एस0 लखनऊ, मध्य स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र मुरादाबाद तथा सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, वाराणसी में प्रशिक्षण अवधि के दौरान नव चयनित मुख्य सेविकाओं के लिए राजपत्रित अवकाश के दौरान प्रशिक्षण सत्र चलाया गया। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण अवधि में वेतन भुगतान नहीं किया गया।

प्रशिक्षण समाप्त होने तक सम्बन्धित अभ्यर्थियों की मुख्य सेविका के पद पर नियुक्ति नहीं की गई थी इस कारण उन्हें वेतन नहीं मिल पाया।

सफलता पूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने वाली सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति एवं तैनाती प्रदान कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रायबरेली में बछरांवा में नियुक्त बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जांच हेतु प्राप्त शिकायती-पत्र

51--श्री रविन्द्र पुण्डीर--

क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रामजी लाल सुमन, सांसद का शिकायती पत्र दिनांक 05-10-05 सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या वी0 आई0 पी0 242/60-2-05 के साथ जो बाल विकास परियोजना अधिकारी, बछरांवा द्वारा की जा रही अनियमितताओं से सम्बन्धित है, निदेशालय को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त शिकायती-पत्र में उल्लिखित तथ्यों की जांच करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी--

जी हां।

मा0 सांसद से प्राप्त शिकायती-पत्र में उल्लिखित तथ्यों की जांच उपनिदेशक (प्रोक्योरमेन्ट) से करायी जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में चिकित्साधिकारियों को उनके मूल गृह जनपद में तैनात न किये जाने की नीति के अन्तर्गत डा0 सतीश कुमार द्विवेदी के स्थानान्तरण की मांग

52--श्री महेश द्विवेदी--

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि चिकित्साधिकारियों को उनके मूल गृह जनपद में तैनात न किये जाने की शासन की नीति है ? क्या यह सही है कि डा0 सतीश कुमार द्विवेदी जो

रायबरेली के निवासी हैं, द्वारा प्रस्तुत लखनऊ के फर्जी निवास प्रमाण-पत्र की जांच नगर मजिस्ट्रेट, रायबरेली द्वारा की गयी, जिसमें उनका फर्जी निवास प्रमाण-पत्र पाया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार फर्जी प्रमाण-पत्र देकर अपने गृह जनपद में तैनाती कराने वाले अधिकारी के विरुद्ध जालसाजी का अपराध पंजीकृत करते हुए उसके विरुद्ध कार्यवाही का निदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह बुन्देला--

जी हां।

जी नहीं। सेवा पुस्तिका के अनुसार गृह जनपद लखनऊ है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बाराबंकी में कार्यरत स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों को वर्ष 2005 के बोनस का भुगतान

53--श्री चन्द्र देव राम यादव--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बारांबकी मं कार्यरत स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों को वर्ष 2005 के बोनस का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त जनपद में कार्यरत स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों को वर्ष 2005 के बोनस का भुगतान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी में राजकीय चिकित्सालय खीरी टाउन के भवन का किराया एवं बिजली, पानी के भुगतान का प्रकरण

54--श्री राम प्रकाश त्रिपाठी--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि श्री प्रेम प्रकाश माथुर, निवासी खीरी टाउन्, जिला लखीमपुर खीरी के भवन में वर्ष 1973 से राजकीय चिकित्सालय स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है ? क्या यह सही है कि मार्च, 1983 से बिजली व पानी तथा अप्रैल, 2001 से अनुबन्ध के अनुरूप भवन के किराये का भुगतान नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार भवन स्वामी को उसके बिजली, पानी एवं किराये का भुगतान कराते हुए समय से भुगतान न करने वाले अधिकारी को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां। बिजली, पानी की कोई सुविधा मकान मालिकों द्वारा नहीं दी जा रही है। मकान के स्वामित्व के सम्बन्ध में दो और व्यक्तियों ने दावेदारी प्रस्तुत की है और मा0 न्यायालय के आदेशों के अनुसार तीनों को बराबर-बराबर धनराशि का भुगतान भवन किराये के रूप में किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ के टी0 बी0 क्लीनिक ठाकुरगंज में कार्यरत डा0 इन्तिसार हुसैन को उनकी सैन्य सेवाओं की अवधि जोड़कर लाभ एवं वरिष्ठता निर्धारित किये जाने का प्रस्ताव

55--डा0 अजय कुमार--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि टी0 बी0 क्लीनिक ठाकुरगंज, लखनऊ में वर्तमान समय में कार्यरत डा0 इन्तिसार हुसैन, चिकित्साधिकारी की दिनांक 05-4-73 से 10-3-78 तक की सैन्य सेवाओं की अवधि जोड़कर उसका लाभ एवं वरिष्ठता निर्धारित किए जाने हेतु महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को दिनांक 03-8-2005 को शासन द्वारा आदेश दिया गया था ? क्या यह सही है कि निदेशालय के पत्र संख्या-गोपन/वरिष्ठता/ 01/2005/8119 दिनांक 22 सितम्बर, 2005 द्वारा श्री हुसैन की पूर्व की वरिष्ठता को विलुप्त करके वर्ष 1974 में नियुक्त चिकित्साधिकारियों के नीचे वरिष्ठता क्रमांक 2901 "क" पर किये जाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उस पर निर्णयोपरान्त शासनादेश जारी कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? शासनादेश कब तक जारी कर दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

जी हां।

जी नहीं।

महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव में कतिपय त्रुटियां दृष्टिगोचर हुई है, इनका निराकरण कर प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश शासनादेश दिनांक 16-2-06 द्वारा महानिदेशक को दिये गये हैं।

महानिदेशालय से युक्तियुक्त प्रस्ताव प्राप्त कर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

जिला कार्यक्रम अधिकारी लखनऊ की वित्तीय वर्ष 1992-93 तथा 1995-96 के लेखा जोखा में आडिट आपत्तियों पर पुनः जांच कराये जाने की मांग

56--श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"--

क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री को जानकारी है कि जिला कार्यक्रम अधिकारी, लखनऊ की वित्तीय वर्ष 1992-93 तथा 1995-96 के लेखा जोखा का विशेष आडिट विभागीय सम्प्रेक्षकों द्वारा कराया गया था एवं उक्त वर्षों के लेखा जोखा में आडिट आपत्तियां उठायी गयी थीं ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि अपर निदेशक, वित्त कृष्णगोपाल द्वारा उन आडिट आपत्तियों की जांच करवायी गयी थी ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि जिला कार्यक्रम अधिकारी करुणा जायसवाल द्वाराउपरोक्त जांच अधिकारी को बदलते हुये दिये गए तीन प्रार्थना-पत्र क्रमशः दिनांक 26-11-98, 5-12-98 व 25-1-99 सचिव, महिला एवं बाल विकास को प्राप्त हुए थे ? यदि हां, तो जांच अधिकारी कृष्णगोपाल को न बदलकर उनकी ही जांच आख्या पर दण्डित करने का प्रस्ताव ग्राह्य कर लिया गया था ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार पुनः उक्त जांच किसी अन्य निष्पक्ष अधिकारी से करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी--

विभागीय सम्प्रेक्षण दल द्वारा विशेष आडिट में नहीं अपितु टेस्ट आडिट में आडिट आपत्तियां उठायी गयी थीं।

जी हां।

कार्यालय में वर्तमान में उपलब्ध अभिलेखानुसार प्रश्नगत पत्रों की प्राप्ति की पुष्टि नहीं होती है, किन्तु इनके प्रत्यावेदन दिनांक 24-3-99 में उक्त पत्र संलग्नक के रूप में उपलब्ध हैं।

जांच अधिकारी की जांच आख्या अभिलेखीय साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में तथ्यात्मक थी अत: सुसंगत निर्णय के साथ ग्राह्य कर ली गयी। इसके अतिरिक्त जांच में अन्तिम निर्णय के पूर्व शासन स्तर पर सुनवाई का अवसर देते हुए गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिया गया है सम्प्रति यह प्रकरण रिट याचिका संख्या 1516 (एस0बी0)/2003 के अन्तर्गत मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

जी नहीं। प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ के नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में निर्धारित स्थानान्तरण नीति के विरुद्ध कार्यरत तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की संख्या एवं स्थानान्तरण की मांग

57--डा0 विनोद तिवारी--

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ में कितने तृतीय श्रेणी कर्मचारी ऐसे हैं जो शासन की निर्धारित स्थानान्तरण नीति के विरुद्ध कार्यरत हैं ? क्या सरकार उक्त कर्मचारियों का अन्यत्र स्थानान्तरण करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह बुन्देला--

वर्ष 2005-2006 के लिए निर्गत सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति से तृतीय श्रेणी कर्मचारी आच्छादित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

अवध पेट्रोलियम व गोमती ट्रेडर्स लखनऊ द्वारा मिट्टी के तेल की कालाबाजारी किये जाने के संबंध में प्राप्त शिकायती-पत्र

58--डा0 इन्द्र देव सिंह--

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री धर्मानन्द तिवारी, सदस्य प्रान्तीय कार्यकारिणी समाजवादी पार्टी, उ0 प्र0 का शिकायती-पत्र दिनांक 19-10-05 जो श्री मनोज गुप्ता तथा उनकी फर्म अवध पेट्रोलियम, लखनऊ व गोमती ट्रेडर्स, लखनऊ द्वारा मिट्टी के तेल की कालाबाजारी किये जाने के संबंध में था, आयुक्त खाद्य एवं रसद उ0 प्र0 लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुँ0 रघुराज प्रताप सिंह "राजा भैया"--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कैम्पियरगंज में चिकित्सकों के स्वीकृत पदों की संख्या एवं रिक्त पदों को भरे जाने की जानकारी

59--श्री फतेह बहादुर सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कैम्पियरगंज, जनपद गोरखपुर में चिकित्सकों के कितने पद स्वीकृत हैं तथा कितने पद रिक्त हैं ? रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कैम्पियरगंज, जनपद गोरखपुर में चिकित्सकों के कुल 07 पद स्वीकृत हैं, जिसके सापेक्ष 05 चिकित्सक कार्यरत है एवं 02 पद रिक्त है।

चिकित्सकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु कुल 2126 पदों का अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेजा जा चुका है, जिस पर चयन की कार्यवाही आयोग द्वारा की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महाराजगंज के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पनियरा में चिकित्सकों के स्वीकृत पद एवं रिक्त पदों को भरे जाने की जानकारी

60--श्री फतेह बहादुर सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पनियरा, जनपद महाराजगंज में चिकित्सकों के कितने पद स्वीकृत हैं तथा कितने पद रिक्त हैं ? रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पनियरा जनपद महाराजगंज में चिकित्सकों के कुल 02 पद स्वीकृत है तथा दोनों पद भरे हुए है, कोई पद रिक्त नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ में पुनर्वास एवं कृत्रिम अवयव केन्द्र में बन्द यूनिटों की संख्या एवं आपरेशन थियेटर को चालू कराने की मांग

61--श्री परमजीत--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित पुनर्वास एवं कृत्रिम अवयव केन्द्र में कुल कितने विभाग व यूनिटें स्थापित थीं तथा वर्तमान में कुल कितने विभाग यूनिटें उचित प्रबन्धन के अभाव में बन्द हो गयी हैं ? क्या यह सही है कि 100 बिस्तर के इस अस्पताल में भर्ती विकलांगों की संख्या 10 से कम है एवं वोकेशनल ट्रेनिंग सेन्टर भी बन्द पड़ा है तथा आपरेशन थियेटर समाप्त कर लोहिया अस्पताल को रेफरल केन्द्र कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस केन्द्र को विशिष्ट दर्जा देकर चिकित्सा विश्वविद्यालय से अलग कर स्वायत्तता प्रदान करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

पुनर्वास एवं कृत्रिम अवयव केन्द्र, लखनऊ में कुल 12 यूनिटें स्थापित हैं, जो निम्न प्रकार से है :--

1--वर्कशाप

2--फिजियोथेरेपी

3--आकुपेशनल थेरेपी

4--वोकेशनल काउंसलिंग (प्रशिक्षण पुनर्वास)

5--पैथालोजी

6--एक्सरे

7--रिक्रियेशनल थेरेपी यूनिट

8--ओ0 पी0 डी0

9--इन्डोर

10--अनुरक्षण

11--आपरेशन थियेटर

12--स्थापना-लेखा

वर्तमान में बन्द यूनिटें निम्नवत् है :--

1--एक्सरे

2--आपरेशन थियेटर

जी नहीं।

जी नहीं।

केन्द्र के भवन निर्माण का कार्य 3 वर्षों से किया जा रहा है, जिसके कारण आपरेशन थियेटर बन्द है। निर्माण कार्य समाप्त होने पर पुन: प्रारम्भ हो जायेगा।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर में उ0 प्र0 हेल्थ सिस्टम डेवलपमेन्ट के अन्तर्गत कुल चिकित्सालयों का प्रस्तावित सुधार कार्य

62--श्री परमजीत--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाह्य सहायतित परियोजना उ0 प्र0 हेल्थ सिस्टम डेवलेपमेन्ट के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2005-06 के लिए जनपद मुजफ्फरनगर के कुल कितने चिकित्सालयों का सुधार कार्य प्रस्तावित था एवं इनमें से कितने अस्पतालों का सुधार कार्य पूर्ण हो चुका है ? शेष कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह, यादव--

जी हां।

वाह्य सहायतित उ0 प्र0 हेल्थ सिस्टम परियोजना द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर में जिला पुरुष चिकित्सालय, जिला महिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कांधला एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पुरकाजी में सुधार कार्य प्रस्तावित था। इनमें जीर्णोद्धार संबंधी समस्त सिविल कार्य मार्च, 2005 तक पूर्ण कर लिये गये। इन चिकित्सालयों में वित्तीय वर्ष 2005-06 में कोई भी कार्य प्रस्तावित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के मदरसा दारुल उलूम फारुकिया, काकोरी में सहायक अध्यापक पद से सेवानिवृत्त सै0 सईद उद्दीन के देयकों का भुगतान

63--श्री शहजिल इस्लाम--

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सै0 सईद उद्दीन जो कि मदरसा दारुल उलूम फारुकिया, काकोरी, लखनऊ में सहायक अध्यापक पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, के जी0पी0एफ0 व अन्य देयों का भुगतान अभी तक न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार इनके देयों का भुगतान शीघ्र करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

हाजी याकूब--

श्री सै0 सईद उद्दीन, सहायक अध्यापक (सेवानिवृत्त) मदरसा दारुल उलूम फारुकिया, काकोरी, लखनऊ की देय जी0पी0एफ0 धनराशि रु0 59,168 के भुगतान किये जाने के आदेश निदेशालय के पत्र संख्या 22899, दिनांकित 23-03-2005 द्वारा किये जा चुके हैं। जी0पी0एफ0 की धनराशि के भुगतान की कार्यवाही वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा, लखनऊ द्वारा की जा रही है। श्री सै0 सईद उद्दीन को जी0पी0एफ0 की धनराशि के अतिरिक्त अन्य कोई देयों का भुगतान किया जाना शेष नहीं है।

जी हां।

अतिशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के सरोजनी परियोजना में पुष्टाहार ढुलाई में शासकीय क्षति की वसूली की जानकारी

64--श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह मुन्ना--

क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशालय बाल विकास के पत्रांक 3337-38/आडिट/2003-04, दिनांक 28-8-2003 द्वारा अपर निदेशक, वित्त द्वारा शासकीय क्षति की वसूली करने के आदेश किस-किस अधिकारी के विरुद्ध दिए थे ? क्या उस आदेश में सरोजनीनगर परियोजना, लखनऊ में जनवरी से मार्च, 1995 तक की पुष्टाहार ढुलाई में हुई शासकीय क्षति की वसूली का भी आदेश सम्मिलित है ? यदि हां, तो पुष्टाहार ढुलाई में संबंधित कितनी वसूली दिसम्बर, 2005 तक की जा चुकी है ? अवशेष वसूली कितनी है, पूरी वसूली कब तक कर ली जायेगी ?

श्री राम गोविन्द चौधरी--

आडिट रिपोर्ट (वर्ष 1993 से मार्च, 1998 तक) में की गयी संस्तुति के अनुपालन में संदर्भगत पत्र निर्गत किया गया था। इस पत्र में किसी अधिकारी विशेष का उल्लेख नहीं है। इस पत्र में बाल विकास परियोजना अधिकारी, सरोजनीनगर, लखनऊ को सम्बन्धित धनराशियों की वसूली जांचोपरान्त नियमानुसार करने के निर्देश दिये गये हैं।

जी हां, लेकिन यह अवधि जनवरी से मार्च, 95 तक नहीं बल्कि जनवरी, 95 से मार्च, 1998 तक है। पोषाहार ढुलाई से सम्बन्धित धनराशि की वसूली के सम्बन्ध में उक्त पत्र से पूर्व ही शासनादेश दिनांक 24-05-03 द्वारा तत्कालीन जिला कार्यक्रम अधिकारी, लखनऊ से वसूली करने के आदेश दिये गये परन्तु उत्तरदायी अधिकारी द्वारा वेतन आहरित न करने के कारण वसूली नहीं हो पायी है।

रुपये 31007 की पूरी धनराशि वसूली हेतु अवशेष है तथा यह वसूली यथाशीघ्र करना प्रस्तावित है।

मेडिकल कालेज, झांसी को वर्ष 2004-05 में आवंटित धनराशि एवं कराये गये कार्यों की जानकारी

65--श्री प्रदीप जैन आदित्य--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के अन्तर्गत वर्ष 2004-05 में महारानी लक्ष्मी बाई मेडिकल कालेज को कितनी धनराशि शासन से आवंटित की गयी एवं उससे क्या-क्या कार्य कराये गये ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

मेडिकल कालेज, झांसी को वित्तीय वर्ष 2004-05 में "आयोजनागत पक्ष में उपकरणों के क्रय" मद में रु0 124.98 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी थी जिसमें से रु0 90.72 लाख की धनराशि से उपकरणों का क्रय वित्तीय वर्ष 2004-05 में किया गया। अवशेष धनराशि रु0 34,25,862 पी0एल0ए0 में जमा थी जिसे दिनांक 21-9-2006 को अवमुक्त कर दिया गया है जिससे आवश्यक उपकरणों का भी क्रय यथाशीघ्र कर लिया जायेगा।

बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय में कार्यरत लिपिक श्री अजय बाजपेयी के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच हेतु प्राप्त शिकायती-पत्र

66--कुं0 आर0 पी0 एन0 सिंह--

क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री कृपया बतायेंगे कि विधायक श्री सुरेश चन्द्र तिवारी का शिकायती-पत्र जो श्री अजय बाजपेई, लिपिक, निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने विषयक है, सचिव, महिला एवं बाल विकास को 2 दिसम्बर, 05 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी--

उक्त के क्रम में शासन के निर्देशानुसार निदेशक, आई0सी0डी0एस0 के द्वारा शिकायती-पत्र में उल्लिखित शिकायतों की जांच निदेशालय के श्री एस0एम0 गुप्ता, विशेष कार्याधिकारी (लेखा) के द्वारा करायी जा रही है। जांच आख्या प्राप्त होने के पश्चात् नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

67--श्री आर0 एस0 कुशवाहा--[3सरे सोमवार के अता0--145 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड में चीफ एक्जीक्यूटिव के पद पर तैनात डा0 शौकत अली त्यागी के वेतन एवं भत्तों का भुगतान

68--श्री अवधेश कुमार वर्मा--

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 शौकत अली त्यागी को शासन के आदेशों द्वारा 12 जून, 98 से 10 मई, 2000 तक सुन्नी वक्फ बोर्ड में चीफ एक्जीक्यूटिव आफिसर के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर तैनात किया गया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0 से इनके वेतन भत्ता आदि आहरित किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या इन्हें वेतन का एरियर एवं नान प्रैक्टिस भत्ता आदि का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? इन्हें उक्त बकाये का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लघु सिंचाई एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री शाकिर अली)--

जी हां।

जी हां।

डा0 शौकत अली त्यागी का वेतन के एरियर तथा प्रतिनियुक्ति भत्ते का भुगतान कर दिया गया है। डा0 त्यागी द्वारा प्रतिनियुक्ति अवधि में धारित पद नान प्रैक्टिसिंग था। अत: नान प्रैक्टिस भत्ता अनुमन्य न होने के कारण देय नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

(बजट चर्चा हेतु श्री अध्यक्ष द्वारा नेता विरोधी दल का नाम पुकारे जाने पर)

मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में बसपा के अलग हुए गुट के सदस्यों के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न उठाने का प्रयास

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

माननीय अध्यक्ष जी, आपसे निवेदन है। औचित्य का प्रश्न यह है कि माननीय उच्च न्यायालय ने विधान सभा अध्यक्ष के आदेश दिनांक 6-9-03, 8-9-03 . . . .

श्री अध्यक्ष--

सुनिये आपने नोटिस दे दी है। अब यहां बहस न कीजिए। आपने बाकायदा नोटिस दी है उसको पढ़ने दीजिए। पढ़ने के बाद उस पर जो भी उचित निर्णय होगा, देंगे। आपकी नोटिस मेरे दफ्तर में पहुंच गयी है। अब इसमें औचित्य का कोई प्रश्न नहीं है। वह नोटिस का मामला है। जब आपने लिखित नोटिस दिया है और फैसला लगा दिया है, उसको पढ़ने दीजिए। उसको पढ़ने के बाद उसमें आपने निर्णय मांगा है, उस पर निर्णय हो जाय, तब कुछ कहियेगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

मान्यवर, सदन चल रहा है।

श्री अध्यक्ष--

वह ठीक है लेकिन अभी उसको मैंने नहीं पढ़ा है। मुझे जजमेन्ट की नकल नहीं मिली थी अभी मिली है उसको पढ़ लेने दीजिए, थोड़ा अवसर दीजिए।

*श्री सुखदेव राजभर--

मान्यवर, सदन चल रहा है और आपको अधिकार है कि सदन को आप व्यवस्थित करें, यह आपको पूरा अधिकार है, नियमावली में व्यवस्था कराकर सदन के सदस्य बैठकर कार्यवाही में हिस्सा लेते हैं। हम लोग निवेदन कर रहे हैं कि सदन को पहले आप व्यवस्थित कर दें।

श्री अध्यक्ष--

सदन तो व्यवस्थित है।

श्री सुखदेव राजभर--

मान्यवर, हमारे बहुजन समाज पार्टी के सदस्य उधर बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष--

सुखदेव राजभर जी, अभी फैसला आया है, अभी हमने पढ़ा नहीं, किसी ने जाना नहीं, वह कहां बैठेंगे यह हम नहीं जानते ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह)--

मान्यवर, ऐसे नहीं चलेगा।

श्री अध्यक्ष--

आप जो चाहे करिये आपको अधिकार है।

(बहुजन समाज पार्टी के श्री सुखदेव राजभर, श्री ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह), श्रीमती विद्या चौधरी आदि अनेक सदस्य सदन के वेल में आकर अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे। जिससे सदन में घोर व्यवधान बना रहा।)

संसदीय कार्य,नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

नहीं मान्यवर, इस तरह से सदन नहीं चलता। मान्यवर, सदन की कोई भी कार्यवाही नियम के विरुद्ध नहीं चल सकती।

(वेल में आये हुए सदस्य सरकार विरोधी नारे लगाने लगे।)

श्री अध्यक्ष--

अब आप ही व्यवस्थित करिये। हम भी बैठे हैं।

श्री ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह)--

(वेल से)-मान्यवर, बहुजन समाज पार्टी के लोगों को दल के साथ बैठवाइये।

(सत्ता पक्ष के अनेक सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर एक साथ बोलने का प्रयास करते रहे जिससे सदन में घोर व्यवधान बना रहा।)

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, पराये माल पर कब्जा करना चाहते हैं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

(बहुजन समाज पार्टी के वेल में आये हुये सदस्य लगातार नारे लगाते रहे जिससे सदन में घोर व्यवधान बना रहा।)

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य आप अपने स्थान पर चलें। अभी मैंने फैसला पढ़ा नहीं है। मुझे उसको पढ़ लेने दीजिये, मुझे विधिक राय ले लेने दीजिये। माननीय मौर्य जी, माननीय सदस्यगण अभी फैसला आया है। अब इस तरह हल्ला करने से क्या फायदा ? आप लोग अपनी जगहों पर चलें। मैं फैसले को पढ़ लूं, विधिक राय ले लूं, विधिक व्यवस्था जो होगी, उसके अनुसार कार्यवाही होगी, आप लोग अपनी जगहों पर चलें।

(बहुजन समाज पार्टी के वेल में आये हुये सदस्यगण तथा सत्तापक्ष के सदस्यगण अपने स्थानों से लगातार नारे लगाते रहे जिससे सदन में घोर व्यवधान बना रहा)

माननीय नेता विरोधी दल, नेता बहुजन समाज पार्टी, नेता कांग्रेस दल व अन्य नेताओं को सामान्य बजट पर बोलना है, आप उसमें क्यों बाधा पैदा कर रहे हैं ? आपके नेता को भी बोलना है।

(बहुजन समाज पार्टी के वेल में आये हुये सदस्य तथा सत्ता पक्ष के सदस्य अपने स्थानों से लगातार नारे लगाते रहने से सदन में घोर व्यवधान बना रहा)

माननीय राजभर जी, आप विद्वान हैं। आपने नोटिस दिया है, आप मुझे फैसले को पढ़ लेने दें, विधिक राय ले लेने दीजिये, तभी निर्णय नियमानुकूल होगा।

(बहुजन समाज पार्टी के वेल में आये हुये सदस्य नारे लगाते रहे जिसके प्रत्युत्तर में सत्तापक्ष के सदस्य अपने-अपने स्थानों से लगातार नारे लगाते रहे।)

(घोर व्यवधान)

मेरा फिर आपसे आग्रह है, माननीय नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आपने मुझे नोटिस दिया है, मुझे विधिक राय ले लेने दीजिये। जब उस पर कुछ निर्णय होगा, तब आगे की कार्यवाही होगी। आप मुझे पढ़ने का मौका दे दीजिये। आप लोग अपने स्थानों पर चलें।

(विरोध स्वरूप श्री सुखदेव राजभर, श्री ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह), श्रीमती विद्या चौधरी आदि बसपा के वेल में आए हुए सदस्यगण नारेबाजी करने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(सत्तापक्ष के भी अनेक सदस्य अपने-अपने स्थानों पर खड़े होकर नारे लगाते रहे।)

(तत्पश्चात् बहुजन समाज पार्टी के सदस्य सदन के वेल में बैठ गये।)

श्री कमाल यूसुफ मलिक--

हाथी बैठने के बाद उठता नहीं, मर जाता है।

*श्री जगदम्बिका पाल--

अध्यक्ष महोदय, जब ये लोग कृपापूर्वक यहां पर बैठ गये हैं तो यहां आकर अपने आसन पर बैठ जायं। अब इनका कोई प्रतिरोध नहीं रह गया है, शांति से बैठ गये हैं, तो यहां पर बैठ जायं।

श्री अध्यक्ष--

पाल साहब अब आप आग्रह कर लें। मैं तो बहुत देर से आग्रह कर रहा हूं।

(वेल में बैठे हुये सदस्यगण उत्तेजित होकर पुन: खड़े हो गये और सरकार विरोधी नारे लगाने लगे।)

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य, कृपया शांत रहें। कार्य-मंत्रणा समिति की सूचना है, उसमें आपके प्रतिनिधि माननीय सुखदेव राजभर जी मौजूद रहे हैं, उसको तो सुन लें।

(घोर व्यवधान)

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष--

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 01 मार्च, 2006 को हुई बैठक में दिनांक 01 से 17 मार्च, 2006 तक के उपवेशनों के कार्यक्रम के सम्बन्ध में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :--

1--दिनांक 02, 03, 04, 06, 07 व 16 मार्च, 2006 को सदन के उपवेशन न हों।

2--दिनांक 01 से 17 मार्च, 2006 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय :--

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मार्च, 2006

01 बुधवार	वित्तीय वर्ष 2006-2007 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा ।
02 गुरुवार 03 शुक्रवार 04 शनिवार 05 रविवार 06 सोमवार 07 मंगलवार	बैठक नहीं होगी।
08 बुधवार 09 गुरुवार	वित्तीय वर्ष 2006-2007 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा।
10 शुक्रवार 11 शनिवार	वित्तीय वर्ष 2006-2007 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
12 रविवार 13 सोमवार	बैठक नहीं होगी।
14 मंगलवार 15 बुधवार	(होली का अवकाश)
16 गुरुवार	बैठक नहीं होगी।
17 शुक्रवार	वित्तीय वर्ष 2006-2007 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

सदन के शेष उपवेशनों तथा उनमें लिये जाने वाले कार्यों के बारे में सूचना यथासमय दी जायेगी।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष--

संसदीय कार्य मंत्री जी प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना श्री अध्यक्ष द्वारा आज सदन को दी गई है, से सहमत है ?

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव संसदीय कार्य मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है उससे यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

(इस मध्य वेल में उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के सदस्य नारे लगाते रहे।)

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्यगण आप क्यों अपनी ऊर्जा खत्म कर रहे हैं ? यही बात अपने आसन से कहते। सामान्य चर्चा के दौरान कहते। मौर्य जी ने जो प्रश्न उठाया है उसकी कापी आ गई है लेकिन अभी हमने उसको पढ़ा नहीं है। उसको देखेंगे और उस पर विधिक विशेषज्ञों से राय लेंगे और जो कानूनी प्रक्रिया होगी उसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी। नेता विरोधी दल सम्मानित नेता हैं उनका बजट भाषण होना है उनको विशेष अधिकार प्राप्त है वह बजट पर बोलना चाहते हैं और आप उनको बोलने नहीं देना चाहते हैं। कृपया आप अपने-अपने आसन पर जायं और यही बात अपने बजट भाषण में कहें। जो बातें आप कह रहे हैं यह लिखी नहीं जा रही हैं न ही यह कार्यवाही का अंग मानी जाएगी।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष के अनुरोध को अनुसुनी करते हुए (बहुजन समाज पार्टी के सदस्य सदन के वेल में खड़े होकर लगातार नारे लगाते रहे)

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों संबंधी संयुक्त समिति का अड़तीसवाँ कार्यान्वयन प्रतिवेदन †

सभापति, मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति 2005-2006 का अड़तीसवां कार्यान्वयन प्रतिवेदन, जो गन्ना ग्राम सेवकों के पदों पर अनुसूचित जातियों के आरक्षण प्रतिशत के विषय में उक्त समिति के 19वें प्रतिवेदन में की गई संस्तुतियों से सम्बन्धित है, को प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की याचिका समिति (2005-2006) का प्रथम प्रतिवेदन †

श्री उपाध्यक्ष (सभापति याचिका समिति)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की याचिका समिति (2005-2006) का प्रथम प्रतिवेदन, जो बेसिक शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की याचिका समिति (2005-2006) का द्वितीय प्रतिवेदन †

श्री उपाध्यक्ष (सभापति याचिका समिति)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की याचिका समिति (2005-2006) का द्वितीय प्रतिवेदन, जो माध्यमिक शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूं।

(ब0स0पा0 के माननीय सदस्यगण सदन वेल में नारे लगाते रहे)

उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की याचिका समिति (2005-2006) का तृतीय प्रतिवेदन †

श्री उपाध्यक्ष (सभापति याचिका समिति)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की याचिका समिति (2005-2006) का तृतीय प्रतिवेदन, जो उच्च शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूं।

---

† छापे नहीं गये।

उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की याचिका समिति (2005-2006) का चतुर्थ प्रतिवेदन †

श्री उपाध्यक्ष (सभापति याचिका समिति)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की याचिका समिति (2005-2006) का चतुर्थ प्रतिवेदन, जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूं।

(माननीय सदस्य सदन के वेल में खड़े होकर सरकार विरोधी नारे लगाते रहे)

श्री अध्यक्ष--

जब यह विधान सभा आज लम्बी चलनी नहीं है तो चलिये वहाँ जाकर अपने स्थान पर बैठिये।

(माननीय सदस्य श्री ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह) द्वारा रिपोर्टर टेबुल से ईयर फोन मांगने पर)

श्री अध्यक्ष--

अपनी सीट पर जाकर लगाइये। आधा घंटा हो गया आप लोगों को । माननीय नेता विरोधी दल का भाषण होना था उनको बोलने दीजिए।

(बसपा के सदस्यगण सदन के फ्लोर पर नारे लगाते रहे)

(घोर व्यवधान के मध्य)

मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में बसपा के अलग हुए गुट के सदस्यों के संबंध में औचित्य का प्रश्न उठाने का प्रयास (क्रमागत)

*श्री हुकुम सिंह--

सदन 11.00 बजे से अव्यवस्थित है। एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा रहा है। इसमें बोलने का समय दे दें।

श्री अध्यक्ष--

आपने जो प्रश्न उठाया उसके लिए एक नोटिस हमारे आफिस को दिया गया है। आपने कोर्ट के निर्णय को लगाया है उसको मैंने पढ़ा नहीं है। इसको पढ़ने के बाद विधिक राय लेनी पड़ेगी।

श्री हुकुम सिंह--

रात में पढ़ लेना चाहिए था।

श्री अध्यक्ष--

अभी तो मुझे देकर गए हैं।

श्री हुकुम सिंह--

हाई कोर्ट के फैसले को पढ़ने न पढ़ने की बात है।

श्री अध्यक्ष--

जब मैंने निर्णय नहीं पढ़ा, तो कैसे राय दें ? इसको पढ़ने के बाद ही तो राय देंगे।

(घोर व्यवधान के मध्य)

हम इसको पढ़ेंगे, अभी हमको यह 10 बजे ही मिला है। यह अब नहीं चलेगा। हम उसके बारे में पढ़ेंगे, हम भी पढ़े-लिखे हैं, विधिक राय लेंगे, मुझको अवसर दीजिए।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

यह अधिकार किसी को नहीं है कि . . . .

(वेल में आए हुए बसपा के सदस्य नारे लगा रहे थे)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

† छापे नहीं गये।

*श्री सुखदेव राजभर--

अध्यक्ष जी व्यवस्था दीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, व्यवस्था दे दें। आपको तो कल महाधिवक्ता आकर बता गये हैं। हाउस में एडवोकेट जनरल ने बताया है कि 40 विधायक वापस हो गए हैं।

(वेल में आए हुए बसपा सदस्यगण नारे लगाते रहे)

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

देखिए, नेता विरोधी दल का भाषण होना है। जब चर्चा होगी तो आप अपनी बात कह लीजिएगा।

श्री सुखदेव राजभर--

मान्यवर, आप एडवोकेट जनरल की बात मान जाइये और अगर आप कहिए तो हम अपने विधायकों को पकड़कर उधर से उठाकर इधर ले आयें।

श्री अध्यक्ष--

आप प्रोसीडिंग निकालकर देख लीजिए कि महाधिवक्ता ने क्या कहा है। ऐसा नहीं कहा है। उसको पढ़ा जाएगा, जो कोर्ट का उल्लेख होगा उसी के अनुसार देखा जाएगा ।

श्री सुखदेव राजभर--

माननीय अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था दें। महाधिवक्ता ने कल कहा है कि 40 विधायक वापस हो गये।

श्री अध्यक्ष--

मेरे पास आया है। मैं उसे पढ़ूंगा, देखूंगा उसके बाद फैसला होगा। यह जबरदस्ती नहीं होगा। जो फैसला होगा उसे मैं पढ़ूंगा, विधिक राय लूंगा। आपको पूरा अधिकार है कि अगर विधि सम्मत नहीं होगा तो फिर आप जा सकते हैं।

*श्री रंगनाथ मिश्र--

मान्यवर, कल महाधिवक्ता ने स्पष्ट रूप से विधान सभा में बता दिया था कि पूर्व विधान सभा अध्यक्ष का आदेश निरस्त हो गया।

श्री अध्यक्ष--

मुझे आदेश पढ़ लेने दीजिए।

श्री रंगनाथ मिश्र [x x x]

श्री ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह)--

मान्यवर, आप आदेश की प्रति पढ़ रहे हैं। केवल वही आपरेटिव पोर्शन पढ़ लें।

श्री अध्यक्ष--

नहीं मैं वह नहीं पढ़ रहा हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट--[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री सुखदेव राजभर--

मान्यवर, हमारे विधायक हमें वापस कर दें।

(बसपा सदस्यों द्वारा नारे लगाने का क्रम जारी रहा)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, यह अपने विधायकों के विरह में कितना तड़प रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

मैंने सुन लिया। मुझे पढ़ने दीजिये। आज सुबह दस बजे ही मुझे मिला है, मैं उसे देख लूं, उस पर विधिक राय ले लूं।

श्री हुकुम सिंह--

यह ढाई साल से तड़प रहे हैं उनको भेज दीजिये, गले लगा लेने दीजिये। हमारे सामने ही इनका भरत मिलाप हो जाय। यह कितना मिस कर रहे हैं ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, हम तो इनका भी स्वागत कर रहे हैं। यह लोग भी आ जायें। पड़ोसी की मदद से बाप नहीं बन सकते हैं और बनना भी नहीं चाहिए।

श्री अध्यक्ष--

मेरा आप लोगों से आग्रह है कि आप कृपया अपनी सीटों पर चले जायें। आपने नोटिस दी है मुझे कुछ तो पढ़ने का अवसर दीजिये। अगर आपके पक्ष में फैसला नहीं हो तो आप यहां पर आ सकते हैं।

*श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, अभी संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि पड़ोसी की मदद से बाप नहीं बनना चाहिए तो अवैध संतान के रूप में बाप बनने को यह तैयार हैं।

श्री सुखदेव राजभर (सदन के वेल से)--

आप, जो ए0जी0 ने सदन में कहा है, उसको देख लें। उन्होंने कहा कि बसपा के चालीस माननीय सदस्य वापस हो गये। जजमेंट में यह कहा गया है कि उनकी सदस्यता समाप्त होने के बाद सदन में बैठने के लिए तत्काल व्यवस्था की जाय। प्रदेश में यह संदेश चला गया है। एक ले-मैन भी यह कह रहा है कि वह वापस हो गये हैं। आप उनकी कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं तो इससे एक संदेश जायेगा।

श्री अध्यक्ष--

ए0जी0 ने जो कहा है वह प्रोसीडिंग में है आप स्वयं देख लें। आप अपनी सीट पर जायें। मुझे एक दो दिन का समय दे दें। पढ़ने के बाद और विधिक राय लेने के बाद ही मैं अपना मन्तव्य दूंगा। आप यहां खड़े होकर जो कह रहे हैं यह आप सामान्य चर्चा में भी कह सकते हैं।

(बहुजन समाज पार्टी के सदस्य सदन के फ्लोर पर खड़े होकर सरकार विरोधी नारे लगाते रहे जिससे घोर व्यवधान की स्थिति बनी रही।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

आपसे मैंने कहा कि आज सबेरे मौर्या जी ने नौ-दस बजे दिया है और मैंने अभी उसे पढ़ा भी नहीं है। ऐसी स्थिति में मैं इस पर कैसे निर्णय दे दूं।

श्री रंगनाथ मिश्र--

फिर महाधिवक्ता ने किस आधार पर अपना बयान दिया है ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

जनता की अदालत में जाओ, जनता की अदालत में। अगर सरकार में रहना हो तो इधर आओ।

मान्यवर, 12 सदस्य लोग कह रहे हैं कि सरकार नहीं चलेगी, कैसे नहीं चलेगी, यह सरकार खूब चलेगी।

(बहुजन समाज पार्टी के सदस्य पुन: सरकार विरोधी नारे लगाने लगे।)

(घोर व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, बजट की सामान्य चर्चा पर माननीय नेता प्रतिपक्ष को बोलना है, एक घण्टे से सदन अव्यवस्थित है। यह एक ऐसी स्थिति आयी है, जो आपने अपने विवेक से उसका समाधान करने का प्रयास किया है और हुआ भी है। लेकिन अगर, सदन व्यवस्थित नहीं हो पा रहा है तो आखिर इस स्थिति का कोई अन्त तो होना ही चाहिए। आप चाहे तो नेताओं को अपने कक्ष में बुला लें और बैठ कर बातचीत कर लें ताकि कोई हल निकल सके।

श्री अध्यक्ष--

माननीय हुकुम सिंह जी, मैंने जो बतायी बातें हम वहां वहीं करेंगे। हमें एक नोटिस भी दिया हुआ है, और उसके साथ जो फैसला है माननीय न्यायालय का, उसकी प्रति संलग्न कर मेरे आफिस में आज 10.00 बजे दी गयी है। आप यह चाहते हैं कि हम यह निर्णय दें कि यह 40 सदस्य बहुजन समाज पार्टी के सदस्य हैं। मैंने कहा है कि मैंने अभी उसे पढ़ा नहीं है, पढ़ने के बाद उसमें विधि विशेषज्ञों की राय की भी जरूरत पड़ सकती है, उस राय को भी हम देखेंगे।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, मेरा यह बिन्दु नहीं है।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, मेरा आग्रह है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने एक दरख्वास्त दी है और उसके साथ जो मोटा जजमेन्ट है उसकी प्रति संलग्न की है। मान्यवर, जो एडवोकेट जनरल ने यहां सदन में कहा, जो अखबारों और इलेक्ट्रानिक मीडिया में आया है या छपा है उससे जनता की जानकारी में यह स्पष्ट आ गया है कि यह सदस्य जो हैं उनकी सदस्यता बरकरार रहेगी और उस पर भी यह है कि फैसला करने के लिए माननीय अध्यक्ष, विधान सभा सक्षम होंगे।

इसलिए मान्यवर, यह सिर्फ केवल भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। प्रदेश में अराजकता पैदा करना चाहते हैं अत: इनके साथ कोई नरमी नहीं होनी चाहिए क्योंकि यह इस तरह से यहां अराजकता फैलाना चाहते हैं। मान्यवर, यह भ्रम और कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा करना चाहते हैं और न्यायालय की अवमानना कर रहे हैं। यह इस तरह से न्यायालय के आदेशों और उसके जजमेन्ट की अवमानना है।

(घोर व्यवधान)

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)--

माननीय अध्यक्ष जी, आपसे मैं भी निवेदन करूंगा कि जजमेन्ट स्पष्ट है कि वह मर्जर नहीं माना है 40 लोग जो विधायक हैं, उनको लोकतांत्रिक बहुजन दल का माना है। उसके बाद भी हम यह जो स्थिति देख रहे हैं, इसका औचित्य क्या है ?

मान्यवर, इस तरह से तो इनकी मनमानी नहीं चलेगी।

(सत्तापक्ष के अधिकांश सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, ऐसे कैसे चलेगा ?

(सदन के वेल से बहुजन समाज पार्टी के श्री सुखदेव राजभर कहने लगे कि नेता सदन ने कह दिया कि वे निर्णय को जानते हैं और आप खुद कह रहे हैं कि आपको मालूम नहीं है।)

श्री अध्यक्ष--

मैं वही बातें कह रहा हूं कि पहले मुझे निर्णय को पढ़ लेने दें। फैसले की प्रति मौर्या जी ने दी है। मैंने उसे अभी देखा भी नहीं है। मैं मौर्या जी से कह रहा हूं कि नेता विरोधी दल कुछ कहना चाहते हैं उन्हें बोल लेने दें।

जो निर्णय दिया गया है, उसके विरुद्ध कैसे कुछ होगा। मैं उसे पढ़ लूं और देख लूं। अगर कोर्ट ने फैसला दिया है तो उसे देखेंगे। आप इतने भयभीत क्यों हैं ? फैसला देख लेने दें।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, यह निशाचरण से सरकार को धमकायेंगे। ये अराजकता फैलाना चाहते हैं प्रदेश में, यह गुण्डई करके अराजकता फैलाना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष--

आज ही अभी-अभी निर्णय कैसे कर देंगे ? आप लोग अपनी सीट पर चले। आपकी बात से मैं सहमत हूं कि नेताओं से वार्ता करें। मैं यही बात कह रहा हूं कि सब नेताओं की जरूरत भी नहीं है। उनकी पार्टी का अपना मामला है। कोर्ट के फैसले के अनुसार कार्य करना है उसमें न आपकी चलेगी, न मेरी चलेगी और न उनकी चलेगी और मैं चाहता हूं कि नेता विरोधी दल का भाषण हो जाय इसके बाद हम तो यही कहेंगे कि पढ़ेंगे देखेंगे। तो हमें पढ़ने का तो मौका दे दें ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, बहुमत को चुनौती कैसे हो जायेगी। जिस सरकार ने कल अपना स्पष्ट बहुमत पाया है उसे चुनौती कैसे हो जायेगी ?

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, नेता सदन ने कहा कि फैसला बिल्कुल स्पष्ट है जब दोनों की राय यह है कि फैसला स्पष्ट है तो खाली आप ही कह रहे हैं कि फैसला स्पष्ट नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

अब आप सुन लीजिए नेता सदन कहते हैं कि 40 सदस्यों को लोकतांत्रिक बहुजन दल माना है और यह कहते हैं कि बहुजन माना है, तब किसकी बात माने तो पढ़ने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं ?

श्री हुकुम सिंह--

माननीय, उनको भी सुन लें और इनको भी सुन लें।

श्री अध्यक्ष--

तो वहीं चलकर सुनायें।

श्री हुकुम सिंह--

माननीय, उनके पास जजमेन्ट है।

श्री अध्यक्ष--

उनकी कहना है कि उन्हें आज मान लीजिए। मैंने कहा मैं फैसला बिना देखे, बिना पढ़े कैसे इसमें निर्णय ले लूं, यही तो कहा है मैंने । अब उनको मान जाना चाहिए। भाषण होने देते खाली होते, तब चलते, फैसला पढ़ते हों एक या दो दिन में जब निर्णय न हो तो आपको मुझसे कहना चाहिए। इनको समझाइये कि एक दो दिन में निर्णय नहीं होता तब इस प्रकार की कार्यवाही करते दबाव बनाते। जब अभी हमने पढ़ा नहीं वो वजन है उसकी बात जान लूं तो यह एक दिन का मौका नहीं देंगे, तुरन्त-तुरन्त कैसे होगा आप तो खुद वकील हैं बताइये। मैं कह रहा हूं कि आप अपनी जगह पर चलें, माननीय नेता विरोधी दल का भाषण होने दीजिए। यह कोई लम्बा नहीं है यह तो फैसला करना ही पड़ेगा कि वह किस दल के हैं लेकिन अभी हमें पढ़ लेने दो । हम पढ़ते हैं उसमें जो निर्णय होगा उसी के अनुसार होगा।

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

माननीय, मात्र उसमें इतना ही नहीं है कि आपको यह फैसला करना है कि कौन किस दल का है या नहीं है ? आपके फैसले पर यह भी तय होगा कि वह सदन के सदस्य रहेंगे या नहीं रहेंगे। यह भी तय होगा कि वह इसे सदन के सदस्य रहेंगे या नहीं रहेंगे, यह भी अधिकार आपके पास है।

श्री अध्यक्ष--

आप चलिये बैठिये। आप वहां बैठ जायें वहां। एक दिन का मौका देना चाहिए, ऐसी नहीं है कि तुरन्त। मेरे पास जजमेन्ट की कापी आनी चाहिए आपने दिया है तब मैं पाया हूं। मैं तो पाया भी नहीं था आप चलें माननीय ओ0पी0 सिंह अगर यह पालिटिकल डिसीजन है कि नहीं चलने देना है तो मुझे कोई एतराज नहीं है लेकिन अगर समझदारी की बात है। यह सही है मुझको उसको समझने दीजिए समझ लें, देख लें तो उसके बाद उसमें जो होगा उसी के अनुसार तो होगा।

*श्री राम लाल अंकेला--

माननीय, यह सरकार चलेगी पूरे 5 साल। माननीय, किसान का विकास हुआ है खासे तौर से सभी वर्गों के लिए इस सरकार ने काम किया है। यह मुट्ठी भर लोगों को बरदाश्त नहीं हो पा रहा है। यह मुट्ठी भर लोग सदन की कार्यवाही हाइजेक करना चाहते हैं। इनकी सदस्यता को खत्म कर इनको सदन से बाहर करने का काम किया जाये।

---

*वक्ता ने भाषण का मुलबीजन्म ... किया।

(बहुजन समाज पार्टी के वेल में आये हुये सदस्य लगातार नारे लगाते रहे जिससे सदन में घोर व्यवधान बना रहा)

मान्यवर, इनकी सदस्यता समाप्त कर दें।

श्री अध्यक्ष--

सदस्यता खत्म करने के लिये बहुत प्रक्रिया लम्बी होती है। माननीय सुखदेव जी, आप विधिक बात जानते हैं। मुझे एक दिन का मौका दे दें। उसे समझने का। अभी मैंने उसे पढ़ा नहीं है। अगर आपने पोलिटिकल निर्णय ले लिया है कि मुझे यही करना है तो मुझे कुछ नहीं कहनी है। अगर आप निर्णय चाहते हैं तो मुझे पढ़ लेने दें। जब निर्णय आपकी मंशा के विपरीत हो तब यह सब करियेगा। कोर्ट ने तो अभी फैसला दिया है, मैंने उसे पढ़ा नहीं है। इनका दूसरा चैलेंज है, आपका दूसरा चैलेंज है, जब निर्णय आपके विपरीत हो तब इस तरह की हरकत करना चाहिए। हमें समय दे दीजिये।

श्री मोहम्मद आजम खां--

अध्यक्ष जी, अगर इन्हें जजमेंट से आपत्ति है तो उसके आगे सुप्रीमकोर्ट है। अब निर्णय आपको लेना है। आपको यह निर्णय भी लेना है कि यह सदस्य रहेंगे या नहीं रहेंगे। आपको सदस्यता समाप्त करने का भी अधिकार है।

(बहुजन समाज पार्टी के वेल में आये हुये सदस्य लगातार नारे लगाते रहे जिससे सदन में घोर व्यवधान बना रहा)

श्री अध्यक्ष--

माननीय राजभर जी, आप चलें। यह पॉलिटिकल डिसीजन होते हैं कि आज सदन चलने देना है या नहीं चलने देना है। आप लोग अपने स्थान पर चलें और भाषण होने दें। इसमें मेरा तो कोई दोष है नहीं कि कौन कहां बैठे ? आप तो संसदीय कार्य मंत्री रहे हैं।

*नेता विरोधी दल (श्री लाल जी टण्डन)--

मान्यवर, एक घंटे से अधिक हो गया। सदन अध्यस्थित है। पहले आप सदन को व्यवस्थित करिये या फिर सदन स्थगित करिये। हम लोगों का समय कोई फालतू नहीं है। आज मैं अस्वस्थ हूं, फिर भी मुझे बोलना था, इसलिये मैं आया हूं। या तो आप चेम्बर में बैठकर इनको बुलाकर कोई रास्ता निकाल लीजिये और इनको संतुष्ट कर दीजिये। आपने कहा कि आप पढ़कर ही कोई निर्णय देंगे उस पर लीगल ओपीनियन लेंगे, तब आप अपनी ऑपीनियन देंगे। यह जो यहां पर इस तरह की स्थिति बनी हुयी है, एक दल पूरी उत्तेजना में है और यह सदन को नहीं चलने दे रहे हैं तो कुछ न कुछ तो आप करें। आप या तो सदन को व्यवस्थित करें या फिर सदन को स्थगित कर दें।

श्री अध्यक्ष--

माननीय नेता विरोधी दल, मैं तो इनको समझा ही रहा हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां--

माननीय नेता विरोधी दल ने चाहा है कि सदन का कामकाज अच्छी तरह चले मैं भी चाहता हूं कि सदन चले, नेता सदन बैठे हैं, पूरा सदन चाहता है, पूरा प्रदेश चाहता है कि सदन चले।

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

उत्तेजना का कोई कारण हो, उत्तेजना का केवल एक ही कारण हो सकता है, जो कि सभी को मालूम है कि एक दरख्वास्त, जजमेंट के साथ आपको दी गई। उसको अगर पढ़ना शुरू किया जाए तो एक-दो दिन का समय उसको पढ़ने में लगेगा, इतना मोटा जजमेंट है।

(सदन के वेल से)--केवल लास्ट वाला पढ़ लें।

श्री अध्यक्ष--

अब आप हमें बतायेंगे कि मैं कौन सा पढ़ूं ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, वह बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिन्होंने अपना लास्ट पढ़ लिया है, वह उसी की राय दे रहे हैं। मान्यवर, मेरा आग्रह यह है और नेता विरोधी दल ने भी चाहा है कि कोई रास्ता निकलना चाहिए, नेता सदन भी ऐसा ही चाहते हैं कि रास्ता निकलना चाहिए। लेकिन मान्यवर, सदन की बात सदन में होगी और सदन के बाहर की बात सदन के बाहर होगी। मान्यवर, क्योंकि सदन में एक विवाद आया है, आपने उत्तर भी दिया है कि आप उसे देखेंगे, पढ़ेंगे और उसके बाद जल्द ही उस पर निर्णय लेंगे, उसके बाद तो कोई विवाद की बात समझ में नहीं आती है। आज नेता विरोधी दल को बोलना है, बहुजन समाज पार्टी को बोलना है, कांग्रेस पार्टी को बोलना है, बजट भाषण पर सामान्य चर्चा होनी है, नेता जी को जाना है, व्यक्तिगत कारणों से जाना है, चेक-अप के सिलसिले में जाना है।

(बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों द्वारा नारेबाजी करने पर)

कुछ तो यार, कुछ तो मानवता की बात भी मान लिया करो, कुछ तो इंसानी जाती मजबूरियों को भी मान लिया करो। मान्यवर, पूरा सदन और पूरा प्रदेश यह जान भी रहा है कि कितनी संख्या है, और कितनी संख्या सरकार बनाने की इच्छा रखती है। मान्यवर, अगर इतनी संख्या के बल पर इस बहुमत की सरकार को रोका जा सकता है, तो जाहिर सी बात है कि यह नादानी है और दीवानगी है, नादानी नहीं दीवानगी है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि सदन व्यवस्थित हो, आज की कार्यवाही चले और आपका निर्णय इस पर हो जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मान्यवर, यह बात हमारी तरफ से, चाहे इसे सरकार का पक्ष समझें या संसदीय कार्यमंत्री का पक्ष या नेता सदन का, कि जो हमने सुना है इस निर्णय के बारे में, जो अदालत से हुआ है,उसमें यह अधिकार भी आपको है कि उसमें से कितने सदस्य इस सदन के सदस्य रहेंगे, कितने सदस्य इस सदन के सदस्य नहीं रहेंगे और किसको कहां मर्ज करेंगे, यह अधिकार भी आपका है और जैसे ही यह बात इनके मन में उतर जाएगी और ठीक से यह उस हिस्से को पढ़ लेंगे, जो उसका असल हिस्सा है तो मेरे ख्याल से यह 'वेल ऑफ द हाउस' में नहीं आयेंगे और इन्हें यह पता चल जाएगा कि इनकी नादानी से कहीं ऐसा न हो, मान्यवर, लगता यह है कि उन 40 सदस्यों को भी इस बात पर विचार करना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनकी यह बेवजह की हमदर्दी हमदर्दी नहीं है, बल्कि यह उनका अहित तो नहीं चाहते हैं, यह ऐसा तो नहीं चाहते हैं कि वह लोग सदन के सदस्य ही न रहें, कहीं ऐसा तो नहीं है कि यह उन्हें अपना बनाकर उन्हें कहीं का नहीं रखना चाहते हों। तो मान्यवर, इन्हें समझना चाहिए और उन्हें इन्हें समझाना चाहिए, इसलिए मान्यवर, कोई औचित्य नहीं है, यह लोग अपने स्थान पर जाएं और आज कार्य-मंत्रणा में जिस तरह से कार्यक्रम को तय किया गया है, उसके ऐतबार से सदन को चलने दें।

(बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों द्वारा सदन के वेल से अपनी बात कहते रहने पर)

मान्यवर, फैसले पर फैसला सिर्फ दो जगह से हो सकता है, या तो हाईकोर्ट के फैसले पर फैसला सुप्रीम कोर्ट से हो सकता है या हाईकोर्ट के फैसले पर फैसला आपकी पीठ से हो सकता है, तीसरी जगह से नहीं हो सकता है।

(बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों द्वारा सदन के वेल से अपनी बात कहते रहने पर)

श्री अध्यक्ष--

जब वहां से बोलेंगे, तब लिखा जाएगा। वेल में रह कर जो भी बोलेंगे वह लिखा नहीं जायेगा।

श्री मोहम्मद आजम खां--

[x x x]

(घोर व्यवधान/शोर जारी रहा)

श्री अध्यक्ष--

माननीय राजभर जी अपने आसन पर चलकर अपनी बात कहें। दद्दू प्रसाद जी आप पढ़े-लिखे हैं, अपने आसन पर चलिये।

(वेल में आये हुए बहुजन समाज पार्टी के सदस्य लगातार सरकार विरोधी नारे लगाते रहे।)

(प्रत्युत्तर में सत्तापक्ष के कई सदस्यों ने सरकार के पक्ष में नारे लगाये)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

मान्यवर, मैं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय का महत्वपूर्ण अंश पढ़ दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मौर्या जी, कृपया अपने माननीय सदस्यों को वेल से वापस बुलायें। जब तक सदन व्यवस्थित नहीं होगा, कुछ लिखा नहीं जायेगा।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा मा0 उच्च न्यायालय का निर्णय पढ़े जाने के विरोध में सत्तापक्ष के अनेक सदस्य खड़े होकर नारे लगाने लगे।) (घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य श्री स्वामी प्रसाद मौर्य अपने आसन से कुछ कहने का प्रयास करते रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

(सत्तापक्ष के अनेक सदस्यों द्वारा नारे लगाये जाते रहे।)

(प्रत्युत्तर में बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों द्वारा वेल से सरकार विरोधी नारे लगाये गये)

श्री अध्यक्ष--

यह ऐसा मामला नहीं है जिस पर तुरन्त फैसला हो। नेता विरोधी दल को बोलने दीजिए।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य अपने आसन से कुछ पढ़ते रहे।)

श्री मोहम्मद आजम खां--

[x x x]

श्री अध्यक्ष--

किसी पक्ष का कुछ नहीं लिखा जाएगा न इधर का, न उधर का।

(घोर व्यवधान के मध्य)

नोट--[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, सदन में जो माननीय सदस्य व्यवस्थित हैं सिर्फ उन्हीं का बोला लिखा जाय और जो दल व्यवस्थित नहीं है उनका नहीं लिखा जाये जब तक कि वे सदस्य अपनी कुर्सी पर नहीं चले जाते। हम व्यवस्थित हैं इसलिए हमारा बोला हुआ लिखा जाय।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

मान्यवर, मैं व्यवस्थित भी हूं और अपनी कुर्सी पर हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां--

या तो मौर्य जी भी इधर आ जायं या ये सब साथी उधर चले जायं। नहीं मान्यवर, कुछ भी नहीं सुना जाये, न लिखा जाये । पहले यह व्यवस्थित हों और अपने आचरण को ठीक कर लें।

(सदस्यों के बोलते रहने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मेरे पास आपने फैसला दिया है। मेरा निर्णय आ जाने दीजिये उसके बाद बोलिये। आपने नेता विरोधी दल को तो बोलने नहीं दिया। इतने सम्मानित सदस्य हैं वो, इतना सम्मानित पद है इस सदन में उनका और आपने उनको बोलने नहीं दिया। यह जो बात आप कर रहे हैं, यह यहां तय होंगी ? यह न्यायिक प्रक्रिया की बात है। न्यायिक प्रक्रिया और यहां की कार्यवाही में कुछ तो अन्तर करिये। आप जो प्रश्न उठा रहे हैं वह न्यायिक प्रक्रिया का है, यह यहां पर तय होगा बतायें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

मान्यवर, हमने हमेशा आपके आदेश को शिरोधार्य किया है।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मौर्या जी, मैंने यही कहा कि मुझे उसको पढ़ लेने दीजिये उस पर निर्णय हो जाने दीजिये जब आप उससे सन्तुष्ट नहीं होंगे तब अपनी बात कहियेगा। आप मेरी बात मान नहीं रहे हैं। अब आपने अगर पोलिटिकली मन बना रखा है तो आप भी बैठे हैं और हम भी बैठे हैं।

(सत्ता पक्ष के सदस्य भी जोर-जोर से बोलते रहे)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

मान्यवर, हमारी बात आप सुन नहीं रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

मैं फिर आपको कह रहा हूं कि मुझे उसको पढ़ लेने दीजिये। जब उस पर निर्णय से आप सन्तुष्ट नहीं होंगे तब कहियेगा। यह एक विधिक प्रक्रिया है, जूडीशियल प्रोसेस है, जूडीशियल प्रोसीडिंग है और यह अलग प्रोसीडिंग है। उसको इससे मत जोड़िये।

(सत्तापक्ष की तरफ से नारे लगाये गये)

माननीय सदस्य, आप लोग तो शांत हो जायं।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, यह इतिहास है। . . . . .

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष--

आपने मुझे फैसला दिया है उसको मैं पढ़ूंगा। आपका पढ़ा मैं कुछ नहीं मानता। आप सबसे कह दिया मैं पढ़ूंगा। विधिक राय लूंगा जो न्यायिक प्रक्रिया होगी, वह होगी मैं कह रहा हूं। आप बात नहीं मानते हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां--

यह भी इतिहास होगा सदन के अध्यक्ष की पीठ से कहा जा रहा है आप अपनी जगह जाएं हम सुनने को तैयार हैं। बहुजन समाज पार्टी का ऐसे में सदन के वेल में रहना कितना गलत है। मान्यवर, यह अकेला दल है 1947 के बाद, अकेले इस दल को सर्वोच्च न्यायालय ने बेईमान कहा है। इनकी नेता को बेईमान कहा है यह अकेला दल है।

श्री सुखदेव राजभर--

[x x x]

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

कुछ नहीं लिखा जाएगा।

श्री मोहम्मद आजम खां--

यह अकेला राजनैतिक दल है जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा चोरी की है। यह भारत के लिए बहुत खतरनाक है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी दी है।

(बसपा के सदस्यगण सदन के फ्लोर से नारे लगा रहे थे,)

(व्यवधान के मध्य)

(व्यवधान के मध्य श्री स्वामी प्रसाद मौर्य पढ़ने लगे लेकिन कुछ सुनाई नहीं दिया)

श्री अध्यक्ष--

कुछ नहीं लिखा जाएगा और न यह कार्यवाही का अंग माना जाएगा।

श्री मोहम्मद आजम खां--

अध्यक्ष जी, आपको यह बार-बार कहने की आवश्यकता शायद नहीं है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के सदस्य व्यवस्थित नहीं हैं और वेल में बैठे हुए हैं। 12 बजकर 35 मिनट हो गया है और डेढ़ घण्टे से ज्यादा समय से इनका यह आचरण जारी है, यह आचरण सदन के लिए अच्छा नहीं है। जिस दबाव से मान्यवर, यह अपनी बात लिखवाना चाहते हैं, वह अच्छा नहीं है। मेरा आप से आग्रह है कि . . . .

(सरकार विरोधी मारे बसपा सदस्य जोर-जोर से पुनः लगाने लगे)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

माननीय अध्यक्ष जी, ...

नोट--[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री मोहम्मद आजम खां--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति लेकर बोल रहा हूं। मुझे आपने बैठने के लिए नहीं कहा है, मैं अपनी बात कह रहा हूं और आपने अभी किसी दूसरे माननीय सदस्य को बोलने के लिए नहीं कहा है।

श्री अध्यक्ष--

शान्त होकर सुन लो, आप भी अपनी बात कह लेना।

(बसपा सदस्यों द्वारा नारेबाजी जारी रही।)

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, जो फैसला अदालत में कई सालों तक बहस में रहा और कई सालों बाद वहां से निर्णय हुआ, जो फैसला वर्षों में हुआ वह फैसला आपकी पीठ से क्षणों में चाहते हैं। जो वर्षों में हाईकोर्ट से फैसला हुआ, उसे वह क्षणों में चाहते हैं।

(नारेबाजी जारी)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग वहां जायें और फिर अपनी बात सुनायें। आप अपने स्थानों पर जायें।

*बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री किरन पाल सिंह)--

अध्यक्ष जी, आप सुनना भी चाहते हैं और यह सुनाना भी चाहते हैं लेकिन इनकी बात में कोई दम नहीं है। यह पहली बार हो रहा है जब से मैं सन् 80 से इस सदन में हूं। माननीय अध्यक्ष जी सुनना चाहते हैं और यह सुनाना भी चाहते हैं फिर भी ये अपने स्थान पर जाने को तैयार नहीं हैं। अध्यक्ष जी कह चुके हैं कि आप अपने स्थान पर पहुंच जायें लेकिन फिर भी वह अपने स्थान पर जा नहीं रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य, सम्मानित सदस्य हैं। यहां अच्छा नहीं लगता है, आप अपने स्थान पर जायें।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, जब तक बहुजन समाज पार्टी का दल व्यवस्थित नहीं है, उनके नेता वहां से उठकर बोलेंगे तो . .

श्री अध्यक्ष--

आप अपने स्थान पर चलिये तो, संसदीय कार्य मंत्री जी भी कह रहे हैं। आप लोग अपने स्थान पर चलिये। मौर्या जी, आप कुछ कहना चाहते हैं तो इनको बुला लीजिये।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी के श्री सतीश महाना जी ने बसपा के नेता को निर्देशित किया कि पहले बुला लीजिए फिर वापस आ जायेंगे। अरे वाह बहुजन। यह है बहुजन। राखी बंधवा ली फिर आपने।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री हुकुम सिंह--

आपका बहुत तकलीफ हो रही है राखी की। राखी उन्हीं को बंधती है जिनकी कलाई होगी। आपकी तो कलाई हो नहीं है आपको क्या राखी बंधेगी।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, इनको किस्मत में यही लिखा है।

*पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम यादव)--

पर्चा वापस करो।

*श्री सतीश महाना--

आप कौन से पर्चे की बात कर रहे हैं ?

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा बोलने का प्रयास करने पर)

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, जब तक बसपा के सदस्य अपनी सीटों पर वापस नहीं जाएं तब तक उनके नेता की बात नहीं सुनी जाए। जब तक सदन व्यवस्थित नहीं हो तब तक उनके नेता की बात नहीं सुनी जाए और न लिखा जाए।

*श्री ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह)--

मान्यवर, सदन कौन चला रहा है ? आप चला रहे हैं या माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी चला रहे हैं ? क्या माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी अब निर्देश देंगे कि क्या लिखा जाएगा और क्या नहीं लिखा जाएगा ?

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाइए।

श्री सतीश महाना--

मान्यवर, आपने अभी संसदीय कार्य मंत्री जी को बैठने के लिए कहा लेकिन माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी नहीं मान रहे हैं। वह आपके आदेश की अवमानना कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

यह सदन अव्यवस्थित है। कहां क्या हो रहा है इसको किस नियम-प्रक्रिया से देखेंगे आप ? पहले सदन व्यवस्थित हो उसके बाद जो बात कहेंगे वह हम सुन लेंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, मैं बैठ जाता हूं।

श्री अध्यक्ष--

मौर्य जी, आप माननीय सदस्यों को वापस बुला लें।

(श्री अध्यक्ष के द्वारा आश्वस्त किये जाने पर बसपा के सदस्यगण अपनी सीटों पर वापस चले गये)

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, हमें अच्छा लगा। यह लोग अच्छे बच्चों की तरह मान गये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

मान्यवर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस औचित्य के प्रश्न पर बोलने का अवसर दिया।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, मैं एक अनुरोध करना चाहूंगा कि चूंकि सदन व्यवस्थित है लिहाजा मेरा निवेदन है कि कार्य मंत्रणा समिति के कार्यक्रम के अनुसार सदन को चलायें। माननीय नेता विरोधी दल का सामान्य चर्चा पर भाषण होना था, उनसे कहें कि वह तशरीफ लायें।

श्री अध्यक्ष--

नेता विरोधी दल चले गये हैं। वह इस समय यहां पर नहीं हैं। मौर्या जी का औचित्य का प्रश्न है मैं उन्हें सुन लूं कि वह क्या कह रहे हैं । इसको सुनने में क्या दिक्कत है ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

मान्यवर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस अति महत्वपूर्ण औचित्य के विषय पर सुनने का मौका दिया। मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जो कल माननीय तीन जजों का निर्णय आया है, उसके परिप्रेक्ष्य में यह निवेदन करना चाहता हूं, आपने कहा कि मैंने अभी पढ़ा नहीं, मैं पढ़ने के बाद निर्णय दूंगा। आप इसमें क्या करें या क्या न करें। यह आपका विवेक है, आपके निर्णयों का अनुपालन हम करते रहे हैं। हमें केवल इतना ही कहना है कि जो तीन जजों की पीठ ने निर्णय दिया है, एक जज के द्वारा याचिका खारिज कर दी गयी। दो ने याचिका को स्वीकार किया है और व्यवस्था दी कि जो माननीय अध्यक्ष, विधान सभा, उत्तर प्रदेश का निर्णय इसके पूर्व में 6/9/2003, 8/9/2003 तथा 7/9/2005 को दिया गया था वह सारे के सारे आदेश क्वैश हो गये हैं और उन्हें शून्य करार दिया जाता है। इसमें सीधे-सीधे जस्टिस भल्ला जी ने लिखा है--

> 'द रिट पीटीशन इज अलाउड इन पार्ट एण्ड द आर्डर्स डेटेड 6-9-2003, 8-9-2003 एण्ड 7-9-2005 पास्ड बाई द लर्नेड स्पीकर आर हेयरबाई क्वैश्ड एण्ड द मैटर इज रेमिटेड बैक टू द लर्नेड स्पीकर टू टेक ए फ्रेश डिसीजन आन आल द एप्लीकेशंस आई0ई0 एप्लीकेशंस अण्डर पैराग्राफ 2, 3 एण्ड 4 ऑफ द टेन्थ शैड्यूल ट्रीटिंग द आर्डर्स पास्ड अर्लियर आई0ई0 द इम्प्यून्ड आर्डर्स डेटेड 6-9-2003, 8-9-2003 एण्ड 7-9-2005 एज नॉनेस्ट मतलब शून्य करार दिया जाता है। इन द आइज आफ ला लर्नेड स्पीकर शेल डिसाइड द एप्लीकेशंस, इन द लाइट आफ द आब्जर्वेशंस मेड एबव, एक्सपिडिशसली।'

श्री अध्यक्ष--

आप इसका हिन्दी अनुवाद कर दीजियेगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

मान्यवर, मैं कर दूंगा। दूसरा आर्डर जस्टिस प्रदीप कान्त जी का है। इसमें इन्होंने लिखा है कि द डिसक्वालिफिकेशन पिटीशन कुड नाट हैव बीन रेन्डर्ड इन्फ्रक्चुअस विदाउट रिकार्डिंग ए फाईंडिंग एण्ड विदाउट गिविंग डिसीजन आन मेरिट्स। कान्सीक्वेन्टली, द आर्डर डेटेड 7-9-2005 आलसो डिजर्व्स टू बी क्वैश्ड, एण्ड इज हेआरबाई क्वैश्ड। फिर आगे उन्होंने कहा है कि-आई टू एग्री विथ द डाइरेक्टिव दैट ह्वदर भल्ला, जे0 हैज इश्यूड आफ्टर क्वैशिंग द आर्डर्स इम्प्यून्ड। इस तरह से दो माननीय जजों द्वारा दिनांक 6-9-2003, 8-9-2003 व 7-9-2005 की कार्यवाही को क्वैश कर दिया।

निरस्त कर दिया गया और शून्य करार कर दिया गया, ऐसी हालत में न तो दल-बदल की मान्यता मिलती है, न बहुजन समाज लोकतांत्रिक दल के गठन की मान्यता मिलती है और इनके पूर्व की स्थिति, इस निर्णय के आ जाने से पूर्व की स्थिति बन जाती है यानि यह सभी 40 विधायक अब बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्य हो जाते हैं। आज यह सदन मान्यवर, अव्यवस्थित क्यों है ? हमने औचित्य का प्रश्न क्यों उठाया ? अब आता वह बिन्दु मान्यवर, अब औचित्य का प्रश्न इसलिए है कि जब इन्हें बहुजन समाज पार्टी का सदस्य मान लिया गया और उनको उस समय दल-बदल करा करके समाजवादी पार्टी में विलय करा करके किसी को राज्यमंत्री, किसी को मंत्री की शपथ दिलाई गयी तो अब स्थितियां भिन्न हो गयी, समाजवादी पार्टी में विलय करा कर के उनको मंत्री पद दिला दिया गया। माननीय उच्च न्यायालय के अनुसार अब वह बहुजन समाज पार्टी के सदस्य हो गये तो स्वत: उनके सारे के सारे मंत्रियों को इस्तीफा देना चाहिए और बहुजन समाज पार्टी के जो माननीय सदस्य आज समाजवादी पार्टी के साथ बैठे हुए हैं उनको ना लाबी में आकर के अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आपको निर्देश देना चाहिए, व्यवस्था दी जानी चाहिए, मान्यवर यह हमारा अनुरोध है।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, बिल्कुल शतप्रतिशत इत्तेफाक है मौर्य जी से। मान्यवर इसके तीन हिस्से हैं एक तो जब दल बदल की प्रक्रिया शुरू हुई, कुछ माननीय सदस्य अध्यक्ष जी के पास गये अपनी एक अर्जी लेकर गये और उस पर उन्होंने अपना एक निर्णय चाहा, एक हिस्सा तो यह हुआ और दूसरा यह कि माननीय अध्यक्ष जी ने उनकी अर्जी पर परीक्षण किया और उस पर अपना निर्णय दिया और तीसरा हिस्सा इसका यह है कि उस निर्णय के बारे में हाईकोर्ट ने क्या किया ? एक चीफ जस्टिस साहब ने तो अपील ही डिस्मिस कर दी और अब दो माननीय न्यायामूर्ति हैं जो फैसला दे रहे हैं, उन्होंने जो दरखास्त लगी है माननीय अध्यक्ष जी के पास, उसे तो कुछ नहीं किया, उस समय के अध्यक्ष जी ने जो फैसला दिया है उस फैसले को खारिज किया है, दरखास्त लगी है मान्यवर, इसी के साथ-साथ यह भी निर्णय लिया है कि जो दरखास्त लगी है वह ऐज इट इज रहेगी, जैसी है। सदस्यों के बारे में क्या निर्णय लेना है इन अध्यक्ष ने यह कहते हुए कि डिसीजन वाज टेकेन इन हरी, तो जल्दबाजी में या जो भी हो फैसला ले लें इस फैसले से जज साहब ने इत्तेफाक नहीं किया और यह अधिकार भी है मान्यवर, आज के अध्यक्ष जी को वह दरखास्त वैसी ही लगी है, वह मामला उसी तरह से पेन्डिंग है, उस पर फैसला दीजिए। यह तो अब आपके न्यायालय में है, आपकी पीठ का अधिकार है, वह जो 40 सदस्यों की दरखास्त लगी है उस पर जो निर्णय लिया गया उस निर्णय से इत्तेफाक न करते हुए आज के अध्यक्ष जी को यह अधिकार दिया गया कि उनको निर्णय लेने का पूरा अधिकार है, अब यह अधिकार आपमें निहित है तो आप उसकी जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं जो नियमानुसार प्रोसीडिंग्स है उसे शुरू करें और उस पर फैसला लें, इस पर सरकार को, सत्ता पक्ष को और हमें कोई ऐतराज नहीं है।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, वैसे तो इससे मुझे कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन मुझे एक जानकारी लेनी है। संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो कुछ कहा और माननीय मौर्या जी ने जो कुछ कहा उसी के आधार पर

जानकारी लेना चाहेंगे। मान्यवर, जिन माननीय सदस्यों ने प्रार्थना-पत्र दिया था और आपके कथनानुसार वह प्रार्थना-पत्र जीवित है उसके ऊपर कोई निर्णय हाईकोर्ट का नहीं है और उस पर जो निर्णय दिया गया था प्रार्थना-पत्र पर माननीय अध्यक्ष जी द्वारा, वह निरस्त हो गया, उस निर्णय के परिणामस्वरूप ही उन माननीय सदस्यों की सदस्यता चाहे वह अलग दल के रूप में रही हो या मरजर के रूप में रही हो, जिस आदेश के आधार पर नया दल गठन करने की बात आयी या समाजवादी पार्टी में मरजर की बात आई वह आदेश आज है नहीं।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, जब वह आदेश आया है, तो जो आपने कहा कि वह स्थिति पूर्ववत् हो जाती है।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, जजमेन्ट की कापी मौर्या जी के पास है उन्होंने एक कापी आपको पहुंचायी है। हमने जो कुछ सुना है, जो अखबारों में और टी0वी0 में देखा है, उसमें तकनीकी कारण क्या दिये है वह तो आप देखेंगे। जो मोटी बात है वह यह है कि निर्णय आपमें सुरक्षित है, निर्णय आपको लेना है और उसके लिए नेता बहुजन समाज पार्टी आप पर दबाव डाले यह सही नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--

मौर्या जी, आपने अपनी बात कह दी मुझे भी कुछ कह लेने दीजिए।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

मान्यवर, जो आप व्यवस्था देते हैं हम उसको फालो करते हैं। मान्यवर, मेरी मंशा आप पर कोई दबाव डालने वाली नहीं है। आप विद्वान हैं। मान्यवर, यहां पर अध्यक्ष किसी पार्टी का नहीं होता है आप जितना संरक्षण उनको देंगे आप उतना हमें भी देंगे इसकी हम आशा करते हैं। मान्यवर, तीन तारीखों का हमने संदर्भ दिया है जिसमें विधान सभा अध्यक्ष निर्णय दिये थे।

श्री अध्यक्ष--

आपने सारी बातें कह दी हैं। आपने जो पढ़ा है आपको जो समझ में आया उसको आपने कहा। आब्जरवेशन्स जो न्यायालय के हैं वह आपने पढ़े नहीं हैं। जो फाइनल जजमन्ट है उसको आपने पढ़ा है। यह सुप्रीम कोर्ट का जो है, उसके आब्जरवेशन्स का महत्व है। उनके आब्जरवेशन्स का कुछ महत्व होगा, उनको पढ़ लेने दीजिए और देख लेने दीजिए। आप जो कह रहे हैं और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है उसको मैं देखूंगा और समझूंगा और जो उचित प्रक्रिया होगी, विधिक प्रक्रिया होगी, उसके हिसाब से कार्यवाही होगी। अभी आप बैठ जाएं और चर्चा प्रारम्भ होने दें।

(व्यवधान)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

ठीक है, आप इसको चाहे दो महीने बाद दीजिए। लेकिन मेरी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष--

देखिए, विधान सभा सदस्यों के संबंध में एक प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली बनी हुई है और उसमें वर्णित प्रक्रिया के अनुसार विधान सभा चलती है। माननीय सदस्यों के बारे में

उसमें यह है कि अगर कोई सदस्य इसका पालन नहीं करता है तो उसके लिए भी उसमें प्राविधान है। दसवीं अनुसूची इसलिए आयी है कि आपके पास उसमें सारे आप्शन्स मौजूद हैं तो यहां बहस करने की क्या आवश्यकता है ? आप बैठिए और इस पर चर्चा करायें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

मान्यवर, सदन को व्यवस्थित करने के लिए ही तो हम अनुरोध कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

अब आप चर्चा प्रारम्भ होने दें। जो आपने प्रश्न रखा है यह तो आपने भी कहा कि इसमें इसके बारे में कोई डायरेक्शन नहीं है कौंटे का कि कौन कहां बैठेगा ? आपने जो कहा है उसके अनुसार यह है कि वह जो आर्डर था उसको उन्होंने शून्य घोषित कर दिया है। आवेदन को शून्य नहीं घोषित किया है। जो एप्लीकेशन है उस पर विचार करना है।

आपने जो कुछ कहा यह न्यायालय नहीं है। यह विधान सभा है, न्यायालय की प्रक्रिया वहां चलेगी।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

मान्यवर, यह आदेश की कॉपी आपकी है, 6-9-2003 जिसमें है कि 'अत: मैं उपरोक्त कारणों से प्रश्नगत 37 विधायकों के प्रार्थना-पत्र को स्वीकार करता हूं और विधान सभा में 'लोकतांत्रिक बहुजन दल' की मान्यता देता हूं।'

मान्यवर, इस आर्डर को उन्होंने निरस्त किया और शून्य करार दिया है।

श्री अध्यक्ष--

अगर शून्य करार दिया है तो मुझे फैसला करना है। तो फिर मुझे फैसला करने दीजिए।

यह न्यायालय नहीं है अब हम न्यायाधीश के रूप में बैठेंगे तो जितने तर्क आपको देने होंगे आप दीजिएगा। अब आप कार्यवाही चलने दीजिए।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य

मान्यवर, आपने 8-9-2003 को एक निर्णय दिया उसमें आपने कहा ' चूंकि उपरोक्त 3 विधान सभा सदस्यों ने अपने प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तथ्यों की पुष्टि की है, अत: मैं उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए उन्हें समाजवादी पार्टी के सदस्य के रूप में अभिज्ञात करता हूं।'

श्री अध्यक्ष--

आप पूरा फैसला न पढ़ें, यहां विधान सभा की कार्यवाही चलने दें।

अब कुछ नहीं लिखा जायेगा।

आप भाषण कराइये, सारी बातें सुन लिया। देखिये आपको बोलना है कि नहीं। यह वित्तीय वर्ष 2006-07 के आय-व्ययक पर चर्चा जारी करेंगे।

अभी जब यह न्यायिक प्रक्रिया है और न्यायालय ने कहा है कि इसे तो जब हम देखेंगे तो यह बात आपको आ जायेंगी और हमें उसमें निर्णय देना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं तो जब जो [illegible] इसके लिए आपने कह रखा अब इसने यह भी कह दिया जो आपने बताया 40

विधायकों वाला, तो उसको हमें पढ़ लेने दीजिए विधिक राय लेना है और मुझे ही तय करना है आपके हिसाब से, मैंने देखा नहीं जो आप कह रहे हैं कि इसमें आप निर्णय लेंगे तो हमें आप कुछ करने दीजिए आपने चर्चा करायी, आपने अपनी सारी बात कह ली आपकी पूरी बात सदन के संज्ञान में आ गयी, आप बैठें।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा फैसले की कापी दिखाने और बोलने का प्रयास करते रहने पर घोर व्यवधान)

यह बार-बार फैसला यहां दिखाने की क्या जरूरत है ? यह मुझे बताइये, न्यायालय का मैं सम्मान करता हूं और न्यायालय ने जो फैसला दिया है और जो उन्होंने कहा है हम उस पर बाद में विचार करेंगे। आज क्यों उसको लेकर इतना व्यवधान आप पैदा कर रहे हैं ? अब यह अच्छी बात नहीं है मौर्या जी, आपने अपनी बात कह ली, संसदीय कार्यमंत्री को सुन लिया अब चर्चा चलने दीजिए। अब यह पूरी किताब आपने दिया है अब चर्चा चलाइये। नेता विरोधी दल चले गये, आप बोलेंगे। मुख्यमंत्री जी तो हैं नहीं।

मौर्या जी, आप विद्वान सदस्य हैं आपने आश्वासन दिया था कि मुझे सुन लिया जाय, मेरे सदस्य व्यवस्थित हो गये। अब आपको मैंने सुन लिया अब कुछ ऐसी बातें हैं जो सदन के माध्यम से ही नहीं प्राप्त की जा सकती है। यह न्यायिक प्रक्रिया की बात है और न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त की जायेगी। इसलिए सदन चलने दें। अब आप बैठ जायं। जब कागज आया है नोटिस आपने दी है नोटिस उसकी छपेगी सारी बातें होगी फिर उसमें जो विधिक राय होगी, आप भी कहेंगे वह भी कहेंगे सारी बातें आयेंगी अब आप बैठिये। क्या है राय साहब, आप समझाइये आप तो पढ़े-लिखे वकील हैं। अब बैठिये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

मान्यवर, सदन व्यवस्थित नहीं है आप सदन की कार्यवाही चलाना चाहते हैं। सदन को व्यवस्थित करायें।

श्री अध्यक्ष--

कौन सदस्य कहां बैठेगा इस पर कोई प्रतिबन्ध रहता नहीं है। उन चालीसों को आप अपने घर ले जायं इसमें बाधा नहीं है। लेकिन यह कहां लिखा है कि कहां बैठेंगे, अपनी खुशी से जहां चाहेंगे बैठें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

मान्यवर, वही मैं निवेदन कर रहा हूं [x x x x x]

श्री अध्यक्ष--

यह गलत है, ऐसी कोई बात नहीं कही गयी है। यह नहीं लिखा जायेगा। अब आप अनावश्यक बात बढ़ा रहे हैं। किसी ने [x x x x x] नहीं दी, [x x x] दी होती तो यह आपके दल से आये थे तो क्या मारने के डर से आये थे, उस समय क्या था यहां। यह बात गलत है। यह अनर्गल आरोप है, यह नहीं लिखा जायेगा। मैं इसे नहीं मानता। राय साहब आप भाषण कराइये, क्यों आप टाइम वेस्ट करवा रहे हैं ?

नोट :--[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री मोहम्मद आजम खां--

माननीय, अभी मौर्य जी ने कहा कि किसी सदस्य ने [x x x] दी है तो ऐसी बात कार्यवाही में न लिखवाइये।

श्री अध्यक्ष--

मैंने कह दिया कि नहीं लिखा जायेगा। मैं उस अनर्गल आरोप को नहीं मानता हूं। माननीय मौर्या जी, आपने जो वायदा किया क्यों उसके खिलाफ जा रहे हैं ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

मान्यवर, हम कार्यवाही में भाग नहीं लेंगे हम कार्यवाही का बहिष्कार करेंगे।

श्री अध्यक्ष--

यह राय साहब इशारा कर रहे थे। यह राय साहब तो इशारा कर ही रहे थे कि जाइये।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य यह कहते हुए कि "सदन व्यवस्थित नहीं है तथा बागी विधायकों को धमकी देकर सत्ता पक्ष में बैठाया गया है" अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग कर चले गये।)

*श्री जगदम्बिका पाल --

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। हम लोग इस सदन में सुबह से बैठे हैं। एक निर्णय को लेकर बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने एक सवाल उठाया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बीच में हस्तक्षेप करते हुये कहा कि हाईकोर्ट ने डिसीजन में मर्जर को नहीं माना है। तो उसमें मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि इसमें क्या स्थिति है ?

श्री अध्यक्ष--

मैं बिना पढ़े और बिना विधिक राय लिये कोई निर्णय नहीं दूंगा।

श्री जगदम्बिका पाल --

मान्यवर, आप उस निर्णय को देख लीजिये।

श्री अध्यक्ष--

हम पहले उसे पढ़ेंगे, फिर विधिक राय लेंगे, उसके बाद अपना निर्णय देंगे।

मैंने नेता सदन, नेता बहुजन समाज पार्टी और संसदीय कार्य मंत्री सबको सुना और मैं इस पर बिना पढ़े कोई निर्णय नहीं दूंगा।

श्री जगदम्बिका पाल --

मान्यवर, हाईकोर्ट ने, सम्मानित उच्च न्यायालय ने मर्जर को नहीं माना है, इससे पूरे प्रदेश में भ्रम की स्थिति है।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायें। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप बैठ जायें।

श्री जगदम्बिका पाल--

मान्यवर, नेता सदन ने कह दिया कि कोर्ट ने मर्जर को नहीं माना। हम उसी परिप्रेक्ष्य में आपकी व्यवस्था चाहते हैं।

नोट :--[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, आप इनको बगैर किसी नोटिस के, किन नियमों के तहत बुलवा रहे हैं, व्यवस्था में यह तो नहीं आता।

श्री अध्यक्ष--

कार्यसूची में कार्यस्थगन आज लिया नहीं गया। नेता विरोधी दल का भाषण होना है, उनके लिये हम रुके हैं।

*श्री हुकुम सिंह --

मान्यवर, आप रिलेक्स कर लें। आप बहुत टेन्शन में हैं। आप थक गये हैं, आपने बहुत परिश्रम किया है। थोड़ा माहौल ठीक सा हो जाय, आपके प्रति और संसदीय कार्य मंत्री के प्रति मेरी सहानुभूति है।

*डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

मान्यवर, पहले कार्यसूची ले लीजिये, फिर चर्चा शुरु करा दें।

विभिन्न नियमों के संबंध में सदन को सूचना

श्री अध्यक्ष--

नियम 301 और कार्यस्थगन आज नहीं लिये गये हैं।

(श्री जगदम्बिका पाल के खड़े होने पर)

मैंने बता दिया कि आज यह नहीं लेना है। नेता विरोधी दल का भाषण होना था, इसलिये कार्यस्थगन प्रस्ताव नहीं लिये जायेंगे, आपके नेता चाहें तो बोल सकते हैं।

श्री जगदम्बिका पाल --

मान्यवर, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनायड। यह मामला तात्कालिक है, सुनिश्चित घटना है तो आप उस पर सदन में अवसर दीजिये।

श्री अध्यक्ष--

आप बजट चर्चा में अपनी बात कर लीजिये।

श्री जगदम्बिका पाल --

आप अपने जनपद का मामला नहीं ले रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

आज के लिये निर्णय हुआ है, माननीय नेता विरोधी दल को बोलना है, इसलिये नियम 56 की सूचना नहीं रहेगी। जिस दिन अब पहला दिन होगा, आपकी सूचना पहली रहेगी।

कार्यसूची बदले जाने के संबंध में आपत्ति

*डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

माननीय अध्यक्ष जी, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप हम लोगों को सुबह कार्यसूची देते हैं, लेकिन पता नहीं, कब कार्यसूची बदल दी जाती है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

गौर साहब, आप विद्वान सदस्य हैं। एक चीज मैं बता दूं कि यह तो पहले से परम्परा रही है, इधर हम कुछ दिनों से सदन में नहीं थे, जब सामान्य बजट पर चर्चा होती है तो उस दिन नियम 56 की सूचनाएं इसलिए नहीं ली जाती हैं कि माननीय सदस्यों को अपनी बात कहने का अवसर चर्चा में मिल जाता है और यह सूचनाएं लेने से सभी माननीय सदस्यों को साधारण चर्चा में भाग लेने का अवसर नहीं मिल पाता है। हमें तो आप बैठाएं तो हम आठ नौ बजे तक बैठे रहेंगे, हमने तो एक-एक बजे रात तक बैठ करके अपनी बात सदन में कही है। आज नेता विरोधी दल का भाषण होना था, नेता सदन उसे सुनना चाहते थे, आज मुख्यमंत्री जी थोड़ा सा अस्वस्थ हैं फिर भी वह नेता विरोधी दल का भाषण सुनने के लिए बैठे थे, अगर यह सूचनाएं लग जाती तो विलम्ब हो जाता, इसलिए यह सूचनाएं नहीं लगाई गई । सूचना न लगाने के पीछे आपके प्रति किसी प्रकार की कोई दुर्भावना नहीं है।

कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

*श्री राम इकबाल सिंह--

तो मान्यवर, वह सूचनाएं कब लेंगे ? मान्यवर, यह सूचना अविलम्बनीय है।

श्री अध्यक्ष--

आप विद्वान सदस्य हैं, अविलम्बनीय है लेकिन अविलम्बनीय प्रश्न भी स्थगित हो जाते हैं, जब सदन में निर्णय हो जाता है।

श्री राम इकबाल सिंह--

मान्यवर, मैंने कार्यस्थगन के माध्यम से सूचना दी थी, मान्यवर, कार्य-सूची में सभी चीजें लिखी जाती हैं, मेरा अनुरोध है कि इसे अगले दिन सुन लें।

श्री अध्यक्ष--

अगला दिन आने तो दीजिए, आपका तो हम कितना सुनते हैं, अगर देखें तो काफी कुछ नियमों में भी नहीं आता है। नियम 51 की 10 सूचनाएं ली जाती हैं, नियम 301 की 15 सूचनाएं ली जाती हैं, नियम 56 में महत्वपूर्ण बातें माननीय सदस्य कह ही लेते हैं, इस प्रकार से हम तो चाहते हैं कि माननीय सदस्य सदन में अपनी पूरी बात कहें और अपने क्षेत्र की बातों को भी सदन में रखें, इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं ?

श्री राम इकबाल सिंह--

मान्यवर, मैं तो यही कह रहा हूं कि इस सूचना को अगले दिन ले लें।

*श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल--

मान्यवर, मेरी भी सूचना नियम 56 में लगी थी।

*श्री धर्मपाल सिंह--

मान्यवर, हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना ब्लाक प्रमुख के चुनाव के संबंध में थी। हमारे यहां बी0डी0सी0 सदस्यों के घर पर पुलिस छापे डाल रही है, उनका उत्पीड़न कर रही है और आज भी पुलिस झूठे मुकदमें दर्ज कर रही है। मान्यवर, हम चाहते हैं कि निष्पक्ष कार्यवाही हो।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

संसदीय कार्यमंत्री जी, इनका कहना है कि इनके यहां झगड़ा हुआ है, झूठे मुकदमें दर्ज किये जा रहे हैं. इसे दिखवा लें। माननीय धर्मपाल सिंह जी आप संसदीय कार्यमंत्री जी को लिख करके दे दीजिए, आप उसे दिखवा लेंगे।

श्री राम इकबाल सिंह--

मान्यवर, हमारी भी ऐसी ही सूचना है।

*श्री सतीश महाना --

मान्यवर, मैंने भी ब्लाक-प्रमुख की समस्या के बारे में ही अपनी सूचना दी थी।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये, इससे आपकी गरिमा गिरती है, हम लोग भी तो क्रान्तिकारी सदस्य रहे है। संसदीय कार्यमंत्री जी, नेता विरोधी दल बोलेंगे, मुख्यमंत्री जी रहेंगे या नहीं।

नगर विकास मंत्री, संसदीय कार्यमंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां) --

मान्यवर, आयेंगे।

श्री सतीश महाना --

मान्यवर, सदन में 11-12 बजे तक आप यहां पर बोल चुके हैं। मान्यवर, आप विद्वान सदस्य हैं और हमें आपसे काफी कुछ सीखने का मौका मिलता है, तो मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है कि हमें भी एक-दो बजे तक बोलने का मौका दें। यह बात औन रिकार्ड आ गयी. इसे बदलियेगा नहीं।

श्री अध्यक्ष--

आपके क्षेत्र में रोज ही गम्भीर समस्यायें रहती हैं।

श्री राम इकबाल सिंह--

मान्यवर, बहुत ही गम्भीर समस्या है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

आपकी इतनी समस्यायें रहती हैं लेकिन जब जांच आख्यायें आती हैं तो फिर सुनने के लिए रहते नहीं है।

श्री राम इकबाल सिंह--

श्रीमन्, हम तो हर समय रहते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

आप पूरा रिकार्ड निकलवा लीजिए, राम इकबाल सिंह की कितनी सूचनायें ली गयी हैं। आप अहिंसात्मक आन्दोलन करके इन सबको रोकने का प्रयास करिये, सामाजिक क्रांति लाइये जिससे यह सब रुके, यहां कहने से कितना रुक जायेगा।

श्री राम इकबाल सिंह--

आप अब तक तो कोई व्यवस्था दे देते।

*श्री जियाउद्दीन रिजवी --

माननीय अध्यक्ष जी, राम इकबाल सिंह को सुन लीजिए।

श्री राम इकबाल सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत गम्भीर विषय है, इसलिए अनुरोध कर रहा हूं। अभी आज तक अपहरण किये गये सदस्य नहीं लौटे हैं, महिला का अपहरण हुआ है।

श्री अध्यक्ष--

आपके यहां कितना अपहरण होता है। हम माननीय नेताओं से बात करके एक समिति बनाकर उसकी जांच करवा लेते हैं।

श्री जियाउद्दीन रिजवी--

माननीय अध्यक्ष जी, एक व्यवस्था का प्रश्न है। राम इकबाल सिंह जी ने जो मामला उठाया है, बिल्कुल सत्य है। हमारे क्षेत्र में एक महिला मुचिया देवी, सुल्तानपुर का अपहरण किया गया, आज तक वापस नहीं किया गया। बहुजन समाज पार्टी के लोग और चन्द्रमा प्रसाद जी, विशेष सचिव का भतीजा वहां जा करके अपहरण करता है। दबाव देकर उस महिला का अपहरण किया गया है। उसको अपहरण करने के बाद आज भी नहीं छोड़ा गया है। दो बजे रात में उस औरत को उठाया गया, उसके घर का ताला तोड़ा गया। हम तमाम लोग वहां गये और वहां पर संवेदना प्रकट किया। इस तरह की हरकत हमारे बलिया जनपद में हुई है और हमारे विशेष सचिव यह करा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये, नहीं तो मजबूरन आपको सदन छोड़ने को कहना पड़ेगा।

श्री सतीश महाना --

मान्यवर, सत्ता पक्ष के एक माननीय विधायक ने मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी पर आरोप लगाया है कि वह अपहरण करवा रहे हैं। यह बहुत गम्भीर बात है। जो बात कल हमने यहां कही थी उसकी पुष्टि सत्तापक्ष के विधायक द्वारा की गयी है। इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने इस बात को कहा है कि सरकार में बैठे हुये एक अधिकारी ने अपहरण करवाया। आज यह स्थिति है कि सरकारी अधिकारी अपहरण करवा रहे हैं और सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही है, निश्चित रूप से यह बहुत गम्भीर बात है।

(श्री राम इकबाल सिंह, कुँवर भारतेन्द्र सिंह एवं श्री सतीश महाना अपने-अपने आसन पर खड़े होकर एक साथ अपनी-अपनी बात कहते रहे।)

*कुँवर भारतेन्द्र सिंह --

मान्यवर, सत्तापक्ष के एक सदस्य ने यह बात कही है कि सरकार में बैठे हुये अधिकारी, सरकार का थानेदार, सरकार की शह पर अपहरण करा रहा है।

(श्री जियाउद्दीन रिजवी अपने आसन से खड़े होकर कुछ कहने लगे।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

रिजवी जी, अब आप बैठ जाइये । आपका कुछ नहीं लिखा जायेगा। आप बैठ जाइये नहीं तो अभी मार्शल से बाहर करवा दूंगा।

श्री राम इकबाल सिंह--

[x x x]

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री राम इकबाल सिंह--

[x x x]

श्री अध्यक्ष--

आप जो बोल रहे हैं, कुछ नहीं लिखा जाएगा।

*नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)--

मान्यवर, एक संवैधानिक संकट यहां पर खड़ा हो गया है। सत्तारूढ़ दल के एक सदस्य ने आरोप लगाया है एक अधिकारी का नाम लिया है जो मुख्यमंत्री सचिवालय में है यह अपहरण उनके इशारे पर हुआ है। यह बहुत गम्भीर बात है।

श्री जियाउद्दीन रिजवी--

यह सही बात है।

*श्री लालजी टण्डन --

इस पर गम्भीरता के साथ कोई निर्णय लेना होगा। किस तरह से सरकार चल रही है कोई व्यवस्था है कि नहीं। अगर विरोधी पक्ष के किसी सदस्य द्वारा कोई आरोप लगाया जाता तो और बात थी लेकिन यहां पर सत्तारूढ़ दल के एक सदस्य द्वारा आरोप लगाया गया है और मुख्यमंत्री सचिवालय के एक अधिकारी का नाम लिया गया है इससे एक संवैधानिक संकट पैदा हो गया है। यहां पर ब्यूरोक्रेसी अपराधियों के साथ मिल गई है। सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। ऐसी स्थिति में जरूरी है कि आप इस पर कोई व्यवस्था दें। जब इस तरह के व्यवस्था के संबंध में प्रश्न उठते हैं तो ऐसे प्रश्नों पर संवेदनशील होना चाहिए। क्योंकि इससे ज्यादा गम्भीर बात और कोई नहीं हो सकती है।

श्री अध्यक्ष--

जब भी इस तरह के प्रश्न उठते हैं चाहे क्षेत्र से संबंधित हों या व्यक्तिगत हों मैं खुद ही उन पर रुचि लेकर निस्तारित करने का प्रयास करता हूं। आज जब यह निश्चय हो गया कि नियम 56 नहीं लिया जायेगा क्योंकि बजट पर नेता विरोधी दल को व अन्य दलीय नेताओं को बोलना था । इसलिए नियम 56 को स्थगित कर दिया गया था। इसको अगले दिन ले लेंगे। इसी बीच रिजवी साहब ने खड़े होकर कुछ कह दिया उसको आपने भी सुना और हमने भी सुना है। मैं रिजवी साहब के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं क्योंकि यह सभी को मालूम है कि वह कितनी गम्भीरता से अपनी बात रखते हैं।

नोट :-- [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अब यह मामला आपने कह दिया और यह मामला सरकार के संज्ञान में आ गया है। संसदीय कार्य मंत्री जी को जो कुछ जानकारी होगी वे बतायेंगे। इस बारे में नियम 56 में कोई नोटिस नहीं दिया गया इसलिये सरकार की तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं आ पाई होगी। संसदीय कार्य मंत्री जितना जान पायेंगे आपको बतायेंगे। यह गम्भीर मामला है। आपके समक्ष बैठकर इसकी गम्भीरता को देखते हुए इसकी छान-बीन की जाएगी।

श्री सतीश महाना --

यह कोई दो लोगों का विवाद नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये।

श्री राम इकबाल सिंह--

मान्यवर, हमारे क्षेत्र बलिया में गंगवार में असलवार गांव में पूर्व प्रधान के घर बी0डी0सी0 सदस्य बैठे थे और वर्मा जी भी साथ में थे। वहां पर सैकड़ों राउन्ड गोलियां चलाई गई । पूरी दीवार वहां पर छलनी कर दी गई थी।

श्री अध्यक्ष--

हो गई । आपकी बात आ गई ।

श्री राम इकबाल सिंह--

मान्यवर, दो मिनट का समय और दे दें। श्रीमन्, सरकार का नजरिया साफ होगा। इसलिये जानना जरूरी है क्योंकि गलत सूचना सरकार के पास आ रही है। इतनी गम्भीर चर्चाएं हैं। जब हम कहते हैं तो आप हमको हतोत्साहित करते हैं। आपको मुझे संरक्षण देना चाहिए। वहां का ऐतिहासिक विश्वविद्यालय है, वह सरकारी खजाने से नहीं बना है। उसको पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी ने चंदा करके बनवाया है। [x x x]

श्री अध्यक्ष--

अब विश्वविद्यालय की बात कहां से आ गई ? कौन आक्षेप कर रहा है ? हम तो कह रहे थे कि आप ऐसे स्थान से आये हैं। आप कुछ भी कह लेते हैं। जो बात आप कह रहे थे वो कहिये।

श्री राम इकबाल सिंह--

मान्यवर, असलवार गांव में बी0डी0सी0 सदस्य का अपहरण कर लिया गया। वह अपराधी जिनके ऊपर सैकड़ों मुकदमें दर्ज हैं उन्होंने सैकड़ों चक्र गोलियां चलाई गई । पूर्व प्रधान के बूढ़े पिता 102 वर्ष के वहां पर दरवाजे के पास गिरकर घायल हो गये। पूरी सीमेन्ट की दीवार टूटी हुई है। मैं भी मोके पर गया था। थानाध्यक्ष भी आया था उसने सिर पकड़ लिया। थाना इन्चार्ज भी आ गये थे। न अपराधियों को पकड़ा, न राइफल ही छीनी। लाइसेंसी बन्दूकें लेकर वह हिस्ट्रीशीटर जिनके ऊपर डकैती, लूट के मामले बनारस से लेकर बलिया तक क्रिमिनल इतिहास जिनका रहा है वो गोलियां चला रहे थे। पुलिस के सामने अनुसूचित जाति की महिला को मुख्यमंत्री आवास के अधिकारी के निर्देश पर अपहरण कर लिया गया। वो बी0डी0सी0 की सदस्या हैं अभी तक बरामद नहीं हो पाई है और न घर पहुंची है। उनके आदमी लेखपाल हैं। थानाध्यक्ष बांसुरी ने भी मिलकर यह काम कराया है। आप सरकार का भी पक्ष सुनिये और कम से कम प्रदेश को और बलिया को इस जंगल राज से बचाइये।

नोट :-- [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष--

आप सब बलिया के लाग मिलकर बचाइये। हम क्या करें ?

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद आजम खां--

एक तो मान्यवर सदन में यह देखा गया था कि जब भी राम इकबाल जी खड़े होते थे बात कभी-कभी बिल्कुल सच होती है। कभी-कभी राम इकबाल जी वह भी कहते हैं जो अर्द्धसत्य या कम सत्य होता है। सत्ता पक्ष के बलिया के सदस्य उनकी मुखालफत में हमेशा खड़े होते रहे हैं और यह पहली वारदात है राम इकबाल जी के पक्ष में, पक्ष से एक पक्ष आया है और यह बात राम इकबाल जी के लिये बहुत खुशी की है कि पहली बार सत्ता पक्ष के किसी सदस्य की बात को सही माना है। क्योंकि गम्भीर आरोप है और कोई भी व्यक्ति चाहे वह सत्ता पक्ष का या विपक्ष का है अगर उसके मन में कोई व्यथा है तो जाहिर है वह उसे व्यक्त कर सकता है। यह बात और ज्यादा लोकतंत्र की है कि सदन में पक्ष में बैठे लोग कोई बात महसूस कर रहे हैं। अगर उन्हें कोई सूचना है, गलत है या सही है, सूचना की जानकारी की जाएगी कोशिश करेंगे कि इसकी जांच निष्पक्ष हो। कार्यवाही निष्पक्ष हो। मामला उपाध्यक्ष का है अध्यक्ष का नहीं है। इसकी निष्पक्ष जांच होगी जो आवश्यक कार्यवाही होगी वह की जाएगी। जिस तरह से मामला सदन में आया है गम्भीर हो गया है और उसी गम्भीरता से इसको लिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष--

माननीय नेता विरोधी दल नहीं हैं उनको बोलना है।

राज्य मंत्री हाजी याकूब कुरेशी द्वारा सर कलम किये जाने विषयक सामूहिक रूप से किये गये एलान के संबंध में 'सुरक्षित व्यवस्था' को दिये जाने की मांग

*श्री सतीश महाना--

मान्यवर, एक सत्तापक्ष के मंत्री जी द्वारा सामूहिक रूप से एलान किया गया। इसमें आपने व्यवस्था सुरक्षित कर दी थी।

श्री अध्यक्ष--

अभी लिख नहीं पाया हूं। कल से उलझा हूं लिख नहीं पाया हूं। लिखित दूंगा।

श्री सतीश महाना--

कब तक देंगे ?

श्री अध्यक्ष--

जबर्दस्ती न करें जल्दी से जल्दी रूलिंग दूंगा।

*श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल --

कल आपने कहा था कि निर्णय दे देंगे। मेरे क्षेत्र का मामला है वहां जाकर क्या जवाब देंगे। आपने कल निर्णय सुरक्षित रख लिया कि कल निर्णय देंगे। अब कह रहे हैं लिखित देंगे। इसका मतलब संविधान का उल्लंघन हो रहा है, संविधान की बात नहीं मानी जा रही है। संविधान की व्यवस्था का उल्लंघन किया जा रहा है। संविधान को अगर आप ओवरलुक करके चल रहे हों संविधान है नहीं, तो मंत्री काहे के, विधायक काहे के ? आप संविधान से ऊपर बैठे हुए हैं। आप हम सबकी समस्यायें नहीं ले रहे हैं, उसको नहीं सुन रहे तो इसका फायदा क्या ? बोलते हैं तो आप कहते हैं बैठ जाओ, बैठ जाओ। आप जब बात नहीं सुनेंगे तो कल को यहां सदन में क्या बैठेंगे ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

समस्या क्या है ?

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल--

समस्या वही है हाजी याकूब वाली, जो मंत्री जी ने कहा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

यह संवैधानिक प्रश्न है जिस प्रश्न को रखा है यह संविधान से जुड़ा हुआ है। मंत्रिपरिषद से जुड़ा है इसका दृष्टान्त देखा जाएगा। इसको गम्भीरता से लें। इसको हल्के से न लें। यह गम्भीर मामला है।

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल--

हम अपने क्षेत्र में जाकर क्या कहेंगे ? आश्वासन तो दे दें।

*कुंवर भारतेन्द्र सिंह--

आपका निर्णय शिरोधार्य है लेकिन क्षेत्र में क्या बतायेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

जल्दी से जल्दी सब व्यवस्था को देखकर निर्णय दूंगा शीघ्रातिशीघ्र उसका पढ़कर निर्णय दूंगा। यह संवैधानिक प्रश्न है, जो खन्ना जी ने उठाया है। इसमें अध्ययन करना पड़ेगा। दृष्टांत देखना पड़ेगा। वह शपथ क्या है इसको हल्के से नहीं ले सकते हैं।

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल--

ओथ ली जाती है आप दिलाते हैं। संविधान की ओथ दिलाने वाले आप हैं। इसे आप संज्ञान में लें। (श्री जगदम्बिका पाल के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

आप बोलना चाहते हैं तो आप शुरू कर दें। चूंकि नेता सदन अभी नहीं आए हैं नेता विरोधी दल को बोलना है।

*श्री जगदम्बिका पाल --

नेता सदन की प्रतीक्षा हो रही है आपने अग्रवाल जी को सुना। सतीश महाना जी को सुना।

श्री अध्यक्ष--

आप भी सुना दें।

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)

*श्री जगदम्बिका पाल--

मैं आभारी हूं आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मेरा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है यह इतना महत्वपूर्ण है कि आज इस पीठ से व्यवस्था नहीं दी गई तो संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, चुनाव आयोग है ब्लाक के चुनाव को कराते हों, चाहे जिला पंचायत के। चुनाव आयोग का गठन संविधान की व्यवस्था के अनुरूप होता है। तो जो एक संवैधानिक बाडी है जब उस संवैधानिक बाडी के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में बस्ती के ब्लाक प्रमुख के चुनाव हुए, इससे पिछली बार जब वहां पर जिला पंचायत के चुनाव हुए थे उस समय चुनाव आयोग ने बस्ती के पुलिस कप्तान को हटाने की बात कही थी फिर जब चुनाव हुआ पहली बार तब चुनाव में हिंसा हुई तो उस समय उसे हटाने को कहा गया तो सरकार ने कहा कि कोई एस0पी0 है नहीं तो डी0आई0जी0, फैजाबाद की देखरेख में कर दिया गया। अध्यक्ष जी, जिस तरह से फिर उदासीनता बरती गयी और उसे हटाने की बात हुई तथा दूसरी बार चुनाव आयोग द्वारा उसे हटाने की बात कही गई । तो इन जिलों में अगर किसी आई0पी0एस0 अधिकारी या आई0ए0एस0 अधिकारी को हटाने के लिए कोई संवैधानिक बाडी इंगित करती है, अब मुख्यमंत्री जी भी आ गए हैं, क्योंकि इससे पूरे संवर्ग की बात उठती है कि क्या इस संवर्ग के लोग अपने दायित्व को निर्वहन करेंगे या नहीं करेंगे ? दो बार एक व्यक्ति को चुनाव आयोग के द्वारा इंगित किया जाए, उसे तो एडवर्स इन्ट्री मिलनी चाहिए थी। दूसरी बार कप्तानगंज में गोलियां चलीं, उनके सामने गाड़ियां तोड़ी गई ।

श्री अध्यक्ष--

आपकी सूचना आ गई है, आप बैठ जायें।

श्री जगदम्बिका पाल--

मान्यवर, यहां नेता सदन हैं, यह सरकार की विश्वसनीयता का सवाल है।

श्री अध्यक्ष--

अब आप बैठ जायें, नेता विरोधी दल आ गए हैं।

श्री जगदम्बिका पाल--

मुख्यमंत्री जी यहां हैं, अगर कुछ कहना चाहें तो खड़े होकर कह दें।

श्री अध्यक्ष--

अब आप बैठ जायें।

वित्तीय वर्ष 2006-2007 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (क्रमागत)†

***नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)--**

मान्यवर, आज मुझे कुछ कष्ट है, अगर आप आज्ञा दें तो मैं बैठकर बोल दूं।

मान्यवर, मुख्यमंत्री जी ने बजट भाषण में कहा था, मैं कोट कर रहा हूं "इसलिए हमने उत्तर प्रदेश को उत्तम एवं आदर्श प्रदेश में बदलने का संकल्प लिया। यह बजट प्रस्तुत करते हुए मुझे गौरवानुभूति हो रही है कि हम अपने संकल्प को पूरा करने में सफल हुए" यह भूमिका जो है, इससे तो ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा क्रान्तिकारी परिवर्तन हो गया, कोई बहुत बड़ा काम हो गया है लेकिन असलियत कुछ दूसरी है। मान्यवर, वर्ष 2006-07 में कुल अनुमानित प्राप्तियां 80540.47 करोड़ रुपये हैं और 2006-07 में कुल अनुमानित व्यय 82849.96 करोड़ रुपये है। इसमें 22106.46 करोड़ रुपये आयोजनागत व्यय सम्मिलित है। बजट में देखने में ऐसा लगता है कि कोई घाटा नहीं है और बड़ा प्रोग्रेसिव बजट है। लेकिन यह जो समेकित निधि प्राप्तियां हैं, कुल व्यय घटाने का लक्ष्य रखा गया है यह 2309.49 करोड़ है।

---

†दिनांक 28 फरवरी, 2006 की कार्यवाही से।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, यह घाटे को छुपाने का लक्षण है। बजट में अगर घाटा है तो उसे सामने रखना चाहिए। अब आप पूरा करेंगे इससे । दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि कुछ मद ऐसे रखे गये हैं लेकिन हकीकत यह है कि जो पैसा पड़ा है वह खर्च ही नहीं हुआ। जनवरी बीत जाने पर भी 13 हजार 500 करोड़ रुपये की वास्तविक योजना में केवल 8 हजार 440 करोड़ रुपया ही खर्च हुआ। 5 हजार 40 करोड़ रुपया अभी शेष है खर्च करने के लिए। एक तरफ प्रदेश में संसाधनों की बात होती है तो दूसरी तरफ इतना पैसा पड़ा हुआ है जो खर्च ही नहीं हो रहा है। केन्द्र सहायतित योजनाओं में से कुछ पता ही नहीं लग रहा है कि वह पैसा कहां जा रहा है ? वह ऐड बंद कर दी गयी है या मिल रही है। सरकारें तो केन्द्र में भी रहती हैं और यहां भी रहती हैं। इन सरकारों का अगर आपस में तालमेल न हो तो इसका मतलब यह नहीं कि केन्द्र सरकार राज्य सरकार को कुछ न दे या राज्य सरकार केन्द्र सरकार की अवहेलना करे। कहीं न कहीं सामंजस्य होना चाहिए लेकिन एक ही बात में सामंजस्य दिख रहा है कि वह भी महंगाई बढ़ा रहे हैं, वह भी बजट में मोटर कार सस्ती कर रहे हैं और रोजमर्रा की चीजों में बढ़ोत्तरी कर रहे हैं।

*श्री प्रमोद कुमार--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ इतना स्मरण कराना चाहता हूं कि आप प्रदेश सरकार के बजट पर चर्चा कर रहे हैं। केन्द्र में क्या हुआ इसके लिए आपके सांसद हैं वहां पर बोलने के लिए।

श्री लालजी टण्डन--

मैं रिफरेंस में इतना कहना चाहता हूं कि प्रमोद जी कभी-कभी तो मुख्यमंत्री जी को ऐसा मक्खन लगाना शुरू कर देते हैं कि शायद उन्हें घर जाकर कपड़े बदलने पड़ते होंगे। कभी आप दूसरा रूप ले लेते हैं। कभी आप कह चुके होते हैं तो आपके दूसरे सहयोगी खड़े हो जाते हैं। यह तमाशा बना रखा है।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, नेता विरोधी दल ने कई बातें कहीं तो इस पर मैं गम्भीरता से कहना चाहूंगा लेकिन मुझे मौका नहीं मिल रहा है क्योंकि नेता विरोधी दल पहले ही लगा चुके हैं। जहां तक हमारा सवाल है तो इसमें हम कहना चाहते हैं कि जब सरकार की नीतियां कांग्रेस की नीतियों से मेल खाती हैं तो हम दृढ़ता से इसके साथ खड़े हो जाते हैं। जहां विरोध करना होता है वहां सरकार का विरोध करते हैं।

श्री लालजी टण्डन--

तुलसी बुरा न मानिये। आगे नहीं कहूंगा। वह समझ गये।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

अगर कुछ बचा हो तो हमें मिल जाये। हम किसी और काम में ले लेंगे।

श्री प्रमोद कुमार--

वैसे टण्डन जी मक्खन और लस्सी दोनों चौक की अच्छी होती है।

श्री लालजी टण्डन--

तो वहीं से मंगा लेते होंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य शांत रहें, नेता विरोधी दल को बोलने दें।

श्री लालजी टण्डन--

मान्यवर, सरकार ने निश्चय किया था कि प्रत्येक अधिकारी जनपद में और गांवों में जाएंगे और वहां जाकर वहां की हकीकत सामने लाएंगे। यह जो उत्तम प्रदेश बन रहा है उसका नमूना यह है। प्रदेश के आई0ए0एस0 की नजरों में 12, 14 जिले की स्थिति इस प्रकार है। श्री नवीन चन्द्र बाजपेयी, ए0पी0सी0, फैजाबाद की रिपोर्ट है नहरों की टेल तक 10, 15 सालों से पानी नहीं पहुंच रहा है, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन तो है, लेकिन उपकरण नहीं है। यह जो अधिकारी भेजे गये थे उनकी रिपोर्ट है। श्री उमेश चन्द्र सिन्हा, बदायूं--170 गांवों में विद्युतीकरण होना था जबकि पांच गांवों में बिजली के खम्भे लगे हैं, जिले में नहरें नहीं हैं, एक लिफ्ट कैनाल है, जिसके टेल तक पानी नहीं पहुंचता है, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में कुत्ते के काटने की वैक्सीन नहीं है, डाक्टर नदारद हैं, तो यह अधिकारियों की रिपोर्ट है। यह मैं नहीं कह रहा हूं। श्री अनिल संत, सचिव खेल-कूद, हरदोई की रिपोर्ट है--पेंशन योजना का क्रियान्वयन ठीक नहीं है, पैसा होने के बावजूद स्वास्थ विभाग खर्च नहीं कर रहा है. ग्रामीण विद्युतीकरण की गति धीमी है। सुश्री नीता चौधरी, प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य, रामपुर की रिपोर्ट है--अस्पतालों में डाक्टर गायब, पहले से सुविधा सम्पन्न गांवों को आदर्श गांव बनाया और विकास करा दिया। आपने समग्र विकास की बात कही थी गांवों की, आज हो क्या रहा है जो पहले से अम्बेडकर गांव का विकास हुआ था उन्हीं गांवों को फिर से इम्प्रूव करके और विकास दिखा दिया गया है। बाकी गांव इस तरह से पड़े हैं। श्री अमल कुमार वर्मा, प्रमुख सचिव, कन्नौज की रिपोर्ट--छोटे और सीमान्त किसानों की हालत दयनीय, किसानों को निजी नलकूपों का कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है। श्रीमती सुरजीत कौर सिन्धु, महाराजगंज की रिपोर्ट--सस्ते गल्ले की दुकानों की स्थिति पहले जैसी है, 25 साल पहले जैसी। ग्रामीणों को मिट्टी का तेल नहीं मिल पा रहा है। जो 25 साल पहले पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें बदली नहीं हुई है। तेल नहीं मिल पा रहा है, कोटे की बढ़ोत्तरी हो गयी लेकिन मिट्टी का तेल नहीं मिल पा रहा है, कंट्रोल हटा लिया जाय। बिजली रात के 12 बजे से 6.00 बजे तक आती है, इस समय बिजली देने का औचित्य क्या ? आपके अधीनस्थ अधिकारी स्वयं बता रहे हैं कि क्या औचित्य है ? श्री अनीस अंसारी, सीतापुर की रिपोर्ट है--सार्वजनिक वितरण प्रणाली चौपट, दशकों से अफसर एक जगह तैनात, विद्युत की समस्या अत्यंत गम्भीर। श्री अतुल चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन, फर्रुखाबाद की रिपोर्ट है--जिले में बिजली, सड़क, स्वास्थ्य एवं शिक्षा का अभाव है। यह सब आपके क्षेत्र के हैं। श्री अरुण कुमार मिश्र, प्रमुख सचिव, मुरादाबाद की रिपोर्ट--ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की खस्ता हालत, स्कूलों में छात्राओं का नाम दर्ज है, लेकिन पढ़ने नहीं जाती हैं। तो यह सरकार की तस्वीर सरकारी अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर प्रस्तुत की गयी है कि यह उत्तम प्रदेश बन रहा है जहां न बिजली है, न पानी है, न सड़कें हैं, न स्वास्थ्य सुविधा है, कुछ है ही नहीं और भाषण देते हैं कि उसमें यह भी है, हम उत्तम प्रदेश बना रहे हैं, हमने विकास परिषद् बना दी, बिजली के बारे में बराबर पहले भाषण आया माननीय मुख्यमंत्री जी का, उन्होंने कहा था कि दो साल के अन्दर हम दादरी से बिजली देंगे, इस बार हुआ कि सात-आठ साल लगेंगे बिजली

लगाने में और दादरी का कहीं जिक्र ही नहीं है। छः सौ एकड़ जमीन नोयडा जैसी जगह पर दी गयी कि वहां प्रदेश को बिजली मिलेगी, जमीन उनके पास पहुंच गयी, बिजली सात-आठ साल बाद मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपके बजट में उसका कोई जिक्र नहीं है, न विकास परिषद् के उन व्यक्तियों का जिक्र है जिन्होंने इस प्रदेश को कहां से कहां पहुंचा दिया था, किसी को मंत्री बना दिया गया, किसी को कुछ बना दिया, क्या-क्या कर दिया ? हो क्या रहा है, अब उस मंत्रिपरिषद की अध्यक्ष महोदय, सामूहिक जिम्मेदारी होती है, अगर किसी सरकार के एक मंत्री पर आरोप हो तो वह नशीली दवाओं को अपनी सरकारी गाड़ी में भेज देगा और उसके लिये पैसा चाहिए और उसने दूसरे मंत्री का नाम लिया, तो दो लोग जो हैं वह ड्रग्स में इन्वाल्व हैं दो मंत्री, एक मंत्री जो हैं वह खड़े होकर सुपारी दे रहे हैं किसी को, मैं धार्मिक भावनाओं के खिलाफ नहीं हूं, उनके मन में क्षोभ होगा। कल सभी दलों ने मिलकर एक प्रस्ताव पास किया कि जो मजहबी दिलाजारी है वह नहीं होनी चाहिए, हम सब जो इस तरह करते हैं उसकी भर्त्सना के संबंध में प्रस्ताव किया था, तो मान्यवर, नगर विकास मंत्री जी जिनको हम बहुत ईमानदार समझते हैं और अभी भी हम समझ रहे हैं कि है, लेकिन उनके ऊपर जो दो-तीन घण्टे की टेलीविजन की रील चली और जो बिल्डिंगें दिखाई गयीं हैं, जो स्थान दिखाये गये हैं, उनका उत्तर इन्होंने नहीं दिया।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, नेता विपक्ष को, मैं पहला और आखिरी जांच अधिकारी अगर कबूल करें तो मैं चाहूंगा, अगर उसमें प्राईमाफेसी केस भी बनता हो तो मैंने तो यहां तक कहा है कि मैं सिर्फ राजनीति से ही नहीं बल्कि यदि जरूरत हुई तो मैं कुछ भी छोड़ने को तैयार हूं, लेकिन इतना घटिया काम हुआ है और इतनी विश्वसनीयता भंग हुई , कब्रिस्तान के बाहर की जमीन जिस पर माफिया का कब्जा था उसको खाली करा कर गरीब लोगों के लिए दुकानें बन रही हैं, लेकिन क्योंकि कब्जा वहां के राजपरिवार का था और पार्क मेरा नहीं है, जनता का है, जिलाधिकारी उसका अध्यक्ष है, मैंने तो यह किया, मीडिया के साथी प्रेस बुलाकर के मेरे ऊपर ऐसा इल्जाम दिया तो मैं तो हो गया गुनहगार, मुझसे आप क्यों पूछ रहे हैं कि मैंने यह कब्जा किया है या नहीं किया, मण्डी समिति के गेस्ट हाऊस या पार्क की जमीन पर या कब्रिस्तान की जमीन पर, मेरा कब्जा है ? आप कमिश्नर वक्फ से पूछिये, कमिश्नर पर ऐतमाद न हो तो कमिश्नर मण्डल से पूछिये, मुख्य सचिव से पूछिये, अगर मैंने पार्क पर कब्जा किया है तो यह भी डी0एम0 बतायेंगे, सरकार बतायेगी, तीसरा मण्डी समिति का है तो मण्डी समिति के डायरेक्टर से पूछिये, आपने किसी से नहीं पूछा, एकतरफा इल्जाम लगा दिया तो अब यह विश्वसनीयता हो गई तो क्या कहा जा सकता है ? मैं आज पहली बार अपने बारे में कह रहा हूं कि अगर मैं भी बेइमान हो सकता हूं तो फिर कोई ईमानदार न पैदा हुआ, न पैदा होगा।

श्री लालजी टण्डन--

मैंने तो यही कहा कि आपकी ईमानदारी पर मुझे शक नहीं है, लेकिन जो तथ्य सामने आ रहे हैं उनका खुलासा होना चाहिए।

श्री आलम बदी--

मीडिया की रिपोर्ट को आप सच कैसे मान रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायें।

श्री आलम बदी--

बाहर के लोगों को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है जो यहां गरीबों का विकास हो रहा है।

श्री लालजी टण्डन--

मान्यवर, सदन में कुछ विदूषक भी होते हैं। मुझे आपत्ति नहीं है कि वे अपनी बात कहें, उससे लोगों को आनन्द आयेगा।

मान्यवर, एक परिवहन राज्य मंत्री के ऊपर अदालत के निर्देश पर जबरन वसूली का मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने लिखा नहीं था वह कोर्ट गया पीड़ित व्यक्ति तो वहां कोर्ट ने खुद एफ0आई0आर0 दर्ज करायी और मुकदमा दर्ज हुआ। यह कितनी गम्भीर बातें हैं।

मान्यवर, समाज कल्याण राज्य मंत्री के विरुद्ध अभी हाल ही में अपहरण का मुकदमा दर्ज हुआ है। तो इस फौज से आप कैसे और कौन सी लड़ाई लड़ेंगे यह बतायेंगे।

मान्यवर, बहुत सी योजनाएं जो पहले से चल रही थी उनका केवल नाम बदल दिया गया है। एक नई योजना के रूप में वह अब सबके सामने आ गयी है। जबकि वही साधन है और केन्द्र सरकार की सहायता से वह चल रही है। वही उसका उद्देश्य है लेकिन पहले यह था कि बालिका समृद्धि योजना और अब उसको बदल कर बालिका श्री योजना कर दिया गया है। नाम बदल देने से इसमें क्या फर्क पड़ेगा और क्या इससे लाभ हुआ है यह आप बतायेंगे ? मैं यह सब कुछ बातें एक आइने के रूप में आपके सामने रख रहा हूं। मान्यवर, बजट एक ऐसा डाक्यूमेंट है जिसमें बिना संशोधन लाये हुए कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। आपने यह घोषणा की कि दिसम्बर 2005 तक जितने स्नातक हैं और बेरोजगार हैं उनको हम 500.00 रुपया महीना बेरोजगारी भत्ता देंगे। बाद में आपका एक बयान आया कि फरवरी के लास्ट तक जो रजिस्ट्रेशन करा लेंगे उनको यह भत्ता मिलेगा। आपके पास पूरे आंकड़े हैं नहीं कि कितने बेरोजगार हैं, पंजीकृत। आपके पास बजट का एलोकेशन है नहीं। अगर इसमें मोटे तौर से देखा जाए तो लखनऊ में जो स्नातक पास हुए हैं उनकी संख्या है 41 हजार 2 सौ 46, अगर यह संख्या आप सत्तर जिलों में मान लें तो पूरे प्रदेश में स्नातक उत्तीर्ण जो हैं उनकी संख्या होगी 28 लाख, 27 हजार, 220 उनको 500.00 रुपया भत्ता देना अगर जोड़ा जाए तो वह रुपया होगा एक अरब, 44 करोड़, 36 लाख, 10 हजार, यह आप इतना महीने में देंगे। तो यह वार्षिक एमाउन्ट कितना होगा। यह होगा अन्दाजन 17 अरब, 32 करोड़, 33 लाख, 20 हजार। इतनी बड़ी रकम कहां से आयेगी। और होगा यह कि एक ऐसी घोषणा करने से लोगों में क्षोभ पैदा होता है। और फिर वे लोग गलत रास्ते में जा रहे हैं। आप देखें कि जो अपराध आज बढ़ रहे हैं रुक नहीं पा रहे हैं। उसका मुख्य कारण यह है कि एक निराशा, हताशा उनमें बढ़ रही है क्योंकि उन्हें बार-बार प्रलोभन दिया जाता है। जैसा आपने कहा कि हम उन्हें बेरोजगारी भत्ता देंगे। फिर कहा हमने भारत सरकार को लिखा था, अब आपने कहा कि हम 500.00 रुपया देंगे लेकिन बजट में उसका कोई प्राविजन नहीं। यह सारा मिलाकर कितना बड़ा घाटा हो जायेगा बजट में, यह बात आप देखें। आपने नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने की बात कही है 75, शायद उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी हीवेट पालीटेक्निक लखनऊ में है।

उनको बजट जो मिलता है सरकार से, उसमें 8 महीने से ज्यादा उनकी तनख्वाह नहीं पूरी हो पाती है। जब एक इतने पुराने इंस्टीट्यूट की यह हालत है कि उनके इम्पलाइज की तनख्वाह नहीं मिल पा रही है तो फिर यह 27 को कहां से देंगे ? इसके लिए क्या बजट में प्राविजन है ? आप चिकित्सा और स्वास्थ्य के बारे में बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हैं मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि आपके अधिकारियों की रिपोर्ट में सब लिखा हुआ है। एक बच्चा उसकी आंखों की परेशानी हुई वह ठीक नहीं हो पाई, उसके पास पैसा नहीं था। पालीथीन के अन्दर अपनी आंखें लिये हुए लखनऊ में घूम रहा है, यह हकीकत है।

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)--

यह हमने नहीं देखा। इतनी संवेदनशीलता तो होनी चाहिए थी कि हमें तुरन्त बता देना चाहिए था। हो सकता है, हमने उसे देखा न हो। कई ऐसे उदाहरण मिलेंगे। एक बाराबंकी का मामला था। अखबार में पढ़कर मैंने अधिकारी को भेजकर इसी 8 तारीख को उसका इलाज कराया और वह ठीक हो गया। इसी तरह से एक बच्चे का मामला अखबार में निकला और अखबार को पढ़कर उसी आधार पर हमने उसकी पूरी मदद की और उसको पीजीआई में इलाज के लिए भिजवाया। इसको हम नहीं देख पाये। अगर आपने देख लिया था तो उसको हमें बताते, हम उसको भर्ती कराते, हम उसकी मदद करते।

श्री लाल जी टण्डन--

धन्यवाद। मान्यवर, यह जो आपका मंत्रालय है, सचिवालय है। आजम साहब को दूसरी तरह का अनुभव है। लेकिन मैं जानता हूं कि नेता प्रतिपक्ष का कोई पत्र जाता है तो उसकी रिसीव और क्या कार्रवाई हुई . उसका जवाब नहीं आता। सवाल यह नहीं कि 100 पत्र आते हैं तो वह 100 पत्र का आप जवाब दें और उन 100 पर काम हो जायेगा। लेकिन अगर 2-4 में काम होने लायक है और हो जाये तो उसमें से एक का जवाब आज तक नहीं आया है। मैंने कितने पत्र भेजे होंगे यह शिष्टाचार तो रखें, सरकार अगर सारे मूल्यों को किनारे रख देगी तो कैसे काम होगा ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

शिष्टाचार रखिये नहीं, यह शिष्टाचार शुरू होना चाहिए।

श्री लाल जी टण्डन--

तो शुरु कीजिए यह मैंने पहले भी कहा था। अब नगर विकास के बारे में है तो मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता, आजम साहब को नाराज भी नहीं करना चाहता हूं लेकिन मान्यवर, यह हालत हो रही है । जवाहर लाल नेहरू रिनीवल मिशन योजना के द्वारा शहरों के विकास की बात है लेकिन विभाग के मंत्री इस योजना को फ्राड घोषित कर रहे हैं। आप शहरों के विकास की बात कर रहे हैं और आपके मंत्री जी कह रहे हैं कि यह फ्राड है। पुलिस प्रशासन की जो तारीफ आज सारे प्रदेश में हो रही है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस आज अपराधियों की साथी, पीड़ितों की विरोधी उसकी छवि बनती चली जा रही है। कितने केसेज मेरे सामने आये हैं कि जहां किसी की जमीन हड़प ली गयी और वह वहां पर जाकर रिपार्ट लिखाने गया तो उसकी रिपोर्ट लिखी नहीं गयी और जिसने जमीन हड़पी थी, वह वहां पहले से मौजूद था और उसने उनके ही खिलाफ मुकदमा कायम करा दिया और वह बंद हो गया। इस तरह के बहुत से मामले आ रहे हैं, उनकी तरफ आप ध्यान दें और इसको सुधारने की कोशिश करें। प्रदेश की शान्ति व्यवस्था को सुदृढ़ और पुलिस आधुनिकीकरण

के लिये 247 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी। उत्तर प्रदेश की पुलिस की हालत यह है कि केन्द्र सरकार ने दसवें वित्त आयोग के तहत प्रदेश को इसके लिये 10 करोड़ रुपये मुहैया कराये थे, लेकिन आज सैकड़ों वायरलेस और केबिल गोदामों में पड़े हैं और धूल चाट रहे हैं।

ऊर्जा में मैं एक बात के लिये बधाई दे सकता हूं कि पारीछा में एक नई यूनिट आपने लगाई लेकिन बाकी सारी घोषणायें खत्म हो गयी। प्रदेश में चाहे जितना बिजली का संकट रहा हो, राजधानी लखनऊ में कटौती नहीं होती थी, लेकिन आज इतनी कटौती हो रही है कि मुझे डीजल पर इतना खर्च करना पड़ता है जेनरेटर चलाने के लिये, यदि आप कहें तो मैं आपके पास बिल भेज दिया करूं क्योंकि बिजली देने की जिम्मेदारी आपकी है। अनपरा-सी का अभी तक फैसला नहीं हुआ, दो साल हो गया, मैंने उस दिन भी कहा था कि जापानी कं0 है, उसके पास सारे एन0ओ0सी0 हैं, केवल स्ट्रक्चर खड़ा करने के बाद वह वहीं से मशीनें लाकर लगा देते हैं और एक साल के अन्दर यह तैयार हो जाता है। लेकिन तब आपने कहा था कि आप इसे अपने उद्योगपतियों को देंगे। यह काम कौन उद्योगपति कर रहे हैं, एक भी पावर हाउस कहीं लगा दिया हो तो आप मुझे बतायें ? कहीं पर गैस आधारित हैं, तो वहां पर गैस नहीं है, कहीं पर कोल आधारित है तो वहां पर कोल नहीं हैं। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि उत्तरांचल में जो हमारी जल विद्युत योजनायें चल रही हैं, उनको थोड़ा कड़ाई के साथ समीक्षा करें, तो विद्युत तुरन्त मिलने लगेगी। मैंने उदाहरण भी दिया था कि जब मैं पावर मिनिस्टर था तब हिन्दुस्तान भर में पहला प्राइवेट क्षेत्र में विष्णुप्रयाग की योजना का समझौता किया था।

श्री मुलायम सिंह यादव--

उसमें हमारा भी सहयोग था।

श्री लाल जी टण्डन--

हमने आपसे सरकार ली थी तो हो सकता है आपने भी काम किया हो। लेकिन यह हकीकत है कि वर्ष 1991 से 2006 तक, इतने वर्ष हो गये हैं और अभी तक उससे एक भी यूनिट बिजली हमें नहीं मिली है। यह जान बूझकर डिले किया जा रहा है, क्योंकि उनसे बिजली आप खरीदेंगे, रेपुटेशन यह है कि पावर कारपोरेशन जो बिजली खरीदेगा, उसका पैसा देने के लिए उसके पास पैसा नहीं है। तो वह सोच रहे हैं कि हमने बना लिया है, जब वह पैसा देने की स्थिति में आयेंगे, तब हम इसे चार्ज कर लेंगे, कैसे ठगे जा रहे हैं लोग। कई योजनाएं अभी भी उत्तरांचल में चल रही है, जिसमें हमें पूरी बिजली मिलनी है। केवल उनकी रायल्टी को छोड़ करके उनके ऊपर हमारा अभी भी नियंत्रण है, हम उन्हें बुलाकर बात कर सकते हैं, पनिश कर सकते हैं कि अगर ऐसा नहीं करेंगे और पब्लिक के साथ धोखा करेंगे तो यह सब नहीं चलेगा। आपके बजट भाषण में स्वर्णिम परियोजना थी, पहले रिलायंस पावर प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा थी, इस बार इसकी कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि अब आप समझ गये हैं। मैंने तो पहले ही कहा था और यह मेरा अनुभव है कि यह जो पूँजीपति हैं, वह सारी सुविधाएं लेना चाहते हैं और देना कुछ नहीं चाहते हैं और वही हो भी गया कि उन्होंने बहुत कुछ ले भी लिया और अब उन्हें कोई चिन्ता नहीं है। उन लोगों ने दो साल के अन्दर बिजली देने का वायदा किया था, मंत्री पद ले करके, मुफ्त जमीन ले करके चले गये। कुछ नहीं हो रहा है, हम मजबूर हैं, हम उत्तम प्रदेश बना रहे हैं, जहां यह सब लूटा जा रहा है। मैं आपको आगाह

करना चाहता हूं, अभी से व्यवस्था कर लें, इस बार मौसम ने किसानों का साथ नहीं दिया है, गर्मी जल्दी पड़ने लगी है, इसलिए इस बार बिजली का ज्यादा खर्च आयेगा. बिजली की जरूरत किसानों को भी है, क्योंकि इस बार बारिश नहीं हुई है, उन्हें ट्यूबवेल चलाना है, उन्हें बिजली नहीं मिल पा रही है। बिजली नहीं मिल रही है इसके लिए मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूं, लेकिन यह आपकी जिम्मेदारी है, आखिर आप इतनी बड़ी घोषणा क्यों करते हैं, जो हकीकत है वह हकीकत है, क्योंकि जब तक बिजली का उत्पादन नहीं बढ़ेगा, तब तक आप बिजली नहीं दे सकते हैं, चाहे आप अट्ठारह घण्टे बिजली की घोषणा कर दें या छः घण्टे की घोषणा करें। मान्यवर, यहीं की व्यवस्था को देख करके प्रदेश के जितने भी अच्छे अधिकारी हैं, जो इस प्रदेश के विकास के लिए कुछ कर सकते हैं, सब दिल्ली की तरफ पलायन कर रहे हैं, जिन्होंने दिल्ली के लिए अप्लाई नहीं किया था, वह भी अब कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली पहुंच जाएं और झंझट से मुक्त हो जाएं, अगर आप कहें तो मैं उनके नाम गिना दूं।

श्री मुलायम सिंह यादव--

जब वह जाना चाहते हैं तो जाएं।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, दिल्ली बड़ा शहर है।

श्री लाल जी टण्डन--

महंगाई किस तरह से बढ़ रही है, इसका बजट में कहीं भी संकेत नहीं है कि आप क्या करने वाले हैं, इसको रोकने के लिए ? (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल ने बैठे-बैठे यह कहा कि यह तो दिल्ली वाले रोकेंगे।) 'आटा' दिल्ली वाले नहीं रोकेंगे, आटा आपका विषय है। आप दिल्ली वालों से बात करें, आम जनता को क्या चाहिए, 12-13 रुपये प्रति किलो आटा बिकेगा तो गरीब आदमी जो 50 रुपये रोज कमाता है, कहां से खा पायेगा ? (श्री नरेश अग्रवाल जी ने बैठे-बैठे कहा कि प्रमोद जी बैठे हुये हैं।) वह तो मक्खन खाते हैं, रोटी से उनका कहां मतलब है ?

श्री जगदम्बिका पाल--

विपक्ष को प्रमोद कुमार जी से बहुत ईर्ष्या हो रही है। मैं आमंत्रित करता हूं कि इधर आकर आप इनसे ज्यादा मक्खन खाइये।

श्री लाल जी टण्डन--

प्रमोद जी भेजेंगे तो मैं खा लूंगा। पिछली बार आपने जेण्डर बजटिंग का वायदा किया था। मैंने उस समय यही शब्द इस्तेमाल किया था कि यह जेण्डर नहीं कामन जेण्डर का बजट है, इसमें कुछ भी उत्पादन नहीं होगा और वही सिद्ध हुआ। महिलाओं का जितना उत्पीड़न हुआ है उसकी कोई मिसाल इसके पहले की नहीं रही है। चूंकि मान्यवर, आज मैं ज्यादा बोलने की स्थिति में नहीं हूं और बहुत बात बढ़ाना नहीं चाहता। मैंने केवल बिन्दु बता दिये हैं, जो हकीकत है, जो आईना दिखाया है उसे चाहे आलोचना समझें या बुराई समझें लेकिन अपने धर्म का पालन करते हुए आपको आगाह कर रहा हूं कि अगर अभी नहीं चेते तो प्रदेश में संवैधानिक संकट खड़ा हो रहा है। जो मंत्री ड्रग्स से संबंधित है, जो मंत्री सुपारी दे रहे हैं, इन लोगों के लिए अगर अभी से कुछ नहीं

करेंगे, जिनके ऊपर अपहरण के मुकदमें कायम हुये हैं, जिनके ऊपर डकैती के मुकदमे कायम हुये हैं वह मंत्रिपरिषद् में बने रहे तो ठीक नहीं होगा। दिल्ली में दागी मंत्रियों के खिलाफ एक बड़ा हो हल्ला हुआ था, शायद यहां भी उसी तरह से कुछ करना पड़ेगा वरना आप अपने मंत्रिपरिषद् को ठीक करिये। यह निर्णय अध्यक्ष जी देंगे कि जो उच्च न्यायालय का फैसला आया है वह क्या है, लेकिन रोज यह दृश्य उपस्थित होगा, जब तक मान्यवर, आप अपनी रूलिंग नहीं देंगे। इसलिए मेरा अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी इस विषय को निपटायें और आपका कोर्ट के आदेश के संदर्भ में अपना निर्णय दीजिए। सारे प्रदेश में इस समय अराजकता का जितना बोलबाला है इसके पहले कभी नहीं रहा। इस समय 100 के औसत से प्रतिदिन लोग मारे जा रहे हैं, हत्यायें हो रही है। मैं आपकी पीड़ा को समझ रहा हूं इसलिए अपनी बात को बहुत जल्दी खत्म कर दे रहा हूं। आज मुझे भी कष्ट है इसलिए बैठ करके बोल रहा हूं और बहुत संक्षेप में अपनी बात कही है। आपको मैं ज्यादा कष्ट अपने भाषण से नहीं देना चाहता हूं और इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

*प्रमोद कुमार--

मान्यवर, मैं अपनी ओर से इस समय पाल साहब को अभिकृत कर रहा हूं वह बजट भाषण पर अपने विचार रखेंगे मैं बाद में अपने विचार रख लूंगा इस समय मुख्यमंत्री जी को भी जाना है और टण्डन जी को भी लेबर पेन हो रहा है। बाद में मैं यह इन्सिएट नहीं करूंगा कि जब मैं बोलूं उस समय मुख्यमंत्री जी रहें। मैं अपनी बात रख दूंगा।

श्री अध्यक्ष--

तिवारी जी और टण्डन जी आपस में इतने कटाक्ष क्यों करते रहते हो ?

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)--

यह बड़े भाई और छोटे भाई के बीच की बात है।

श्री प्रमोद कुमार--

अगर टण्डन जी लेबर पेन के बाद कोई खुशखबरी देंगे तो पूरे सदन को खुशी होगी। भगवान करे कि जल्दी ही लेबर पेन से इनको छुट्टी मिले।

*श्री जगदम्बिका पाल--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2006-07 के बजट की सामान्य चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। श्रीमन् राज्य का बजट सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और भविष्य की योजनाओं का दस्तावेज होता है। स्वाभाविक है कि जब उत्तर प्रदेश सरकार एक तरफ उत्तम प्रदेश बनाने का दावा कर रही है तो उत्तर प्रदेश के 70 जनपदों के विकास के लिए कोई कार्यक्रम होगा, कोई योजनाएं होंगी वह कौन सी योजनाएं हैं ? अध्यक्ष महोदय, मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि इस सरकार ने पिछले तीन बजट इस सम्मानित सदन में प्रस्तुत किए हैं लेकिन आज हम ऐसी उम्मीद में थे कि इस वर्ष के बजट में प्रदेश में जो क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ रहा है उनको दूर करने की दिशा में सरकार की कुछ प्रतिबद्धता होगी। पिछले वर्ष के बजट को पूरा हमने खंगाला और उसके पूर्व राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट को भी हमने देखा उन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तीनों बजट में एक में भी हमें आशा की किरण नहीं नजर आई । जब भी कोई मुख्यमंत्री या मंत्री अपने पद की शपथ लेता है तो वह कहता है कि हमारा कोई काम पक्षपात का नहीं होगा लेकिन हमने यह बजट पढ़ा है उसके अनुसार राज्य सरकार ने जितने निर्णय लिए हैं उसमें तीन नए मेडिकल कालेज खोले हैं, एक नया पेरा मेडिकल कालेज खोलने, एक वानिकी महाविद्यालय, एक औद्यानिकी महाविद्यालय, चार नए इन्फार्मेशन टेक्नोलाजी पालीटेक्निक, दो नए इंजीनियरिंग कालेज स्थापित ..., इटावा में दुग्ध अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय की स्थापना एवं इटावा में मत्स्य महाविद्यालय की स्थापना की बात की गई है। सैफई में संजय गांधी संस्थान की तरह पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट खोलने की बात की गई है। स्वाभाविक है कि जब इस तरह का कोई इंस्टीट्यूट खोला जायेगा तो उससे आस-पास के क्षेत्रों का विकास होगा। अध्यक्ष महोदय, आप सिद्धार्थ नगर से ताल्लुक रखते हैं उसके आस पास बस्ती, श्रावस्ती, महाराजगंज, देवरिया आदि जनपद आते हैं इस क्षेत्र में हजारों लोग मस्तिष्क ज्वर से मरते हैं लेकिन बस्ती मण्डल में एक नया मेडिकल कालेज नहीं खोल सकते।

मान्यवर, बस्ती में 500 बैड के कैंसर अस्पताल की बात विश्व बैंक की सहायता से खोलने की कही है। मैंने पिछली बार भी कहा था जब बजट म आपने पी0जी0 अस्पताल और मेडिकल कालेज खोलने की बात कही थी। पिछली बार सरकार ने तीन हास्पिटल को सेटेलाइट से जोड़ने की बात कही थी कि संजय गांधी पोस्ट ग्रेज्युएट इन्स्टीट्यूट की तर्ज पर सैफई में सैफई अस्पताल और लखनऊ के डा0 राम मनोहर लोहिया अस्पताल को सेटेलाइट से जोड़ा जायेगा। मैंने उस समय भी आपसे कहा था कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी तमाम जनपद हैं। अगर सेटेलाइट हास्पिटल के लिये 150 करोड़ सैफई को और डा0 राम मनोहर के लिये 135 करोड़ रुपये सेटेलाइट से जोड़ने के लिये दिये जा रहे हैं तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में जहां इन्सेफलाइटिस और मेनेन्जाइटिस से हजारों हजार बच्चों, गरीब कुपोषण के शिकार लोगों की मृत्यु हो जाती है वहां पर भी चिकित्सा की व्यवस्था करिये। आज इस बजट में मान्यवर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बस्ती, में चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं है। आज 500 बैड के कैंसर अस्पताल को सेटेलाइट से जोड़ देते, पी0जी0आई0 की तरह से बना देते, एक नया मेडिकल कालेज खोलते तो निश्चित तौर से मैं कहता कि यह क्षेत्रीय असन्तुलन को कम करने वाला बजट है। आज प्रदेश में जो फैसले लिये गये हैं उनमें तमाम जनपद ऐसे हैं जहां पर इन मेडिकल कालेज की स्थापना की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। मान्यवर, आप उस बड़ी पीठ की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। तमाम जनपदों में उद्योग लग रहे होंगे। मैं कहता हूं कि यह हमारा सौभाग्य है कि अपने विधान सभा अध्यक्ष हमारे मण्डल से आते हैं। आपके क्षेत्र में डेढ़ वर्ष पूर्व एक चीनी मिल का शिलान्यास हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी सदन में कहा कि मैं शिलान्यास में विश्वास नहीं करता, उद्घाटन में करता हूं। चाहे वो ब्रिज के हों अगर हम शिलान्यास करते हैं तो उद्घाटन करने पर विश्वास करते हैं। जितने समय में काम होना है उतने समय में पूरा हो जाय। अगर किसी उद्योग की स्थापना होनी है तो वह उस समय के अन्दर हो जाय चाहे वह सिंचाई के क्षेत्र में हों या और किसी। मान्यवर, आप देख रहे हैं कि जो योजना परियोजना शुरू होने की घोषणा हुई आज वह कहां तक पहुंची। आपके क्षेत्र में दो वर्ष पूर्व जिस चीनी मिल का शिलान्यास हुआ आपकी अध्यक्षता में आज दो वर्ष बाद उसका क्या हाल है ? मैं एक सप्ताह पूर्व वहां से गुजर रहा था। वहां पर शिलान्यास का पत्थर रह गया है और ईंट वहां से उठ गई । दो वर्ष से

क्या उस क्षेत्र के मतदाताओं के मन में इस सरकार की विश्वसनीयता के प्रति क्या स्थिति पैदा हो रही है। मान्यवर, आज पूरे प्रदेश में निश्चित तौर से क्षेत्रीय असन्तुलन बढ़ रहा है। अभी हमने पढ़ा कि इस बजट में 5075 करोड़ रुपये पुल और सड़कों के लिये बहुत बड़ी धनराशि दी गई है। मान्यवर, इस वर्ष इतना रुपया प्रदेश के पुलों और सड़कों के रख-रखाव के लिये निर्धारित किया गया कि इससे पुलों का निर्माण होगा और सड़कों का निर्माण तथा रख-रखाव होगा। इतनी धनराशि से प्रदेश के कौन से क्षेत्र में पुल का निर्माण हो रहा है, सड़कों का निर्माण हो रहा है। अगर आज नेपाल से निकलकर लुम्बिनी दुद्धी मार्ग जो शुरू होता है और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सीमा में जाकर जुड़ता है। वह राष्ट्रीय मार्ग है। इसी तरह से तलवारी टाण्डा का पुल है, इस पुल की स्वीकृति हो गई थी।

(इस समय 2 बजकर 28 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।)

यह बुनकर बाहुल्य है। टाण्डा तलवारी, जलालपुर, अकबरपुर के लोगों के लिये उससे आने जाने की सुविधा हो जाती। उत्तर प्रदेश में अगर आवश्यकता की दृष्टि से फैसले होंगे और राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं होंगे तो वे जनहित में होंगे। या यह देखें कि अधिक से अधिक क्षेत्र को जोड़ने वाला कौन सा है। बस्ती, फैजाबाद, मऊ, अम्बेडकरनगर, जौनपुर, सुल्तानपुर का कुछ हिस्सा, बनारस, सोनभद्र, मिर्जापुर को जोड़ने वाली सड़क थी। हम तो अपेक्षा करते थे कि इस तरह की सड़कों का निर्माण होगा। केवल कुछ क्षेत्र में पुल बन जायें तो इससे पूरे प्रदेश का विकास नहीं हो सकता। मान्यवर, किसी भी प्रदेश के विकास के लिये दो चीजों की आवश्यकता है। पावर और इरिगेशन यह दो बुनियादी आवश्यकताएं हैं पूरे प्रदेश के लिये। उस विकास की दर को पाना होगा जब तक किसी दर का लक्ष्य नहीं बनेगा 10 प्रतिशत विकास दर जाएगी तो चार प्रतिशत तो कम से कम लक्ष्य बढ़ाना चाहिए। आज अगर किसी प्रगति की बात होगी तो दो सबसे बड़ी आवश्यकता बिजली सिंचाई है। पिछले दो वर्ष पहले जिस समय दादरी के पावर प्लान्ट की बात हुई है हम सबने उसका स्वागत किया। मुख्यमंत्री जी ने बार-बार घोषणा की कि दो वर्षों में पावर प्लान्ट चालू हो जाएगा। दो वर्षों के बाद 24 घंटे बिजली मिलेगी। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था उत्तर प्रदेश बिजली के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। सरकार को ढाई वर्ष हो गया है दादरी का प्लान्ट किन परिस्थितियों में, नेता प्रतिपक्ष ने कहा उसके बारे में मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। एक बात कहना चाहता हूं केन्द्र सरकार ने राजीव गांधी समग्र विद्युत योजना में 40 हजार गांव का लक्ष्य निर्धारित किया यह आजादी के बाद बदनुमा दाग है आज भी देश प्रदेश के सम्पूर्ण गांव का विद्युतीकरण नहीं कर सके। आज देश और प्रदेश की प्रगति बिजली के अभाव में नहीं देख सकते हैं। प्रदेश में समस्त गांवों में विद्युतीकरण के अभाव की वजह से टेलीविजन नहीं देख सकते हैं। सिंचाई के लिए ट्यूबवेल नहीं चल सकते हैं। व्यक्ति की आवश्यक आवश्यकता पूरी नहीं हो पा रही है इन सबको पूरा करने के लिए इस दिशा में एक फैसला हुआ था कि राजीव गांधी समग्र योजना के लिए केन्द्र सरकार ने पैसा दिया। बड़ी धनराशि दी। केन्द्र सरकार का 40 हजार गांव का विद्युतीकरण करने का लक्ष्य था। इस वर्ष 10 हजार का गांव का लक्ष्य निर्धारित था। 70 जिलों में अब स्थिति क्या है जिला योजना बैठक सब जिलों में हुई । प्रभारी मंत्रियों का रिकार्ड देख लें। माननीय नेता प्रतिपक्ष अपने क्षेत्र में गए होंगे। राजीव गांधी समग्र योजना में 10 हजार गांव के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया औसत पांच गांव एक जिले में हुआ।

श्री उपाध्यक्ष--

संक्षेप कर दें।

श्री जगदम्बिका पाल--

बोलने वालों की संख्या को देखते हुए समय दे दें।

श्री उपाध्यक्ष--

समय का भी ध्यान रखें।

श्री जगदम्बिका पाल--

पार्टी के नेताओं को बोलना था। पार्टी के नेता ने मुझे अधिकृत किया है। नेता बहुजन समाज पार्टी हैं नहीं। नेता प्रतिपक्ष ने अपना समय दे दिया।

श्री उपाध्यक्ष--

संक्षेप में करने को कहा है।

श्री जगदम्बिका पाल--

मान्यवर, पांच गांव का औसत ले लें। 350 गांवों को पूरे प्रदेश में विद्युतीकरण हुआ है। मेरे जनपद में बस्ती में 320 गांव 31 मार्च तक का लक्ष्य है। उस 320 गांव में से 5 गांव का विद्युतीकरण मेरे यहां हुआ है। पांच गांव का भी सम्पूर्ण विद्युतीकरण नहीं हुआ है। बी0पी0एल0 गए हैं जिनको एक कनेक्शन फ्री देना है निःशुल्क देना है वह भी नहीं दिया गया है। जो दस हजार गांव का लक्ष्य निर्धारित हुआ है उसमें दस हजार के सापेक्ष 350 गांव का विद्युतीकरण हुआ है। आज एक तारीख है 27-28 दिन रह गए हैं तो कैसे 10 हजार गांव का विद्युतीकरण होगा। मंत्री जी अपना उत्तर भाषण देंगे तो बतायेंगे अगर धन की कमी होती तो मैं कठिनाई समझता, वित्तीय साधन का अभाव है और उस धन की कमी के कारण ऐसा हो रहा है। लेकिन मान्यवर यह कार्य संस्कृति है धन की उपलब्धता होने के बावजूद उस कार्य को पूरा नही कर पा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के विकास की दर को कहां ले जायेंगे ? कैसे विकास करेंगे ? आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह से राज्य के किसानों के साथ किसानों को उनकी उत्पादन की लागत न दी जाए। अगर किसानों का नुकसान हो। आज जिस तरह से किसान की लागत बढ़ी है, राज्य की कई निजी चीनी मिलें 135 रुपये प्रति कुन्तल की दर से गन्ना खरीद रही है, हमारे क्षेत्र में संघ की चीनी मिलें हैं, राज्य के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब निजी चीनी मिलें 135 रुपये प्रति कुन्तल के हिसाब से गन्ना मूल्य दे सकती हैं, कुछ कृषि यंत्र देती हैं, उन्नतशील बीज आदि देती हैं तो स्वाभाविक है कि किसानों के हित को देखते हुए जो सरकार की बचनबद्धता है, उसे पूरा करना चाहिए। राज्य सरकार ने कहा है कि हमने गन्ना किसानों का पाई-पाई भुगतान कर दिया है। पिछले वर्ष का भी गन्ना मूल्य बाकी है, उसके पिछले वर्ष का भी बाकी है और उसके पिछले वर्ष का भी बाकी है। सुप्रीमकोर्ट और हाईकोर्ट ने भी फैसला कर दिया कि जो डिफर मूल्य है, जो चीनी मिलों ने कम दिया है, वह अन्तर मूल्य भी आप चीनी मिलों से नहीं दिला पा रहे हैं। तो एक तरफ किसानों के ऊपर यदि कोई बकाया है, उसने खाद के लिए कर्ज लिया है, बीज के लिए कर्ज लिया है तो आप उसके दरवाजे पर पहुंच जाते हैं, चाहे उसके यहां बारात ही क्यों न आई हो, उसे लॉक अप में पहुंचा दिया जाता है और दूसरी ओर जिन चीनी मिल मालिकों ने इतने वर्षों तक किसान के गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं किया, उसके अन्तर मूल्य का भी भुगतान नहीं किया, कितने ऐसे चीनी मिल मालिकों के खिलाफ आर0सी0 जारी की गयी, कितने लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गई ?

केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना है, इसके लिए 11300 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित है। केन्द्र जब सुनिश्चित कर रहा है कि हम इसके लिए 11300 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित कर रहे है, इसके लिए जो 200 जनपद हैं, वहां जो बेरोजगार होगा, उसे 100 दिन का रोजगार दिया जायेगा और यदि 15 दिन के अन्दर रोजगार नहीं दिया जाता है तो उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा। राज्य सरकार एक तरफ बेरोजगारी भत्ता देने की बात कर रही है तो निश्चित रूप से जो राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना है, उसमें राज्य सरकार को काम मुहैया कराना है, चाहे कोई काम हो, लोगों के लिए कार्य की क्षमता सृजित करना है और वह राज्य सरकार को करना है। उसके बावजूद भी यदि काम नहीं मिलता है तो उसके लिए बेरोजगार व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए, उसमें राज्य सरकार का क्या मन्तव्य है, मुख्यमंत्री जी जब उत्तर दें, तो इसके बारे में भी बतायें। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि उत्तर प्रदेश के जो बेरोजगार व्यक्ति हैं, चाहे वह बी0ए0 हों या एम0ए0 हों जैसा कहा गया है कि यदि उसने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, अब उन्होंने संशोधन कर दिया है कि फरवरी तक जिसने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, उसे बेरोजगारी भत्ता मिलेगा लेकिन इसके लिए कितना परिव्यय निर्धारित हुआ है ? कोई प्राविधान है नहीं, उसमें मात्र यह है कि जिसका रजिस्ट्रेशन होगा उसे 500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे।

मान्यवर, चुनाव सामने है, यह वादा तो चुनाव के पूर्व का था। जब मैंने प्रश्न लगाया था, जब सवाल पूछा था तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि वित्तीय कठिनाई है और हमने केन्द्र को लिख दिया है। इसलिए केन्द्र से संसाधन मिलने पर प्रदेश के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। तो दो वर्ष तक हमेशा यही उत्तर आया कि बेरोजगारी भत्ता देने के संबंध में केन्द्र सरकार को लिखा है। आपने वादा किया था, आपके चुनाव घोषणा पत्र में था, दस्तावेज था और जब आप सत्ता में आये तो यह आपकी बचनबद्धता थी और यह सरकार का दायित्व था कि वह इसे लागू करती लेकिन आज तक उसे लागू नही किया। जब चुनाव सर पर है और अब आपने अपने बजट में इस बात का उल्लेख किया है कि 500 बेरोजगारी भत्ता देंगे तो राज्य सरकार इसका कैसे प्राविधान करेगी क्योंकि इसमें तो कोई परिव्यय निर्धारित नहीं किया गया है। इसको कैसे पूरा करेंगे, क्या सप्लीमेन्ट्री से पूरा करेंग ? कम से कम सदन को इसकी जानकारी होनी चाहिए। प्रदेश की जनता को जो आर्थिक सहायता देने जा रहे हैं उससे हमारे राजकोष पर क्या भार पड़ेगा उस भार को राज्य सरकार कैसे पूरा करेगी इसकी जानकारी सदन को होनी चाहिए। आज राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वह राजकोषीय घाटे को पूरा करेंगे। जहां हम कुछ वर्ष पूर्व 50 हजार करोड़ के घाटे पर थे वहीं आज हम 1 लाख कुछ करोड़ के घाटे पर हैं। उस घाटे को कम करने के लिए क्या संकल्प लिया गया है इस सरकार ने क्या कदम उठाये हैं इसकी जानकारी दी जानी चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ कि आज फिजूलखर्ची पर रोक लगनी चाहिए। पूरे प्रदेश में जिस तरीके से फिजूलखर्ची हो रही है, महंगाई बढ़ रही है जब तक इस पर काबू नहीं पाया जायेगा तब तक निश्चित रूप से यह घाटा पूरा नहीं होगा। अगर इस पर आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो निश्चित रूप से आप कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकेंगे। मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने भाषण में यह भी बतायेंगे कि वह राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए क्या कर रहे हैं ?

कोरम के प्रति सदन का ध्यानाकर्षण

*श्री सतीश महाना--

मान्यवर, कोरम नहीं पूरा है। कम से कम 10 प्रतिशत सदस्य होने चाहिए। केवल 20 लोग हैं। कम से कम 42-43 सदस्य होने चाहिए। मान्यवर, इसका मतलब यह है कि इस सरकार को इस बजट को पास करवाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। बजट पास करवाने की जिम्मेदारी सरकार की है। माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं। कृपया कोरम पूरा करने के लिए घंटी बजवा दें।

श्री उपाध्यक्ष--

ठीक है, घंटी बजवा देते हैं।

(2 बजकर 42 मिनट पर कोरम की घंटी आरम्भ की गई। 2 बजकर 44 मिनट पर कोरम पूरा होने पर सदन की कार्यवाही पुन: आरम्भ हुई।)

वित्तीय वर्ष 2006-07 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (क्रमागत)

*श्री जगदम्बिका पाल--

मान्यवर, सामान्यत: बजट पर हम टीका टिप्पणी नहीं करते लेकिन उनकी चिन्ता भी स्वाभाविक है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी यहां बैठे थे और नेता प्रतिपक्ष ने बजट भाषण पर आलोचना और सुझाव दिए हैं और अभी मैं दूसरा वक्ता हूं। स्वाभाविक है कि अगर कोरम का प्रश्न उठ जाए तो प्रदेश की जनता इसको गंभीरता से लेगी। आज राज्य की विधान सभा में जहां पूरे प्रदेश के विकास कार्यक्रमों और भावी योजनाओं पर चर्चा हो रही हो और उसमें स्वाभाविक है कि 20 व्यक्ति सदन में बैठे हों तो कहीं न कहीं पार्लियामेन्टेरियन सिस्टम में जहां विधान सभा की इतनी परम्पराएं रही हों, जो दूसरे राज्यों की विधान सभाओं के लिए आदर्श रही हो, इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि कोरम पूरा करेंगे। यह कोरम पूरा करना सरकार की जिम्मेदारी है क्योंकि बजट उन्हें ही पारित कराना है। अगर मंत्रीगण नहीं बैठेंगे तो अधिकारीगण भी नहीं बैठेंगे और न नोटिस लेंगे। तो जो बात हम यहां पर कहते हैं, जो आलोचना करते हैं, जो सुझाव देते हैं, स्वाभाविक है कि राज्य सरकार अगर उसे गंभीरता से लेगी तो प्रशासनिक मशीनरी भी गंभीरता से लेगी।

श्री उपाध्यक्ष--

अब बात हो गयी है।

श्री सतीश महाना--

मान्यवर, पाल साहब एक पार्टी के वरिष्ठ सदस्य हैं। वह अकेले ही सक्षम हैं अपनी बात कहने के लिए। मेरा निवेदन केवल इतना है कि अगर सामान्य चर्चा हो रही है तो इसका मतलब यह होता है कि सम्मानित सदस्य अपनी बात, अपने क्षेत्र की बात किसी भी विषय में कह सकते हैं और उस विषय के माननीय मंत्रीगण को उपस्थित रहना आवश्यक है। क्योंकि यह तय नहीं होता है कि माननीय सदस्य किस विषय को उठायेंगे। वह नगर विकास की बात उठा सकते हैं, सिंचाई की उठा सकते हैं, ऊर्जा की बात उठा सकते हैं। तो अगर मंत्रीगण सुनेंगे नहीं तो कैसे उसका उत्तर देंगे ? आपसे अनुरोध है कि आप उन परम्पराओं को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित करायें कि संबंधित मंत्रीगण या राज्य सरकार सदन में उपस्थित रहे।

श्री उपाध्यक्ष--

ठीक है, माननीय पाल साहब अब अपनी बात समाप्त करें, आधा घंटा आपको हो गया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री जगदम्बिका पाल--

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसी सदन में घोषणा की थी कि उत्तर प्रदेश के व्यापारियों को फार्म-31 नहीं लगेगा। जो उसकी बाध्यता है उसको उन्होंने समाप्त कर दिया था। आज मान्यवर, पूरे उत्तर प्रदेश में असंतोष व्याप्त है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसी सदन में घोषणा की थी कि बाध्यता समाप्त की जाती है। आपको याद होगा कि बजट भाषण पढ़ते समय उन्होंने अलग से एक कागज से पढ़ा था और यह कहा था कि इसको भी बजट का अंग माना जाय और उस समय कुछ लोगों ने आपत्ति भी की थी, आज उस फार्म-31 को लेकर के 2 मार्च को व्यापारियों द्वारा बन्द का आवाह्न किया गया है। एक तरफ तो कह रहे हैं कि विकास हो रहा है, व्यापारियों को सहूलियतें दी जा रही हैं, पूंजी निवेश बढ़ रहा है, तो हम यह जानना चाहते हैं मुख्य मंत्री जी से कितने एम ओ यू साइन हुए, कितने उद्योगों के लिए साइन हुए। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक विकास परिषद् का गठन किया गया। जबसे इसका गठन हुआ है तबसे तमाम इसकी मीटिंगें हुई। जनता को यह आश्वासन दिया गया था कि पूंजी निवेश करेंगे तो ढाई साल हो गये हैं, प्रदेश की जनता यह जानना चाहती है कि कितने पूंजी निवेश यहां पर हुए। मान्यवर, मैं लखनऊ से निकलता हूँ और बाराबंकी देवरिया तक जाता हूँ। 27 जिले हमारे हैं और एक उद्योग को लगा नहीं मैंने देखा। आज इस प्रदेश की जो लाइफ लाइन है वह है चीनी मिल। आज 6 एक साल में और पांच एक साल में बंद हो गयी। आज राज्य सरकार इस बात का संकल्प ले कि जो 11 चीनी मिलें बंद हैं उसमें से एक जो कि रामपुर की है वह चल रही है, लेकिन जो बाकी की दस चीनी मिलें हैं चाहे वह मुन्डेरवा की हों, नवाबगंज की हों, बरेली की हों, बेतालपुर की हो, वह आज नहीं चल रही हैं। उन चीनी मिलों से स्वाभाविक है कि वहां के किसानों की क्या कठिनाई होगी और आज उन तमाम जनपदों में कहीं कोई नई चीनी मिलें नहीं लगीं। आज हमारे यहां गन्ना का रकबा इतना बढ़ रहा है कि इस साल तत्काल अगर उसकी पेराई की व्यवस्था नहीं की गई तो गन्ना खेतों में जलाना पड़ेगा, यह बात मैं इसलिए गंभीरता से कह रहा हूँ कि पिछले दिनों जब जिला पंचायत के चुनाव थे तो मुण्डेरवा क्षेत्र की जो चीनी मिल बन्द थी उस चीनी मिल का गन्ना पिछले साल बभनान में जाता था, इस साल उस बस्ती चीनी मिल के सुपुर्द कर दिया गया और अगर गन्ना नहीं उठा रहा था तो जिस समय जिला परिषद् का चुनाव हुआ, जिताने के लिए तो उस समय बभनान को भी अनुमति दे दी गयी, बभनान में भी कांटा लगा दिया गया और बस्ती में भी लगा दिया। मान्यवर, कुछ दिन किसानों को एक सप्ताह राहत मिली उनको तो किसानों की परचेजिंग शुरू हुई और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ फिर वह चारों क्रय केन्द्र बंद हो गये तो मान्यवर, अगर कोई फैसला लेंगे तो प्रदेश के किसानों, जिनका गन्ना खेत में खड़ा है और आज उन्हें पर्चियां नहीं मिल रही हैं आज जिस तरह से पर्चियों के लिए मारे-मारे घूम रहे हैं जिस तरह से उनका सर्वे नहीं हुआ और गन्ना माफिया है, मान्यवर, इस सरकार के लिए यह सुझाव ही है कि जो आम काश्तकार है, जो वास्तविक काश्तकार है, जो छोटा काश्तकार है वह आज अपनी गन्ना पर्चियों को चीनी मिलों में नहीं बेच पा रहा है, मान्यवर, आज हर जिले में गन्ना माफिया हो गये हैं जो हर जिलों में किसानों से औने-पौने दामों में गन्ना खरीदते हैं और वह फर्जी नाम से पड़ताल करा करके ट्रकों से ट्रकों बंधों पर रखते हैं और एक-एक ट्रक भर करके रोज गन्ना वह बेच रहे हैं तो आज जिनके पास कोई खेत नहीं है जिनके पास कोई मेहनत नहीं है, वह केवल मान्यवर, इतना बड़ा शोषण पूरे

प्रदेश के पैमाने पर हो रहा है कि उन छोटे किसानों का गन्ना जिस पर 120 रुपये सरकर ने अगैती तय किया है 115 रुपये सामान्य प्रजातियों के लिए तय किया वह 80-90 रुपये के भाव में बिक रहा है, क्योंकि किसानों की होल्डिंग कैपीसिटी है नहीं, किसानों की क्षमता तो है नहीं मान्यवर, वह इंतजार करे, उसको कहीं बेटी के हाथ पीले करने हैं, कहीं बेटा की फीस के लिए पैसा देना है, कहीं बीमार बाप के इलाज के लिए पैसा देना है तो वह तो कर्ज पर है मान्यवर, साहूकार अलग से उनसे मांग रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य, अब आप दो मिनट में समाप्त करें।

श्री जगदम्बिका पाल--

मान्यवर, आज उन गन्ना माफियाओं से आम किसानों को बचाने के लिए आपको कुछ करना होगा, आज पूर्वांचल में कहीं कोई नई चीनी मिल नहीं है, जब गन्ना ही एक किसानों के पास आय का स्रोत है और दिन प्रतिदिन जिस तरीके से किसान परेशान हो रहा है तो नई चीनी मिलों को लगाने की सरकार की नीति होनी चाहिए कि हम संघ या निगम से क्योंकि इनकी इसीलिए स्थापना हुई थी। किसानों के हितों के संवर्द्धन के लिए, उनकी रक्षा के लिए हम राज्य के कोआपरेटिव में चीनी मिलें स्थापित करेंगे, राज्य के कारपोरेशन में स्थापित करेंगे। दो-दो कारपोरेशन स्थापित हुए, राज्य चीनी निगम, राज्य चीनी संघ और आज 35-35 चीनी मिलें हैं और उसमें से 11 चीनी मिलें बंद हैं तो मान्यवर, मैं चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारे इस पूर्वांचल में एक तो उन्होंने शिलान्यास किया, उस पर कोई प्रगति का कार्य नहीं हुआ और हमारे यहां मुण्डेरवा चीनी मिल बंद है, खलीलाबाद चीनी मिल बंद है, सरदार नगर बंद है, बैतालपुर बन्द है, भटनी बन्द है, खड्डा बन्द है, मान्यवर, अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि खड्डा चल रही है, इसका मतलब यह सब मान रहे हैं कि मैंने जिन 11 चीनी मिलों का नाम लिया उनमें एक चल रही है और 10 बन्द है। मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता था कि आप देख रहे हैं कि बेरोजगार डिप्लोमा फारमेसिस्ट इस लखनऊ में विधान सभा के सामने या पटेल पार्क पर धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य हो रहे हैं, सरकार उनकी मांग नहीं मान रही है। वह कोई नई नियुक्ति नहीं मांग रहे हैं, उत्तर प्रदेश में तीन हजार पद स्वीकृत थे जो बेरोजगार डिप्लोमा फार्मासिस्ट थे, तीन हजार पद स्वीकृत थे जिनको वित्तीय स्वीकृति भी थी, वर्तमान समय में उस पर केवल नियुक्ति होनी थी, जब एक तरफ सरकार कह रही है कि हम बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता देंगे तो मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि तीन हजार पद थे, उनके पद स्वीकृत थे, उनके पदों को समाप्त कर दिया गया, एक तरफ सरकार स्वीकृत पदों को समाप्त कर रही है और दूसरी तरफ बेरोजगारी भत्ता देगी, यह किस तरीके का क्रूर मजाक है कि हम रेग्युलर नौकरियों, जहां पद स्वीकृत हैं उनको देने के बजाय, उस पैसे से हम बेरोजगारी भत्ता दें। यह इसलिए कि 500-500 रुपया ज्यादा लोगों में बंट जाय और उससे उनको चुनाव में लाभ होगा। परन्तु, इससे राज्य का विकास नहीं होगा। मान्यवर, आज प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा और बेसिक शिक्षा की स्थिति क्या है। मुख्य मंत्री जी ने कल अपनी प्राथमिकता बतायी कि शिक्षा और स्वास्थ्य इस सरकार की प्राथमिकता है। आज शिक्षा के क्षेत्र में दो लाख पद खाली हैं। कल एक प्रश्न के जवाब में आया कि कोई एकल विद्यालय नहीं है और कोई विद्यालय बंद नहीं हैं। लेकिन वहीं एक अतारांकित प्रश्न के उत्तर में आया कि 15 हजार

विद्यालय एकल हैं और बंद पड़े हैं। तो जो रिक्त पद हैं उन पर नियुक्ति के लिए आप चाहें तो जो शिक्षा मित्र हैं उनको आप विशेष बी0टी0सी0 ट्रेनिंग करा दें। एक प्राइमरी विद्यालय के शिक्षक को आठ हजार रुपया वेतन मिलता है और वही बगल के विद्यालय में पढ़ा रहे शिक्षा मित्र को केवल ढाई हजार रुपये वेतन मुश्किल से मिलता है। तो यह जो दोहरी व्यवस्था है यह प्रदेश की बुनियाद को कैसे मजबूत बनाने का काम करेगी ? जिस पर पूरे प्रदेश की नींव खड़ी है। बच्चे की जो प्राइमरी एजूकेशन होगी, उसके आधार पर ही उसमें संस्कार आयेंगे और उसी से उसका भविष्य बनेगा। मान्यवर, तो राज्य सरकार कोई फैसला क्यों नहीं ले लेती है कि जो 2 लाख शिक्षकों की कमी है उसकी पूर्ति शिक्षा मित्रों की नियुक्ति करके करें ? मान्यवर, जिस तरीके से हो सके चाहे उनकी विशेष योग्यता पूरी कराके या जो ट्रेनिंग हो उसको पूरा कराके वह आप नियुक्ति उनकी करा दें।

मान्यवर, इसी तरह से जो राज्य कर्मचारी और शिक्षक हैं उनको महंगाई भत्ता देने की बात है, आज केन्द्र ने दे दिया है राज्य सरकार को भी देना चाहिए। जब एक बात तय हो गयी कि जैसे-जैसे महंगाई का मूल्य सूचकांक बढ़ेगा वैसे-वैसे महंगाई भत्ता कर्मचारियों का बढ़ जायेगा। लेकिन सूचकांक बढ़ने के बावजूद राज्य सरकार ने उसे अभी तक नहीं दिया है।

मान्यवर, जैसा नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जो लखनऊ में हीवेट पोलीटेक्निक है उसका जो कमिटेड एक्सपेंडिचर है उनको वह मिलना चाहिए। तो मेरा भी आग्रह है कि मैं वहां से पढ़ा हुआ हूँ, उनको वह कमिटेड एक्सपेंडिचर राज्य सरकार द्वारा दे दिया जाय।

*श्री पूर्णमासी देहाती--

मान्यवर, आपने मुझे 2006-07 के बजट की सामान्य चर्चा पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो यह बजट प्रस्तुत किया है उसके सारे बिन्दुओं को अगर देख लिया जाए तो कोई भी व्यक्ति उसकी सराहना किये बगैर नहीं रह सकता है। इस बजट में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचा है। जिसके लाभ की बात ना कही गयी हो। मान्यवर, यह सही है कि पाल साहब ने दो-एक बिन्दुओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया कि जो बन्द चीनी मिलें हैं वह चलनी चाहिए। मान्यवर, यह जो बन्द चीनी मिलें हैं यह पूर्व सरकारों की देन है। यह सही है कि पाल साहब को भी ध्यान होगा कि चीनी मिलों के सवाल को लेकर 1992 में गोली भी चल चुकी है और संयोग से उसमें जो जमादार मियां और हरिजन दो लोग मरे थे वह मेरे क्षेत्र के थे। उस समय रामकोला चीनी मिल जिसको खेतान चीनी मिल वह लक्ष्मी चीनी मिल के नाम से भी जाना जाता है, बन्द करने के आदेश कर दिये गये थे। लेकिन संयोग से हम लोग इधर आ गये और वह मिलें बन्द नहीं हुई और चल गयी हैं। मान्यवर, खड्डा चीनी मिल आज बेहतर स्थिति में है। मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूँ कि पडरौना चीनी मिल जो बन्द थी वह चालू कर दी गयी है।

मान्यवर, पूर्वांचल के कुशीनगर जनपद की हाटा तहसील के मुख्यालय के बगल में प्राइवेट सेक्टर में एक चीनी मिल लग रही है जिससे एक लाख कुन्टल गन्ने की रोज पेराई होगी। जब यह चालू हो जायेगी तो वहां गन्ने की समस्या नहीं रहेगी। उसका निर्माण कार्य शुरू हो गया है।

मान्यवर, जहां तक बिजली की आपूर्ति की बात है, उसमें पहले से काफी सुधार हुआ है और स्थिति दिन प्रतिदिन सुधर रही है। मान्यवर, इसी तरह से वृद्ध, विकलांग और विधवा पेंशन की जो स्थिति थी पूरे प्रदेश में 12 लाख लोगों को यह मिलती थी।

कोरम के प्रति सदन का पुनः ध्यानाकर्षण

*श्री सतीश महाना--

मान्यवर, सदन में कोरम नहीं है। बिना कोरम के कैसे हाउस चलेगा ?

श्री उपाध्यक्ष--

घंटी बजाई जाय।

(3 बजे कोरम के लिये घंटी बजाई गयी। 3 बजकर 2 मिनट पर कोरम पूरा होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुयी।)

*श्री जगदम्बिका पाल--

मान्यवर, महाना जी, राज्य सरकार की किरकिरी कर रहे हैं कि दो बार कोरम की कमी रही।

श्री सतीश महाना--

मान्यवर, वहां से बताया जा रहा है कि हम पूरे नहीं हैं। यह तो सरकार की जिम्मेदारी है।

श्री उपाध्यक्ष--

अब कोरम पूरा हो गया है।

वित्तीय वर्ष 2006-07 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (क्रमागत)

*श्री पूर्णमासी देहाती--

तो मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि सरकार ने उत्तर प्रदेश की जनता की बेहतरी के लिए अनेक कदम उठाये हैं जो स्वागत योग्य है। इसी तरह से मान्यवर, उत्तर प्रदेश में हिन्दुस्तान ही नहीं दुनिया के किसी भी देश में इण्टर पास लड़कियों के लिए कोई अनुदान नहीं दिया जा रहा है जब उत्तर प्रदेश की सरकार इंटर पास गांव गरीब, किसान, मजदूर की लड़कियों को 20 हजार रुपया दे रही है और जिसके लिये बजट को इस साल बढ़ाकर 600 करोड़ रुपया कर दिया गया है। इसी तरह से अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ी जाति और सामान्य जाति के बच्चों को छात्रवृत्ति के लिए सरकार ने 929 करोड़ का प्राविधान किया है तो यह स्वागत योग्य कदम है। मान्यवर, जहां तक कानून व्यवस्था की स्थिति है तो मैं नेपाल और और बिहार की सीमा से आता हूँ। आज बार्डर की स्थिति बहुत ठीक है। आज इसके पहले त्राहि-त्राहि मची रहती थी लगभग ढाई साल पहले। मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो यह व्यवस्था किया कि कहीं भी नौकरियों के दरवाजे नहीं खुले थे तो आज उत्तर प्रदेश में लाखों नौजवानों की भर्ती हो चुकी है और लाखों की भर्ती का काम चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षित बेरोजगारों को भत्ता देने की बात कही और बात ही नहीं कही उसका प्राविधान भी किया जो इस राज्य के लिए बहुत बड़ा सराहनीय कदम है। अब हमारे साथी तो बहुत गायब हैं और उधर वाले तो गायब ही रहते हैं। जहां तक गन्ना का सवाल है तो इसके पहले जब भाई बहन की सरकार थी तो लाखों कुन्तल गन्ना खेतों में सूख गया। चीनी मिल में गिरवार गन्ने को गिराकर भागने को मजबूर हो गये। आज सरकार ने यह व्यवस्था किया है कि किसानों का गन्ना 120 रुपया कुन्तल मिल रहा है और कहीं-कहीं प्राइवेट मिल मालिक अपने मिल को चलाने के लिए गन्ने की कीमत डेढ़ सौ रुपये देने को मजबूर हैं तो यह सरकार का बहुत बड़ा कदम है और उस समय लोग ढिढ़ोरा पीटते थे कि हमने 95 कर दिया, जबकि प्राइवेट वाले कहीं 68, कहीं 72 और कहीं 78 तक दे रहे थे और उस जमाने का भी करोड़ों रुपये का भुगतान इस सरकार द्वारा किया गया, इस वजह से आज किसान राहत की सांस महसूस कर रहा है। मान्यवर, कृषि उपज पर सब्सिडी बढ़ा दी गयी, पहले केवल कृषि पर सब्सिडी जो भारत सरकार से आती थी, केवल वह होती थी, लेकिन राज्य सरकार ने 120 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से सब्सिडी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अलग से दिया है, यह बहुत बड़ा कदम है। शिक्षा और चिकित्सा सरकार के मुख्य बिन्दु हैं। पहले अस्पतालों में लोग इसलिये नहीं जाते थे क्योंकि 8 रुपये का पर्चा लगता था, उसको घटाकर इस सरकार ने एक रुपया कर दिया, इसलिये अस्पतालों में काफी भीड़ बढ़ गयी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और राज्य सरकार को बधाई देना चाहता हूँ कि कुशीनगर में 100 बेड का अस्पताल भी स्वीकृत कर दिया है, क्योंकि यह अत्यन्त पिछड़ा हुआ जिला है। मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ और अपनी बात खत्म करता हूँ।

*श्री विद्यासागर गुप्ता--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आम बजट पर बोलने का आपने मौका दिया, मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट भाषण में बताया कि औद्योगिक विकास के अंतर्गत पिछले 2 साल में 48,000 करोड़ रुपये के 1295 निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं। लेकिन मान्यवर, उन्होंने यह नहीं बताया कि दो साल में कितने उद्योग इनमें से इस प्रदेश में लगे हैं। मान्यवर, जहां तक मेरी जानकारी है कि दो साल के अंदर एक भी उद्योग उत्तर प्रदेश में अभी तक नहीं लगा है। इसी प्रकार मान्यवर, लघु उद्योग भी उत्तर प्रदेश में कम होते चले जा रहे हैं। सन् 2003-2004 में लघु उद्योगों का ग्रोथ रेट 14.66 प्रतिशत था, जो सन् 2004-2005 में घटकर साढ़े 11 प्रतिशत हो गया और मान्यवर, 2005-2006 में लघु उद्योगों का ग्रोथ रेट साढ़े 10 प्रतिशत के अन्दर आ जाने की संभावना है जो दुर्भाग्यपूर्ण है। श्रीमन् कृषि के अतिरिक्त सबसे अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करने में लघु उद्योगों की बहुत बड़ी भूमिका है। कृषि और उद्योग विकास के रथ के दो पहियों के बराबर है यदि एक भी पहिया कमजोर हो जाता है तो प्रदेश में उन्नति नहीं हो सकती। मान्यवर, सन् 2004 में प्रदेश सरकार ने एक उद्योग नीति की घोषणा की थी, जिसमें 25 सूत्री कार्यक्रम बनाया गया था। इन 25 सूत्री कार्यक्रमों में औद्योगिक क्षेत्रों को .....

कोरम के प्रति सदन का पुनः ध्यानाकर्षण (क्रमागत)

*श्री सतीश महाना--

मान्यवर, कोरम पूरा नहीं है। कोरम के लिए 42 सदस्य होने चाहिए, अगर सरकार की सदन चलाने में रुचि नहीं है, अगर सरकार का यही मन्तव्य है तो सदन चलाने का मतलब क्या है ? (माननीय मंत्री जी रघुराज प्रताप सिंह की ओर इशारा करते हुए) देखिये माननीय मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं। देखिये पाल साहब भी जा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

एक बार फिर से घंटी बजाइये। (3 बजकर 12 मिनट कोरम की घंटी बजायी गयी)

*श्री जगदम्बिका पाल--

मान्यवर, तीन बजे मेरी बैठक थी, मैंने आपको दिखाया, फिर भी मैं कोरम के कारण बैठ जाता हूँ।

श्री सतीश महाना--

मान्यवर, पांच सदस्य कम हैं यह पहली बार नहीं, तीन-तीन बार ऐसा हो चुका है, इससे सरकार की इच्छा का पता चलता है। मान्यवर, देखिये, हमारी बात से माननीय मंत्री जी मौन सहमत हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री मयंकेश्वर शरण सिंह--

मान्यवर, कोरम पूरा है, महाना जी ठीक से गिन नहीं पाये हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

कोरम पूरा है, माननीय सदस्य, अपना भाषण जारी रखें।

(3 बजकर 13 मिनट पर कोरम पूरा होने पर सदन की कार्यवाही पुन: आरम्भ हुई।)

वित्तीय वर्ष 2006-2007 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (क्रमागत)

*श्री विद्या सागर गुप्ता--

मान्यवर, वर्ष 2004 में एक उद्योग नीति की घोषणा सरकार ने की थी, उसके अंतर्गत 25 सूत्री कार्यक्रम बनाये गये थे, उनके अनुसार औद्योगिक क्षेत्रों को 24 घंटे बिजली आपूर्ति करने का आश्वासन दिया गया था। पूर्वांचल के 24, बुन्देलखण्ड के 17 जनपदों को स्टैम्प ड्यूटी से शत-प्रतिशत, 100 फीसदी छूट देने की घोषणा की गई थी। मान्यवर, 25 श्रमिकों से कम जिस उद्योग में श्रमिक हैं, उनको श्रमिक कानून से पूर्णत: मुक्ति की घोषणा की गयी थी। उद्योग बंधु की हर तीन महीने के बाद मुख्य मंत्री महोदय की अध्यक्षता में मीटिंग करने की घोषणा की गई थी, किन्तु मान्यवर, इन दो सालों में 25 सूत्रों में से एक को भी सफलतापूर्वक नहीं कराया गया है, एक को फलीभूत नहीं किया गया है। मान्यवर, इसी प्रकार ऊर्जा नीति में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सन् 2006 में 4,196 करोड़ रुपये की घोषणा की थी, श्रीमन् दो साल पहले भी 3,909 मेगावाट बिजली दे रहे थे और आज दो साल बाद भी उतनी ही बिजली दे रहे हैं, एक भी मेगावाट बिजली की बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। इसलिए प्रदेश में जब तक बिजली का उत्पादन नहीं बढ़ेगा, लोगों को बिजली नहीं मिलेगी, तब तक प्रदेश की उन्नति नहीं हो सकती। इसलिए मान्यवर, मैं निवेदन करूँगा कि बिजली की उपलब्धता के लिए नये बिजलीघर लगाये जाएं और जो वर्ष 2004 में नीति घोषित की गई थी, उसे पूर्ण किया जाए।

*श्री दीनानाथ कुशवाहा--

मान्यवर, आपने मुझे बजट भाषण पर हो रही सामान्य चर्चा में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मान्यवर, यह सदन प्रदेश की 17 करोड़ जनता का आइना है। हमारी सरकार ने जो बजट सदन में प्रस्तुत किया है, वह पूरी तरह से किसानों, मजदूरों, छात्रों, व्यापारियों के हित में है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि यह वर्ष 2006-2007 का बजट किसानों के हित में इसलिए है कि पिछली बार जब गन्ने का मूल्य बढ़ा था तो प्रदेश के किसानों को कम से कम साढ़े चार सौ करोड़ रुपए का लाभ हुआ था और वर्ष 2006-2007 के बजट में गन्ना किसानों को 500 करोड़ रुपये का लाभ हुआ। इस प्रकार दो वर्ष के अंदर प्रदेश के गन्ना किसानों को लगभग 1000 करोड़ रुपये का लाभ हुआ है। हमारे देवरिया जनपद में 3 चीनी मिलें हैं-- भटनी, बैतालपुर और देवरिया, ये कारपोरेशन की चीनी मिलें हैं और इनके अलावा पूरे प्रदेश में 8 और चीनी मिलें हैं। आपने कहा था कि इन चीनी मिलों को चलाने पर राज्य के खजाने पर हर साल 56 करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है लेकिन हमारे जुझारू मुख्यमंत्री मा0 मुलायम सिंह यादव जी अपने सीने पर पत्थर रखकर गन्ना किसानों, मजदूरों के हित में इन चीनी मिलों को चलाने का काम कर रहे हैं। हमारे देवरिया जनपद में गन्ने के अभाव में चीनी मिलें बंद हुई, चीनी मिलों को बंद नहीं किया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे जनपद में कहीं से इस तरह की कोई शिकायत गन्ना किसानों की नहीं है। गन्ना किसान खुशहाल हैं। गन्ने के अभाव में हमारी चीनी मिलें समय से पहले बंद हो गयी। मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूँ कि आज शिक्षा के क्षेत्र में हमारी सरकार की बाध्यता है कि सबको शिक्षा दें और सर्व शिक्षा अभियान चालू है। प्रदेश में 200 करोड़ रुपया कक्षा 1 से 5 तक की लड़कियों के यूनीफार्म के लिए दिया गया है.....

श्री सतीश महाना--

माननीय उपाध्यक्ष जी, तीन-तीन बार कोरम की घंटी बजी उसके बाद भी कोरम नहीं है।

(श्री अनुग्रह नारायण सिंह के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य, कृपया बैठें। अब पहले मद संख्या-14 ले लेता हूँ।

नियम 51 के अंतर्गत सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष--

आज दिनांक 1 मार्च, 2006 को नियम-51 के अंतर्गत कुल 21 सूचनाएं प्राप्त हुई। पहली सूचना श्री पूर्णमासी देहाती की जनपद चित्रकूट की श्रीमती रामकन्या की जमीन का जबरन कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। दूसरी सूचना श्री अनुग्रह नारायण उर्फ खोखा सिंह की प्रदेश में सन् 1977 में मीसा एवं डी0आई0आर0 में बंद राजनैतिक कैदियों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का दर्जा दिये जाने के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। तीसरी सूचना श्री परमेश्वर दयाल की जनपद सोनभद्र में भयंकर सूखे को देखते हुए सोन पम्प नहर से घाघरा मुख्य नहर में पानी छोड़े जाने के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। चौथी सूचना श्री हुकुम सिंह की जनपद मुजफ्फर नगर के ग्रामीण अंचलों में दो घण्टे भी विद्युत् आपूर्ति न होने के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई, पांचवीं सूचना श्री रिजवान अहमद खां की प्रदेश में खाण्डसारी उद्योग के बंद होने के संबंध में है,केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। छठीं सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की शाहजहांपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत पिछले दो वर्षो से कोई कार्य न होने के संबंध में, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। सातवीं सूचना कुंवर भारतेन्द्र सिंह की भातखण्डे संगीत विश्वविद्यालय, लखनऊ में गुरुजनों का उत्पीड़न किये जाने एवं छात्रों से मनमाने ढंग से फीस वसूल किये जाने के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। आठवीं सूचना डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की प्रदेश के श्रम न्यायाधिकरणों में जजों की तैनाती न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। नवीं सूचना श्री बीजू पटनायक की सुश्री दुर्गा कुमारी श्रीवास्तव, सहायक अध्यापिका, सैदपुर, गाजीपुर द्वारा फर्जी अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र देकर भूमि का बैनामा कराये जाने के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई, दसवीं सूचना श्री जगन प्रसाद गर्ग की जनपद आगरा में सड़कों एवं सार्वजनिक स्थलों पर अतिक्रमण से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई, ग्यारहवीं सूचना श्री राम हेत भारती की जनपद सीतापुर में परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों तथा पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत 50 वर्ष से ऊपर के शिक्षक तथा शिक्षिकाओं का स्थानान्तरण शासनादेश के विपरीत किये जाने के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई।

जिन माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत हुई, उनके नाम हैं--श्री रंगनाथ मिश्र, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री मुंशी लाल गौतम, श्रीमती विद्या चौधरी, श्री आलम बदी, श्री राम विशुन आजाद, श्री रणवीर राणा, श्री विद्या सागर गुप्ता, श्री नवाब सिंह नागर एवं श्री रामकरन आर्य।

वित्तीय वर्ष 2006-2007 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (क्रमागत)

*श्री दीनानाथ कुशवाहा--

उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा क्षेत्र में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने वर्ष 2004-05 में 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था ऐसी लड़कियों के लिए की जो इण्टर पास कर लेती हैं लेकिन उनके अभिभावक के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वह अपनी लड़की को आगे पढ़ाए। इस हेतु वर्ष 2005-06 के बजट में 300 करोड़ व वर्ष 2006-07 में 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था की। इस प्रकार तीन साल के बजट में कुल मिलाकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की। हम लोग देखते हैं कि समाज में ऐसे लोग तो मिल जाते हैं जो शराब पीने में अपनी खेती बारी बेच देते हैं लेकिन ऐसे लोग नहीं मिलते जिन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई में खेती बारी बेची हो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पांच लाख बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की है। आप अन्य प्रदेशों को देख लें किसी प्रदेश में ऐसी व्यवस्था नहीं की गई। आज बिजली पर चर्चा हो रही थी जब वर्ष 2000 में प्रदेश बंट गया उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और टिहरी प्रोजेक्ट ऐसा था जिससे अप्रैल में एक हजार मेगावाट की बिजली पैदा होती और जून से दिसम्बर के मध्य ढाई हजार मेगावाट बिजली पैदा होती लेकिन जिस समय प्रदेश बंट रहा था उस समय भारतीय जनता पार्टी ने कोई इस तरह का समझौता नहीं किया कि जब तक प्रदेश में नये पावर प्रोजेक्ट नहीं लगते तब तक टिहरी बांध से 1500 मेगावाट बिजली मिलती रहती। हमारी सरकार के कार्यकाल में रोजा पावर प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ जिससे 200 मेगावाट बिजली पैदा होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी तीन करोड़ रुपए की बिजली प्रतिदिन खरीदकर जनता को दे रहे हैं। हमारी सरकार ने हर क्षेत्र में चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, में काम किया है। चाहे गन्ना किसानों के हित का मामला हो, छात्रों के हित की बात हो, व्यापरियों के हित की बात हो, मजदूरों के हित की बात हो सभी क्षेत्र में ऐतिहासिक काम किया है।

श्री उपाध्यक्ष--

अब समाप्त करें।

श्री दीनानाथ कुशवाहा--

हमारे मुख्यमंत्री जी ने व्यापारियों के हित को देखते हुए वैट के बारे में घोषणा की कि जब तक प्रदेश के व्यापार इससे सहमत नहीं होंगे हम वैट को लागू नहीं करेंगे जबकि चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या अन्य कोई सरकार हो किसी ने इस तरह की घोषणा नहीं की। हमारी सरकार ने समाज के हर वर्ग के लिए कार्य किया है। इसलिए मैं इस बजट का समर्थन करता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ।

*श्री राम इकबाल सिंह--

उपाध्यक्ष महोदय, आपने वर्ष 2006-07 के बजट पर चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, यह वर्ष 2006-2007 का जो बजट है यह उत्तर प्रदेश

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की 17 करोड़ जनता के साथ छलावा है। मान्यवर, हमारे सिंचाई मंत्री हैं, अभी कुछ कह दूँगा तो बड़ी शर्म आयेगी। एक नहर है हमारे यहां शारदा नहर। उसमें एक बूंद पानी नहीं गया है, अगर गया होगा तो मैं सदन की सदस्यता से रिजाइन कर दूँगा। मान्यवर, आप पुराने सदस्य हैं और मंत्री भी हैं। इस नहर से दो विधान सभा क्षेत्र में पानी जाता है लेकिन इस वर्ष एक बूँद पानी भी नहीं गया। आप खुदाई कर रहे हैं कि अपनी खुदाई करा रहे हैं। पानी एक वर्ष में एक बूँद नहीं आया है। इसलिए आप चुप ही रहिये।

श्री उपाध्यक्ष--

आपस में चर्चा न करें।

श्री राम इकबाल सिंह--

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करने के लिए और सरकार को उस अंधेरे में झांकने के लिये कह रहा हूँ जहां यह नहीं झांक रहे हैं। लाल बत्ती के नशे में चूर हैं। मान्यवर, जब यह सरकार बनी तो पूरे उत्तर प्रदेश में बड़ी खुशहाली का मौसम था। जगह-जगह नगाड़े बजे, बाजे बजे, मिठाइयाँ बँटी। मैंने उस समय भी कहा था जब आप लोग सत्ता में आये थे कि यह खुशी बहुत दिन नहीं चलेगी। यह खुशी आपके आने की खुशी नहीं है, इनके जाने की खुशी थी।

(सत्ता पक्ष से टोकने पर)

मैं आपके साथ था।

*सिंचाई मंत्री (श्री मुन्ना सिंह चौहान)--

जब यह हमसे मिलते थे तो यही कहते थे कि हमारे लोग बहिन जी को ढो रहे हैं, एक दिन पछतायेंगे।

*डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

यह अपने गिरेबां में झांक लें। यह तो पता नहीं किस-किस को बहिन बना लें।

*श्री मुन्ना सिंह चौहान--

राखी बांधने वाला रिश्ता तो इन्हीं का है।

श्री उपाध्यक्ष--

आपको कुछ और विशेष कहना है।

श्री राम इकबाल सिंह--

मान्यवर, आप इनको व्यवस्थित करेंगे। जब सरकार पक्ष के लोग ही सदन नहीं चलने देंगे। देखिये सत्ता-पक्ष के लोग विपक्ष की भूमिका मे आ जायं तो हम क्या करें ?

श्री पूर्णमासी देहाती--

यह भूमिका आप ही लिये रहिये। मैं कह रहा हूँ कि विपक्ष की भूमिका आप ही लिये रहिये।

श्री उपाध्यक्ष--

अरे माननीय इकबाल जी, आप बोलिये।

श्री राम इकबाल सिंह--

मान्यवर, जब यह सरकार आई थी पूरे प्रदेश में काफी उत्साह मचा था। उत्तर प्रदेश विकास परिषद् बनाया गया। उत्तर प्रदेश विकास परिषद् में अमृतसेन जैसे अर्थशास्त्री, अन्नाहजारी, मेधा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पाटेकर जैसे समाज सेवी नहीं श्रीमन्, गरीब किसान मजदूरों के पैसों पर इस देश के माने जाने उद्योगपतियों को और फिल्मी कलाकारों को रखा गया। पूरे प्रदेश में यह वातावरण दिया गया कि यह फिल्मी हस्तियां और उद्योगपति प्रदेश को विकास की तरफ ले जायेंगे। मान्यवर, जिस प्रदेश की 82 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती है उसका विकास तो कृषि में विकास और और गांवों के उत्थान से ही हो सकता है। वातावरण बना था कि दादरी में 10 हजार मेगावाट का प्रोजेक्ट लगेगा जिससे दो वर्ष के भीतर गांवों को 24 घंटे बिजली मिलेगी। मान्यवर, कैसा मजाक यह सरकार अपने राज्य में, अपनी जनता से कर रही है। इतना असत्य बोलते हैं तो निश्चित रूप से इसकी गरिमा गिर रही है। आज यही सरकार कह रही है कि इसमें अभी 7-8 वर्ष और लगेंगे।

एक सदस्य--

किसने कहा ?

श्री राम इकबाल सिंह--

आप जब बोलेंगे तब कहियेगा। मान्यवर, आज हालत यह है कि गांव में बिजली नहीं मिल रही है। शहरों को नहीं मिल रही है। आज तो लखनऊ जैसे महानगर में कटौती हुई यह गंभीर विषय नहीं है लेकिन किसानों को गांव में बिजली नहीं मिलती है तो यह गंभीर विषय है। 50 लाख छात्र प्रदेश में परीक्षा देने जा रहे हैं। उनको बिजली नहीं दी जा रही है। उनको शाम को भी बिजली नहीं दी जा रही है। क्या किया जा रहा है। सुनने को मिलता है स्वकेन्द्र 'सर्व शिक्षा अभियान'..

(मंत्री जी के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

मंत्री जी बात पूरी करने दें।

श्री राम इकबाल सिंह--

मंत्री जी आप बैठ जाएं आप दिल्ली जाने के लिए जोड़-तोड़ कर रहे हैं। नेता जी को छोड़कर चले जाएंगे।

(व्यवधान)

श्री मुन्ना सिंह चौहान--

एक नेता समाज में है जो किसानों के लिए काम करता है। गेहूँ का आयात हुआ। किसानों की चिन्ता हमें है। आपको कोई चिन्ता नहीं है। आप लोग तो डांड़ी मारने का काम करते हैं।

श्री सतीश महाना--

डांड़ी मारने वाले कौन लोग हैं यह बतायें ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान--

जो काला बाजारी कर रहे हैं जो मसाले की हल्दी में लीद मिला रहे हैं।

*श्री सलिल विशनोई--

यह असंसदीय है इसको कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

श्री सतीश महाना--

प्रदेश में डांड़ी मारने वाले कौन लोग हैं यह बता दें ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष--

विषय पर बात करें। मंत्री जी से बात न करें।

(नगर विकास मंत्री के आने पर)

श्री राम इकबाल सिंह--

संसदीय कार्य मंत्री जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। मंच से भी कह देता हूँ आपको नहीं पता है। सच्चाई न कहने से सच्चाई नहीं बदलेगी। अपनी गरिमा बनाये रखें। अलीगढ़ विश्वविद्यालय के जनरल सेक्रेटरी आप रहे हैं। इसलिए आपसे भावनात्मक लगाव है। आप उधर हैं यह अलग बात है। आप इधर आ जाएं। यह आपसे अलग बात करेंगे। आपकी कदर उधर नहीं होगी जो हम करेंगे।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

जैसी कदर शीमा रिजवी की कर रहे हैं। वैसी करेंगे।

(हँसी)

श्री राम इकबाल सिंह--

मान्यवर, मैं कह रहा था उत्तर प्रदेश बंटवारे के समय अव्वल नम्बर पर था। सर्व शिक्षा अभियान के लिए विश्व बैंक ने धन दिया। आज आजादी के बाद हम पर कैपिटा इनकम में बिहार से थोड़ा ऊपर है। हिन्दुस्तान में सारे राज्यों में नीचे से हमारा दूसरा स्थान है। जहां गुजरात में जो सरकारी पार्टी है, जहां साम्प्रदायिक समस्या चल रही है वहां ग्रोथ प्वाइन्ट 15.4 है जो जर्मनी और जापान के बराबर है। एग्रीकल्चर ग्रोथ 11.2 है जो उत्तर प्रदेश में 4.0 के आस-पास है। तो प्रदेश को जितना नीचे ले गये हैं उसकी कोई सीमा नहीं है। हमारा उत्थान क्या करेंगे। सिंचाई मंत्री कह रहे थे। मैं उनको बताना चाहूँगा हम प्राइमरी से पढ़े हैं और उस समय पढ़े हैं जब पट्टी पर लिखते थे। जब लकड़ी की पटरी पर लिखते थे, जब पटरी पर लिखते थे तो गांव में पैदा हो गये भगत सिंह, मंगल पाण्डे पैदा हुए बलिया में, चीतू पाण्डे पैदा हुए, जय प्रकाश नारायण जी पैदा हुए और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चन्द्रशेखर जी पैदा हो गए और आज चौधरी चरण सिंह जी भी हो गए और मुलायम सिंह जी भी हो गए और आप सब लोग भी हो गए। आज जो आप कह रहे हैं, ईमानदारी से चिन्तन करने का विषय है आज गांव की शिक्षा, जो शिक्षा गांव में थी, केवल शिक्षा नहीं थी, शिक्षा के साथ मूल्य भी था। आज शिक्षा बाजार में आ गयी है, साक्षरता गांव के तरफ गई है। सन् 1986-87 तक श्रीमन्, कह सकता हूँ, 12 साल का आंकड़ा, एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय जिसमें छात्र जीवन गुजारने का अवसर मिला है, लगभग 90 परसेन्ट गांव का लड़का, पटरी वाला छात्र पढ़ता था लेकिन जबसे इस सरकार ने स्वकेन्द्र व्यवस्था शुरू की है, पूरे उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है, श्रीमन्, हमने हाइवे बना दिया, कालीदास मार्ग की तरफ से ताकि गरीब तबके का लड़का उस पर साइकिल का पंचर छांटने की भी पोजीशन में न रहे, गांव में नशा घर-घर में पहुंचा दिया गया। अभी जो पंचायतों का चुनाव हुआ है, पूरे प्रदेश में जो लीला हुई है, गांव में शिक्षा और मूल्य दोनों गिरे हैं और जब गांव मिट जायेगा, श्रीमन्, तो लोकतंत्र नहीं बचेगा। पहले लोग पढ़े-लिखे कम थे, आज साक्षरता बढ़ी है, शिक्षा बढ़ी है, डिग्री सर्टीफिकेट बढ़े हैं। लेकिन हम ईमानदारी के साथ कह रहे हैं कि 11 फरवरी को जो अपने क्षेत्र का सबसे अच्छा इण्टर कालेज है, उनमें मेरा कार्यक्रम था, उसको एक कमरा दिया था कम्प्यूटर के लिए

उसका शिलान्यास करने गया था और एक जगह हमारे प्रबंधक थे, उनकी पुण्यतिथि थी, एक ही दिन दोनों जगह कार्यक्रम था। श्रीमन्, ईमानदारी से कह रहा हूँ, हम भाषण के लिए भाषण नहीं देते, श्रीमन्, एक जगह 1800 की स्ट्रेन्थ है, लड़के-लड़कियों की और एक जगह 2400 की है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यह हम लोगों के सोचने का विषय है, मैंने बोलते-बोलते पूछा वहां पर, हमने कहा मेरे भाइयों एवं बहनों, अपने एम0एल0ए0 से एक मिनट सच बोलो आज, आपमें से कितने लोग दुख में 23 दिन की विगत अक्टूबर को पद यात्रा किया था, किसी दरवाजे पर शाम को लालटेन जलते हुए नहीं देखा और बिजली जाती नहीं कि मैं मान लूँ कि शाम को पढ़ते हैं, हमने कहा कि आप में से कितने लोग सुभाष चन्द्र बोस को जानते हो, ईमानदारी से मेरे प्रश्न का जवाब देना, इण्टरमीडिएट कालेज है, बीसियों साल से साइंस वहां है, एक जगह 24 लड़कों ने हाथ उठाया कि सुभाष चन्द्र बोस को जानते हैं फिर मैंने दूसरा प्रश्न किया कि आपमें से कितने लोग शाहरूख खान को जानते हैं, सबने हाथ उठाया। माननीय संदीय कार्य मंत्री जी, सच कह रहा हूँ, उस समय प्रबंधतंत्र के लोग, अध्यापक और प्रिंसिपल जो माला, गुलाब का फूल छिड़कते हुए मंच तक ले आये थे, हम उनसे कुछ मांगने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, हमने कहा आपका यही परफारमेंस है ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

इतने दिनों से शाहरूख खान को आप जानते हैं, आज के बच्चे जानते हैं या कोई भी फिल्म अदाकार हो, इनकी शोहरत का जीवन बहुत कम होता है लेकिन जिनकी आप बात कर रहे हैं, उन्हें तो हजारों साल याद किया जाएगा।

श्री मुन्ना सिंह चौहान--

माननीय सदस्य जी ने कहा कि गांव के विद्यालय में गए और सुभाष चन्द्र बोस के बारे में पूछा वहां सुभाष चन्द्र बोस को कम लोग जानते हैं, हम लखनऊ राजधानी की बता रहे हैं, जहां हम चर्चा कर रहे हैं, अभी भी इस सरकार के रहते गांव में जो प्रतिभा निकल रही है और इस सरकार ने निकालने का जो प्रयास किया है, एक दिन यहीं बैठे थे, आपके बहुत से सदस्य थे और उन्होंने कहा कि उनके लड़के जाते हैं, जगदीश गांधी जी के स्कूल में, कहा कि बेटा गांधी जी को जानते हो कहा, हां, हमारे मैंनेजर हैं। तो गांव का तो लड़का आज भी प्रतिभाशाली है।

श्री उपाध्यक्ष--

सही बात है।

*श्री आलमबदी--

मान्यवर, सुभाष चन्द्र बोस हिन्दुस्तान की जंगे आजादी के बड़े नायाब सिपाही थे, राम इकबाल सिंह जी से मैं पूछूंगा कि सुभाष चन्द्र बोस का वह आन अनमोल बता दो, वह वचन बता दो जो उन्होंने अपनी आजाद हिन्द फौज के एक-एक सिपाही को याद दिलाया था, क्या आप बता पायेंगे ? मेरे भाई, उनका वह कौल था कि अगर तुम अपने पड़ोसी के धर्म को नहीं जानते हो तो तुम जिन्दगी भर कमुनल बने रहोगे, यह सुभाष चन्द्र बोस का आला बयान था। मेरे भाई, राम इकबाल सिंह मैं निवेदन करूंगा, आपके माध्यम से कि अपनी जिन्दगी में उस कौल को उतार लो यह आने वाली दुनिया तुमको याद करेगी, आने वाली नस्लें भी तुमको याद करेंगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राम इकबाल सिंह--

आलम बदी साहब हमारे बहुत पुराने समय से परिचित हैं। मैं उन्हें पुराने समय से जानता हूँ। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ।

*श्री रामस्वरूप सिंह (कानपुर देहात)--

मान्यवर, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि देश के आन्दोलनों में जो जेल गये हैं, यातनाएं सही हैं क्या आपके दल का कोई उसमें है ऐसा। आपके दल में कोई नहीं है। आपकी पार्टी में पूरे हिन्दुस्तान में कोई नही है जिन्होंने बलिदान दिया हो।

श्री राम इकबाल सिंह--

आपको तो इतिहास पता होना चाहिए। हमें अपना इतिहास पता है। आप वरिष्ठ सदस्य हैं आपको तो इतिहास पता होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष--

कृपया शांत रहें।

श्री राम इकबाल सिंह--

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी आज की युवा पीढ़ी पश्चिमीकरण की चमक-दमक और संस्कृति से अवगत होती जा रही है उसे रोकना चाहिए। मान्यवर, आज सरकार जो मध्याह्न भोजन योजना चला रही है उसमें 5 में से एक अध्यापक आता है और वह भी खाना बनवाने में लगा रहता है। मान्यवर, अगर प्रदेश के गरीब बच्चों को शिक्षा नहीं मिलेगी तो प्रदेश कैसे चलेगा ? अगर एक गरीब का बच्चा पढ़-लिख जाता है तो एक गांव-घर की तस्वीर बदल जायेगी। लेकिन हम इस पर गंभीरता से विचार नहीं करते हैं। आपने सड़कों के विकास के लिए धन दिया लेकिन वह सीमित दायरे में हो रहा है। उसके लिए कुछ जिले चिन्हित हैं, पूरे प्रदेश का सर्वांगीण विकास नहीं हो रहा है। पूर्वांचल विकास निधि का वर्ष 2003-04 का पैसा तो गया लेकिन उसके बाद से आज तक विपक्ष के विधायकों के पास उसकी दूसरी किस्त का पैसा नहीं गया है जिससे वह विकास करा सकें। जबकि सत्तापक्ष के विधायकों के पास लगातार पैसा दिया जा रहा है। इस तरह से भेदभाव किया जा रहा है। अगर सरकार इस ढंग से दो आंखें रखकर चलेगी तो यह अच्छा नहीं है। सरकार ने भेदभाव किया है। क्षेत्र के आधार पर रूलिंग पार्टी और विपक्ष के विधायकों के साथ भेदभाव किया है।

*श्री वसीम अहमद--

जब आपकी सरकार थी और अन्य जो भी सरकारें 7 साल तक थी तो हम लोगों को एक भी पैसा नहीं मिला। यह थी आपकी सरकार।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, इनकी सरकार में विपक्ष को अपनी बात रखने का अधिकार नहीं मिला।

श्री राम इकबाल सिंह--

आप जब इधर थे तो इतना बढ़िया बोलते थे उधर जाकर फंस गये हैं। आप इधर आ जाइए।

श्री मोहम्मद आजम खां--

और उसके बाद क्या होता था। मैं बोलता तो आपकी नेता बस्ते के साथ वापस चली जाती थी। आप इधर आइएगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सतीश महाना--

चुनाव के बाद आएंगे।

श्री उपाध्यक्ष--

श्री राम इकबाल जी आप एक मिनट में समाप्त करें।

श्री राम इकबाल सिंह--

मान्यवर, नौजवान जो सायनाइट के कैप्सूल खाकर मर रहे हैं उन्हें बेरोजगारी भत्ता 500 रुपये की घोषणा की गयी है। लेकिन बजट में व्यवस्था नहीं है। यह केवल घोषणा है और यह वैसी ही घोषणा है जैसे कि उत्तर प्रदेश में विकास परिषद् बनाकर उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की थी। आप यह कहते हैं कि एक अप्रैल से मिलेगा लेकिन बजट में प्राविधान नहीं है। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि उन नौजवानों को आप भीख मत दीजिये, आप उन लोगों को पांच सौ रुपये भीख दे रहे हैं ; इसके बदले में आप उन्हें काम दीजिये। वह 15 रुपये रोज में क्या काम कर सकता है ? उन नौजवानों की भुजाओं में दम है। आप उन्हें काम दें।

श्री वसीम अहमद--

आपने कौन सा काम दिया ? हमने तो तीन लाख लोगों को काम दिया है।

श्री राम इकबाल सिंह--

आपने उद्योगों में निवेश की बात की। हमारे क्षेत्र में जो एक हजार कर्मचारी रसड़ा चीनी मिल में है, वह बेरोजगार हो गये हैं और वहां पर ताला लटका हुआ है।

श्री मोहम्मद आजम खां--

यह कब से बन्द है ?

श्री जियाउद्दीन रिजवी--

मान्यवर, रसड़ा चीनी मिल तो चल रही है। इनको जानकारी नहीं है।

श्री राम इकबाल सिंह--

मानयवर, माफ कीजियेगा वह रसड़ा कताई मिल है। मैं रिजवी साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मेरी जानकारी को ठीक किया। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि उसे खुलवा दीजिये। उससे एक हजार लोगों की जीविका चलती थी। स्वास्थ्य विभाग की बात मैं कर दूँ। इस सरकार में बलिया के चार मंत्री हैं। वहां पर सात-आठ महीने से कोई लेडी डाक्टर नहीं है। यही नहीं पूरे प्रदेश में लेडी डाक्टर का अभाव है। अब सरकार यह न कहे कि हम क्या करें। वहां पर अस्पतालों में ताला लटका हुआ है। लोग बिहार जा रहे हैं, पटना जा रहे हैं। जिस महिला को प्रेगनेन्सी है, या महिला संबंधी कोई बीमारी है, किसी का सिजीरियन आपरेशन होना है, वह सब बाहर जाकर इलाज करा रही हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप समाप्त करें।

श्री राम इकबाल सिंह--

मान्यवर, इतने गंभीर विषय पर भी आप टाइम नहीं देंगे।

श्री उपाध्यक्ष--

15 मनट का समय आपको दे दिया है।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, माननीय राम इकबाल सिंह जी इस बात का सरकार को और सदन के कुवांरों को आश्वासन दें कि वह लेडी डाक्टर का ख्याल रखेंगे तो सरकार इस पर विचार करेगी।

श्री मुन्ना सिंह चौहान--

मान्यवर, वहां पर हाथी पालने की आदत है, यह लेडी डाक्टर की क्या बात कर रहे हैं ?

श्री राम इकबाल सिंह--

मान्यवर, सी0पी0एम0टी0 की परीक्षा में लड़कियों का आरक्षण समाप्त कर दिया इसलिए लेडी डाक्टर का अभाव हो गया है। आज पच्चीस प्रतिशत बेटियों की हत्या कर दे रहे हैं। अभी दो दिन पहले जुलूस निकालकर दस हजार स्कूल की बच्चियों ने यह बैनर लगाकर प्रदर्शन किया था कि 'मां हमें जीने दो', 'मां हमें धरती पर आने दो'..... हम मांग करते हैं शिक्षा व्यवस्था में और नौकरी की व्यवस्था में परिवर्तन हो, लड़कियों की टीचिंग और क्लेरिकल जाव में सौ प्रतिशत आरक्षण दिया जाय ताकि दहेज हत्या रुके और भ्रूण हत्या रुके। श्रीमन्, मैं सरकार से मांग करता हूँ हमारे सिंचाई मंत्री जी हैं, शारदा नहर का पानी मेरे विधान सभा के आधा एरिया को जाता है, श्रीमन्, एक दिन भी पानी नहीं गया एक तो सूखा पड़ा और पानी एक दिन भी नहीं गया, सबसे बड़ा सूखा पड़ा, 50 साल का सबसे बड़ा सूखा पड़ा है इधर श्रीमन् न गेहूँ हुआ है न धान हुआ है और माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि नहर खोदवायेंगे, अब देखिये यह कितने दिनों में नहर खोदवायेंगे, मैं मांग करता हूँ कि शारदा नहर का पानी बलिया जनपद तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री मुन्ना सिंह चौहान--

मान्यवर, मैंने तो यह कहा कि राम इकबाल सिंह जी की नहर मैं खोदवा दूँगा जिससे टेल तक पानी पहुंच जाये।

श्री उपाध्यक्ष--

राम इकबाल सिंह जी अब आप समाप्त करें।

श्री राम इकबाल सिंह--

श्रीमन्, एक-आध मांग कर लें, पी0डब्ल्यू0डी0 मंत्री भी हैं, श्रीमन्, मेरे क्षेत्र की कुछ टूटी-फूटी सड़कें हैं, वह काफी दिनों से टूटी हुई हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां--

कब से टूटी हैं ?

श्री राम इकबाल सिंह--

कब से भी टूटी हों, आपको कृपा करनी चाहिए, मैं और कुछ नहीं कहूँगा सिर्फ आप उन्हें बनवा दें। गड़वामूर्ति से इकईस तक की करीब 11 किमी0 सड़क टूट कर समाप्त हो गयी है, दूसरे सौंरा से लेकर चिन्तामणिपुर और चिल्कहर से लेकर के उरेजी की सड़क टूट कर समाप्त हो गयी है, श्रीमन् यह बननी चाहिए और बलिया जनपद में भी एक मेडिकल कालेज देना चाहिए स्वास्थ्य की दृष्टि से भी, पटना और बनारस के बीच में कोई स्वास्थ्य सेवा नहीं है, मेरे जिले में सीटी स्कैन की मशीन तक नहीं है श्रीमन् आगे क्या कहूँ, जिस जिले ने आपका 42 में झंडा फहरा दिया वहां सीटी स्कैन मशीन आज की तारीख में नहीं है, यह अफसोस की बात है, आजमगढ़ जाते हैं हम लोग आलमबदी साहब।

श्री मुन्ना सिंह चौहान--

जिस जिले ने झंडा फहराया उस जिले का एहसान मानो कि उसने आपको लाल किले में झण्डा फहराने के लायक बना दिया।

*लोक निर्माण राज्य मंत्री (श्री अरविन्द सिंह गोप)--

मान्यवर, आपने वर्ष 2006-07 के बजट भाषण पर मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ, राम इकबाल सिंह जी अभी बोल रहे थे, मेरी समझ से मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पेश किया है।

श्री मोहम्मद आजम खां--

पहले यह तय हो जाय कि माननीय राम इकबाल सिंह का बजट भाषण समाप्त हो गया है या नहीं।

श्री अरविन्द सिंह गोप--

समाप्त हो गया है। मान्यवर, मेरी समझ से आजादी के बाद यह पहला बजट है चाहे किसान हो, चाहे गरीब हो, चाहे नौजवान हो, उसने इस बजट की तारीफ की है। राम इकबाल सिंह को मैं छात्र नेता समझता था और सोचता था कि छात्र नेता जो बोलता है, सही बोलता है, लेकिन मुझे सुन कर आश्चर्य हुआ कि इनके पास जो आंकड़े थे उन आंकड़ों की कहीं सत्यता नजर नहीं आ रही है, मुझे अफसोस भी हुआ काफी गंभीर सदस्य हैं उन्होंने कहा कि सड़कें टूटी हैं। उस जमाने में तो सड़कें न बनवा पाये लेकिन अभी यह हमारे विभाग की चर्चा कर रहे थे, मैं ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि इस सरकार ने चाहे सड़कों का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे पानी, चाहे बिजली का मामला हो, किसी मामले में अगर आप बता दें सरकार ने कहीं कमी की हो तो आपकी हर बात मानने को हम तैयार हैं। मैं पहली बार आपसे कहना चाहता हूँ, आप अभी विकास परिषद् की बात कर रहे थे राम इकबाल जी, आपको अच्छे काम की तारीफ करनी चाहिए, छात्र नेता तो अगर विरोधी भी कोई अच्छा काम करता है तो उसकी तारीफ करता है। आपने विकास परिषद् के जो सदस्य हैं उन पर आरोप लगा रहे थे, उसमें जो भी सदस्य हैं, चाहे उद्योग जगत के हों, चाहे फिल्म जगत के हों, चाहे जिस दुनिया के वह सदस्य हों वह जो भी सदस्य हैं उनका अपनी दुनिया में एक अलग स्थान है और पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व उनका सम्मान करता है। आलोचना करना अच्छी बात नहीं है अच्छे कामों की, मुझे आपसे बड़ी उम्मीद थी, लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ उस विकास परिषद् की आप आलोचना कर रहे हैं जिस विकास परिषद् ने माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अन्दर इतने शानदार विकास के काम किये हैं। अभी आप चीनी मिल की बात कर रहे थे, चाहे गोण्डा हो, चाहे फैजाबाद हो, चाहे बाराबंकी हो, कितनी शुगर फैक्ट्रियां नई लगी हैं। मान्यवर, आप सड़क की जो बात कर रहे हो, इतना बजट कभी पी0डब्लूडी0 विभाग के पास नहीं रहा है। हमारे मंत्री माननीय शिवपाल सिंह यादव जी के नेतृत्व में जो सड़क का काम इस सरकार में हुआ है, इतना बड़ा काम कभी नहीं हुआ।

(सत्तापक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

मान्यवर, यह सही बात है कि ढाई साल के अन्दर इस सरकार ने जो काम किया है वह किसी ने नहीं किया। आप स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। पहले 8 रुपये में अस्पतालों में पर्चा बनता था हमारी सरकार ने माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार ने इस शुल्क को घटाकर एक रुपया कर दिया है। पूरे प्रदेश में आज अस्पतालों में गरीब मरीजों की लाइन लगी हुई है। आप यहां के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लोहिया अस्पताल में चले जाइये आपको कितने गरीब इलाज कराते हुए मिल जायेंगे। उनको मुफ्त में दवायें मिल रही हैं। यह जो बजट है यह सराहनीय है। किसी के ऊपर आरोप लगाकर बात करना यह सही बात नहीं है। बलिया से यहां 4-4 मंत्री हैं। हमारे विभाग ने बलिया में जितना काम किया है उतना कभी नहीं हुआ है।

श्री राम इकबाल सिंह--

मान्यवर, यह उचित नहीं है मैं बोल रहा था और मंत्री जी खड़े हो गये।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठें।

श्री अरविन्द सिंह गोप--

मान्यवर, मुलायम सिंह यादव जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है वह गरीब, किसान और नौजवानों का बजट है, जिसकी तारीफ इस प्रदेश में ही नहीं अपितु पूरे देश में हो रही है। आप तो राम इकबाल जी छात्र नेता रहे हैं आपको तो इसकी तारीफ करनी चाहिए। आप प्रदेश विकास परिषद् पर आरोप लगा रहे थे, आप उसका लेखा-जोखा देख लीजिए। कितना काम वह परिषद् कर रही थी। जो उसमें उद्योगपति और फिल्म जगत के लोग सदस्य हैं उनको बुलाने के लिए आपकी सरकार तरसती थी। लेकिन मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में वह लोग यहां बैठकें करके काम कर रहे हैं और नये-नये कारखाने लगाने का काम कर रहे हैं। आपके जमाने में एक यूनिट भी बिजली का उत्पादन नहीं बढ़ा। जबकि जो दादरी में प्लान्ट लग रहा है उसमें प्रदेश के लोगों को 24 घंटे बिजली मिलने लगेगी। मैं मान्यवर, बजट का समर्थन करता हूँ कि आजादी के बाद पहली बार इतना शानदार बजट यहां पेश हुआ है।

श्री राम इकबाल सिंह--

मान्यवर, मेरा भाषण पूरा नहीं हुआ था।

*खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया)--

मान्यवर, अभी गोप जी बजट के पक्ष में बोल रहे थे उन्होने स्पष्ट कहा कि यह बजट गरीब, किसान और नौजवानों का बजट है। लेकिन राम इकबाल सिंह जी को यह पसंद नहीं आया क्योंकि वे न तो गरीब हैं और न किसान हैं और न नौजवान हैं। मान्यवर, जो स्थिति है सदन में उसको आप देख लीजिए और हम लोगों के ऊपर तरस खाइये और संक्षेप में भाषण कराकर इसे समाप्त कराइये।

श्री सतीश महाना--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ, मान्यवर, बजट के ऊपर चर्चा में सरकार कितनी गंभीर है इसके ऊपर दो-तीन बार आपका ध्यान आकर्षित कर चुका हूँ। यह बजट यहां पर प्रस्तुत होने से पहले, यह चौथा बजट सरकार ने प्रस्तुत किया है, यदि 3 प्रतियां पिछले सालों की ले लें। मान्यवर, इस समय माननीय सदस्य सुनने की इच्छा नहीं रखते मेरा निवेदन है कि मेरा बजट भाषण विधान सभा सत्र के अगले कार्यदिवस में चालू रखा जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

ठीक है।

श्री राम इकबाल सिंह--

मान्यवर, इनका तो यह व्यवस्था का सवाल था, मैं अपनी बात पूरी कर लूँ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष--

आप इतनी बात एक मिनट में समाप्त करें।

श्री राम इकबाल सिंह--

मान्यवर, मैं तो यह कहना चाह रहा था सरकार से, हमारे खाद्य और रसद मंत्री जी भी हैं हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी भी हैं नगर विकास देखते हैं, पूरे बलिया में दोआबा को लें तो टोंस के किनारे का जल आर्सेनिक से युक्त हो गया है और आर्सेनिक से लोग पीड़ित हैं वहां का नागरिक त्राहि-त्राहि कर रहा है। सरकार की तरफ से जो प्रयास होना चाहिए वह नहीं हुआ है। वहां 8-10 गांव चिन्हित किये गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप समाप्त करें।

श्री राम इकबाल सिंह--

मान्यवर, एक तो वहां पानी की क्राइसेस अभी से हो गयी है। पिछले साल मई-जून में क्राइसेस हो गयी थी इस साल सारे हैण्डपम्प अभी से सौ फीसदी पानी छोड़ दिये हैं। मेरी मांग है कि पानी के लिए अतिरिक्त गहराई की बोरिंग कराई जाये ताकि आर्सेनिक और पानी की समस्या से बचा जा सके।

श्री उपाध्यक्ष--

आपके जो बिन्दु हैं वह दो -तीन बिन्दु बता दें।

श्री राम इकबाल सिंह--

मान्यवर मैं सरकार से मांग करता हूँ कि वहां और गहराई की बोरिंग कराई जाय। दूसरी बात मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि बलिया जिले में 4-5 घंटे बिजली जाती है और ट्रांसफारमर जल जाता है तो दो माह बाद अधिकारी बदलते हैं तो जितना किसान का ट्यूबवेल चला नहीं उतने दिन का बिजली का बिल नहीं लिया जाना चाहिए। मान्यवर, यह सरकार को आश्वासन देना चाहिए। सरकार ने 14 घंटे बिजली देने की घोषणा की है तो 24 घंटे की बिजली का बिल क्यों लेती है ? मैं मांग करता हूँ कि किसान से ट्यूबवेल की बिजली का बिल न लिया जाय। मैं सरकार से मांग करता हूँ जो किसान इस देश को रोटी सप्लाई करता है, चावल देता है, भोजन देता है उनसे विद्युत् का बिल न लिया जाय, उनसे सिंचाई का पैसा न लिया जाय। श्रीमन्, हम आभारी हैं और आपकी भावनाओं से अवगत हैं। कार्यवाही को आगे बढ़ाना है इसलिए अपनी बात को समाप्त करता हूँ और बजट का विरोध करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब हम उठते हैं। चर्चा जारी रहेगी। 8 मार्च, 2006 को फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन सायंकाल 4 बजकर 03 मिनट पर बुधवार दिनांक 8 मार्च, 2006 को दिन के 11बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ:
दिनांक 01 मार्च, 2006

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी "क"

(देखिए अता0प्रश्न सं0 24 का उत्तर पीछे पृ0 16 पर।)

वर्ष 2004-05 में प्रबंधकीय प्राथमिक विद्यालयों में प्रेषित सामान्य जाति छात्रवृत्ति वितरण

क्रम सं0	विद्यालय का नाम	प्रेषित धनराशि	वितरित धनराशि
1	डीसेन्ट न्यू इंग्लिस स्कूल जलालनगर, शाहजहांपुर	3300	3300
2	डीसेन्ट न्यू इंग्लिस स्कूल,आदर्शनगर रौजा	7200	7200
3	गिरवर सिंह मैमो0 प्रा0वि0, कलान	5100	5100
4	स्वामी विवेकानन्द प्रा0वि0, गुरगंवा	11100	11100
5	जादो बहादुर सिंह मैमो0प्रा0वि0, सिकन्दरपुर	14700	14700
6	जनहित मान्टेसरी प्रा0वि0, तिलहर	2100	2100
7	मानस मान्टेसरी प्रा0वि0, रूकनपुर	28200	28200
8	मानस मान्टेसरी प्रा0वि0, कलान	18600	18600
9	आदर्श बा0वि0 मं0, पुवाया	4200	4200
10	गुरूनानक देव प्रा0वि0, नत्थापुर	1200	1200
11	लक्ष्मी बा0वि0मं0, पिपरोली	3300	2100
12	महर्षि योगानन्द प्रा0वि0, मुडगवा	3600	2400
13	प्राथमिक वि0 दिवैयापुर	3900	2700
14	ब्राइट लैण्ड प0 स्कूल दिलाजाक	4200	3000
15	महादेव प्रसाद बाल विद्या खुदागंज	4500	3300
16	रामचन्द्र राठौर स0शि0मं0, शाहजहांपुर	4800	3600
17	उत्तर रेलवे क0बा0वि0मं0, रौजा	3900	3900
18	रेलवे सेन्टलमेण्ट प्रा0वि0, रौजा	9000	9000
19	संजय किसान प्रा0वि0 चेना रूरिया	5700	4500
20	हैपी चिल्ड्रेन एका0 बाडूजई, तिलहर	3300	3300
21	शिशु कल्याण मा0 स्कूल, तिलहर	9000	9000
22	मां गायत्री बा0वि0मं0, तिलहर	2400	2400
23	दुर्गा बा0वि0मं0, तिलहर	4500	4500
24	नेशनल प0 स्कूल ख्वाजा, फिरोजपुर	7200	6000
25	स्वामी विवेकानन्द प्रा0वि0, अजीजगंज	3300	3300
26	गुरूनानक देव प्रा0पा0, केसरपुर माफी	10200	10200
27	जगन्नाथ सिंह प्रा0वि0,हारगुरैया	9000	9000
28	गुरूनानक देव शिक्षण सं0 बिबियापुर	10200	10200
29	शिशु एवं नारी कल्याण केन्द्र प्रा0वि0 शाह0	5400	5400
30	किसान प्राथमिक वि0 सीतापुर, शाहजहांपुर	7200	7200
31	सिद्धार्थ पब्लिक स्कू0, राट	7500	7500

क्रम सं0	विद्यालय का नाम	प्रेषित धनराशि	वितरित धनराशि
32	बृज मान्टेसरी स्कू0, खुटार	3900	3900
33	गजेन्द्र रत्न बहादुर नवो0शि0सं0	5400	5400
34	गुरूनानक बाल वि0 सिंघापुर, कुरसण्डा	10600	10600
35	झम्मन सिंह आदर्श प्रा0वि0, जलालाबाद	1800	1800
36	नूतन आदर्श विद्यापीठ, जलालाबाद	3900	3900
37	मां वैष्णों देवी प्रा0वि0, जलालाबाद	5100	5100
38	डा0 शान्ती देव शि0नि0, शाजहांपुर	3900	3900
39	स्वामी नन्द किशोर आचार्य बा0वि0, कटरा	2100	2100
40	सरस्वती पब्लिक स्कूल, बहादुरगंज	3600	3600
41	हजरत मोहनी पब्लिक स्कूल, शाहजहांपुर	2100	2100
42	गुडविल चिल्ड्रेन एकादमी, तिलहर	6000	6000
43	न्यू सिटी चिल्ड्रेन एकादमी, तिलहर	6000	6000
44	शान्ती देव बा0वि0मं0 चमकनी, करबला	5400	5400
45	सर्वजन हिताय प्रा0 स्कूल, अल्हागंज	4500	4500
46	दुर्गा बाल वि0मं0 मऊ, रसूलपुर	4500	4500
47	जनता आदर्श वि0, कटियाखेड़ा	6300	6300
48	श्रुति कीर्ति मिश्रा शि0नि0, अल्हागंज	12000	12000
49	सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल, शि0सं0, बाड़ूजई	9000	9000
50	शिवानी पब्लिक स्कूल, ककरहा	9000	9000
51	स्नेह प्रा0वि0 शाह0	12000	12000
52	मोहनदास आदर्श प्रा0वि0 हुसैनपुरा	6900	6900
53	आ0एस0 शुक्ला स्मा0 वि0, जेवां	9000	9000
54	दुर्गा बाल वि0सं0, चरखौला	7500	7500
55	चन्द्र प0 स्कूल, मंझला	14100	14100
56	राम बहादुर त्रिपाठी प0 स्कूल, सिंधोली	14100	14100
57	गांगुली वि0मं0, मंझला	15000	15000
58	ठा0 जागन सिंह प्रा0वि0, सिधौली	18000	18000
59	ठा0 राजपाल सिंह बा0वि0मं0, बडेपुर	7500	7500
60	स्वामी बालानन्द शि0मं0, खेड़ा नेवादा	9300	9300
61	इडर्न पब्लिक स्कूल, कारोकुइंया	8700	8700
62	राम बाल विकास वि0 खुदागंज	8700	8700
63	मुन्नी देवी प्रा0वि0 पुवायां	10800	10800
64	रमाकान्त दीक्षित स्मारक प्रा0वि0 गिरधर	6000	6000

क्रम सं0	विद्यालय का नाम	प्रेषित धनराशि	वितरित धनराशि
65	सुभाष चन्द्र बोस सरस्वती शि0मं0, पुरैना	3000	3000
66	गायत्री शिशु वि0मं0, सिंधौली	12000	12000
67	इन्द्र देव जन कल्याण वि0मं0, सिंधौली	6600	6600
68	श्री बृजराज सिंह उत्तम शि0नि0, चन्दपई	16200	16200
69	आकांक्षा बाल वि0मं0, शाहजहांपुर	6000	6000
70	डा0 सुदामा प्रसाद बा0वि0मं0, शाहजहांपुर	19200	19200
71	आलि ज्ञानदीप बा0वि0मं0, रौजा	10500	10500
72	विवेकानन्द प्रा0वि0, लोधीपुर	4200	4200
73	प्रेम चन्द्र शि0नि0, पुवायां	9600	9600
74	गोविन्दराम प्रजापति रा0क0वि0, निमोही	5400	5400
75	धर्मजीत सिंह प्रा0वि0, कुतुलुपुर	12600	12600
76	आदर्श प्रा0वि0, निगोही	6600	6600
77	ज्ञान अमृत पं0 स्कूल, कचहरी	8100	8100
78	विक्रम सिंह शि0स0वि0, मगटोरा	7200	7200
79	मीरा देवी मेमो0 शि0 सदन, बरूआरी	4500	4500
80	श्री राम प्रसाद कन्या प्रा0वि0, हरसीपुर	27600	27600
81	गंगा प्रसाद बाल वि0मं0, विजयपुर रेती	12000	12000
82	चौधरी निरंकार नाथ बा0वि0मं0, चौक	6000	6000
83	रामचरण सिंह मैमो0 वि0 दसिया, बाराकलां	7500	7500
84	दुर्गा सिंह सरस्वती बा0वि0मं0, नारायन नगला	10500	10500
85	धनवन्तरी कन्या प्रा0वि0, अजीजगंज	8700	8700
86	जवाहर मैमो0 प्रा0 स्कूल, जलालाबाद	7200	7200
87	आर0डी0 मैमो0 प्रा0 स्कूल, खुदागंज	7200	7200
88	मां दुर्गा बा0वि0मं0 कजरी, नूरपुर	3900	3900
89	आदर्श बा0वि0, तिलहर	7200	7200
90	आकांक्षा शि0सं0, तिलहर	6600	6600
91	जनता आदर्श वि0, कलान	12600	12600
92	केदार सिंह प्रा0वि0, गगुरिया	4800	4800
93	सीताराम प्रा0वि0, मलेवा	4500	4500
94	मोहन आदर्श, कलान	8400	8400
95	विशुन दयाल मैमो0 आदर्श वि0, कलान	9600	9600
96	सीताराम प्रा0वि0, दोषपुर नागर	12600	12600
97	सन्त रघु0 ब्रह्म वारी प्रा0वि0, शिशुपालनगर	6000	6000

क्रम सं0	विद्यालय का नाम	प्रेषित धनराशि	वितरित धनराशि
98	सूरजबली प्रा0वि0, चितरऊ	10200	10200
99	बी0आर0 प्रा0वि0, बटा सुखनैया	12000	12000
100	गजराज शर्मा बालि0वि0मं0, कुनिया शाह0	3600	3600
101	गुलाब सिंह बालि0वि0मं0, कुनिया शाह0	15600	15600
102	सुशीला देवी प्रा0वि0, अल्हागंज	21000	21000
103	स्व0 बनवारी लाल भार0वि0, अल्हागंज	9000	9000
104	पं0 राम नाथ मिश्रा बा0वि0, अल्हागंज	4500	4500
105	जनता आदर्श प्रा0वि0, चौरा बगर खेत	9900	9900
106	कालका प्रसाद प्रा0वि0, मिर्जापुर	10200	10200
107	प्यारे लाल प्रा0वि0, मोजमपुर	3600	3600
108	श्री देवीदास बा0वि0मं0, केरूगंज	6600	6600
109	आर्य महिला प्राथमिक वि0, शाहजहांपुर	5100	5100
110	के0एल0 प्रा0वि0, जरौली	12300	12300
111	श्री राम लाल बाबूराम प्रा0वि0, पहाड़पुर	9600	9600
112	समाज कल्याण प्रा0वि0, सिंघाह यूसुफपुर	15300	15300
113	श्री राम चन्द्र सिंह शिक्षा निकेतन, हरसीपुर	28500	28500
114	महात्मा गांधी प्रा0वि0,हरिहरपुर वीरा	12900	12900
115	संजय गांधी मेमोरि0 प्रा0वि0, कपसेडा	14400	14400
116	पब्लिक कन्या प्रा0वि0, मिर्जापुर	28500	28500
117	आर्य समाज प्रा0वि0, ग्यूड़ी सथरा	27000	27000
118	सुमनलता प्रा0वि0, मझरिया	27000	27000
119	गंगाराम प्रा0वि0, सेठा मदनपुर	27000	27000
120	रामपाल सिंह प्रा0वि0, सेठा मदनपुर	27600	27600
121	श्री मलिखान सिंह प्रा0वि0, कुतुलुपुर	28500	28500
122	जयपाल सिंह प्रा0वि0, बख्तावरगंज	3000	3000
123	सेठ जगदीश प्रसाद प्रा0वि0, कुतुलुपुर	12600	12600
124	सरस्वती शिशु ज्ञान मंदिर, मिर्जापुर	27000	27000
125	मां रामप्यारी प्रा0वि0, मिर्जापुर	12300	12300
126	सरस्वती ज्ञान मंदिर, मनसा नगला	27900	27900
127	नौरंग सिंह प्रा0वि0, पहरूआ खुर्द	27600	27600
128	सरस्वती शिशु मंदिर, ढाई	25500	25500
129	किसान प्रा0वि0, जरौली	12900	12900
130	बृजपाल सिंह प्रा0वि0, हरिहरपुर	27000	27000

क्रम सं0	विद्यालय का नाम	प्रेषित धनराशि	वितरित धनराशि
131	अम्बेडकर प्रा0वि0, मिर्जापुर	15000	15000
132	श्री कृष्ण प्रा0वि0, जरावन	9600	9600
133	स्व0 विश्रामदास त्यागी प्रा0पा0,सिदुआटढई	21300	21300
134	प्यारे लाल प्रा0वि0, मौजमपुर	12900	12900
135	मैथली बंधु प्रा0वि0, पैलानी उत्तर	25500	25500
136	सीताराम प्रा0वि0, मलेवा	4500	4500
137	सुभाष चन्द्र बोस प्रा0वि0, भर्रागई	22500	22500
138	पं0 रघुवर दयाल मिश्रा बा0वि0, चिलौआ	16500	16500
139	रघुवर दयाल मिश्रा बा0वि0, कोयला	15300	15300
140	हरस्वरूप पब्लिक मैमो0प0स्कू0, बड़ागांव	3600	3600
141	शिशु बाटिका वि0, पुवायां	12600	12600
142	आदर्श बाल विद्या मंदिर महमूद हददफ	4800	4800
143	सेंट बी0एन0 स्कूल, आनंदपुरम	12000	12000
144	श्रीपाल सिंह, हुसैनापुर	6300	6300
145	आर0के0 कान्वेंट स्कूल, शाहजहांपुर	6300	6300
146	बसंत पब्लिक स्कूल, कटियाबुर्ज	12000	12000
147	चेतराम सिंह आदर्श वि0, सिउरा	7500	7500
148	स्व0 राजाराम पब्लिक स्कूल, नौशाहरा शाहजहांपुर	1800	1800
149	गंगा बाल विद्या मंदिर, सिसौआ	3900	3900
150	गोधन सिंह, प्रा0वि0, खमरिया	6300	6300
151	जनता प्रा0वि0, दमुलिया	27600	27600
152	ग्रामीण जन कल्याण प्रा0वि0, पडैनिया	6000	6000
153	नव ज्योति प्रा0 स्कूल, तिलहर	6000	6000
154	मां शारदे प्रा0 स्कूल, तिलहर	6900	6900
155	ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल, ढुकरी पुवायां	18000	18000
156	विक्रम सिंह शि0सं0वि0, मगटोरा	7200	7200
157	कालिका प्रसाद प्रा0वि0, मिर्जापुर	10200	10200
158	रामभरोसे बा0वि0मं0, मिर्जापुर	15000	15000
159	श्याम मुमुक्ष प्रा0वि0, बिहरिया	2100	2100
160	राजमाता उत्तराकुमारी प्रा0वि0, परौर	7200	7200
161	गोकरन सिंह प्रा0वि0, सथरा धर्मपुर	6000	6000
162	गेंदनलाल प्रा0वि0, बौरी	9000	9000
163	पोहपसिंह प्रा0वि0, पहाड़पुर	12900	12900
164	मनोकरण क0प्रा0 वि0, शाहजहांपुर	4200	4200

नत्थी "ख"

(देखिये अता0प्र0सं0 41 का उत्तर पीछे पृष्ठ 23 पर।)

जिला क्षय रोग केन्द्र, शाहजहांपुर का दिनांक 01-4-2003 से 05-11-2005 का व्यय विवरण

क्र0 सं0	अवधि	प्रारम्भिक अवशेष रु0	मदवार प्राप्त की गयी धनराशि	कुल उपलब्ध धनराशि रु0	व्यय की गयी धनराशि रु0
1	1-4-03 से 31-3-2004	973558	सिविल वर्क रुपया 310000/ लैब मैटेरियल रुपया 100000/ पब्लिसिटी रुपया 50000/ पी0ओ0एल0 रुपया 110000/ वाहकिल हायरिंग रुपया 70000/ मिसीलेनियस रुपया 130000/ कान्ट्रैक्चुअल सर्विसेज रुपया 910000/- **कुल धनराशि रु01680000/-**	2653558	2587066
2	1-4-2004 से 31-3-2005	66492/	लैब मैटेरियल रुपया 265000/- पब्लिसिटी रुपया 40000/- इक्यूपमेंट मेंटिनेंस रु0 20000/- ट्रेनिंग रुपया 5000/- पी0ओ0एल0 रुपया 31333/- वाहकिल हायरिंग रु0 20000/- मिसलेनियस रुपया 55000/- कान्ट्रैक्चुअल सर्विसेज रुपया 917423/- प्रिंटिंग रुपया 20000/- लूज ड्रग रुपया 13000/- **कुल धनराशि रुपया 1386756/-**	1453248/-	1375648/-
3	01-04-2005 से 05-11-2005	77630/	सिविल वर्क 56000/- लैब मैटेरियल रुपया 149131/- पब्लिसिटी रुपया 53750/- इक्यूपमेंटेनेन्स रुपया 50000/- ट्रेनिंग रुपया 66000/- पी0ओ0एल0 रुपया 35833/- वाहकिल हायरिंग रुपया 116000/- मिसले नियस रुपया 177149/- कान्ट्रैक्चुअल सर्विसेज रुपया 1500000/- प्रिंटिंग रुपया 177500/- प्रिक्योरमेंट ऑफ इक्यूपमेंट रुपया 110000/- **कुल धनराशि रुपया 2491363/-**	2568993/-	1951266/-

164-- मनोकरण का0प्रा0 वि0, शाहजहाँपुर 4200इ4200

पी0एस0यू0पी0--एल0--77विधान सभा (813)--1-6-2006 (डी0टी0पी0)।

उत्तर प्रदेश विधान सभा